श्रृंखला, खंड 6, अंक 1

बुधवार, 20 नवम्बर, 1996
29 कार्तिक, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रूपये

बुधवार, 20 नवम्बर, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(v)	नीचे से 2	(त्रिपुर)	(तिमुर)
(vii)	9	बंगीलाल, श्री श्याम लाल (टोंक)	बंगीवाल, श्री श्याम लाल (टोंक)
(viii)	नीचे से 7	(गोंडा)	(गोड्डा)
(viii)	नीचे से 10	रामलिंग, डा॰ के॰ पी॰ (तिरुचेगोडे)	रामलिंगम, डा॰ के॰ पी॰ (तिरुचेगोडे)
(ix)	12	(तिरुपतूर)	(तिरुपत्तूर)
(x)	17	साह, श्री अनादि चरण (कटक)	साहू, श्री अनादि चरण (कटक)
(xv)	नीचे से 3	डा॰ एस॰ वेणुगोपालचारी	डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपरसचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 1, बुधवार, 20 नवम्बर, 1996/29 कार्तिक, 1918 (शक)

विषय		कालम
ग्यारहवीं लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची		iii—xi
लोक सभा के पदाधिकारी		xiii
मंत्रिपरिषद्		xv—xvi
राष्ट्रगान		1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण		1
निधन संबंधी उल्लेख		1—4
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	1 – 20	5—42
अतारांकित प्रश्न संख्या	1 से 86 और 88 से 156	43—190

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

ग्यारहवीं लोक सभा

अ

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अग्रवाल, श्री धीरेन्द्र (चतरा)

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (चांदनी चौक-दिल्ली)

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अठावले, श्री नारायण (मुंबई उत्तर मध्य)

अडईकलराज, श्री एल. (तरुचिरापल्ली)

अडसूल श्री आनन्दराव विठोबा (बुलढाना)

अन्तुले, श्री अब्दुल रहमान (कुलाबा)

अन्नाय्यागरी, श्री साई प्रताप (राजमपेट)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनन्था, श्री वेंकटरामी रेड्डी (अनन्तपुर)

अनवर, श्री तारीक (कटिहार)

अनीस, श्री मुखतार (सीतापुर)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अराकल, श्री जेवियर (एरणाकुलम)

अरुणाचलम, श्री एम. (टेंकासी)

अलागिरी, श्री सामी वी. (शिवकाशी)

अली, श्री मोहम्मद इदरीस (जंगीपुर)

अलीवाल, श्री अमरीक सिंह (लुधियाना)

अलेमाओ, श्री चर्चिल (मारमागाओ)

अवैद्यनाथ, श्री (गोरखपुर)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहमद श्री एम. कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

अहीर, श्री हंस राज (चन्द्रपुर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजमी, श्री इलियास (शाहबाद)

आदित्यन आर., श्री धनुषकोडी (तिरूचेंदूर)

आवाडे, श्री कल्लप्पा (इचलकरांजी)

इ

इमचा, श्री (नागालैण्ड)

इस्लाम, श्री कमारुल (गुलबर्गा)

इस्लाम, श्री नुरुल (धूबरी)

इस्लेरी, श्री लुईस (कोकराझार)

उ

उदयप्पन, श्री एस.पी. (रामानाथपुरम)

उपेन्द्र, श्री पी. (विजयवाड़ा)

उबोक, श्री मेजर सिंह (तरनतारन)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)

ओ

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कंडासामी, श्री के. (रसिपुरम)

कंडासामी, श्री वी. (पोल्लाची)

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कठीरिया, डा. बल्लभ भाई (राजकोट)

कनोडिया, श्री महेश कुमार एम. (पाटन)

कनौजिया, श्री जी.एल. (खीरी)

कमल रानी, श्रीमती (घाटमपुर)

कर्मा, श्री महेन्द्र (बस्तर)

कलमाड़ी, श्री सुरेश (पुणे)

कांशी राम, श्री (होशियारपुर)

काम्बले, श्री शिवाजी विठ्ठल राव (उस्मानाबाद)

कामसन, प्रो. एम. (बाह्य मणिपुर)

कार, श्री गुलाम रसूल (बारामूला)

कारवींधन, श्री एस.के. (पलानी)

कुंटूरकर, श्री जी.एम. (नांदेड़)

कुमार, श्री एम.पी. वीरेन्द्र (कालीकट)

कुमार, श्रीमती मीरा (करोलबाग-दिल्ली)

कुमार, श्री वी. धनन्जय (मंगलौर)

कुमारास्वामी, श्री एच.डी. (कनकपुरा)

कुरियन, प्रो. पी.जे. (मवेलीकारा)
कुलस्ते, श्री फगन सिंह (मण्डला)
कुशवाहा, श्री सुखलाल (सतना)
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)
कृष्णा, श्री (माण्डया)
कृष्णादास, श्री एन.एन. (पालघाट)
कोंडय्या, श्री के.सी. (बेल्लारी)
कोटा, श्री सिद्दय्या (नरसारावपेट)
कोली, श्री गंगा राम (बयाना)
कौजलगी, श्री शिवानंद एच. (बेलगाम)
कौर, श्रीमती सुखवंश (गुरुदासपुर)
कैकाला, श्री सत्यनारायण (मछलीपट्टनम)

ख

खण्डेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतुल)
खलप, श्री रमाकान्त डी. (पणजी)
खरवार, श्री घनश्याम चन्द्र (अकबरपुर)
खान, श्री सुनील (दुर्गापुर)
खालसा, श्री हरिन्दर सिंह (भटिंडा)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)
गढ़वी, श्री पी.एस. (कच्छ)
गढ़वी, श्री बी.के. (बनसकांठा)
गणेशन, श्री वी. (चिदंबरम)
गंमाग, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गवाली, श्री पुण्डलिक राव रामजी (वाशिम)
गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)
गामीत, श्री छीतुभाई (माण्डवी)
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)
गायकवाड़, श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह (बड़ौदा)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)
गिरि, श्री सुधीर (कन्टाई)
गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)
गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गुप्त, श्री चमन लाल (ऊधमपुर)
गेहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)
गोडसे, श्री राजाराम परशराम (नासिक)
गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)
गोयल, श्री विजय (सदर-दिल्ली)
गोविन्दन, श्री टी. केसरगोड़ा)
गौड़ा, श्री वाई.एन. रुद्रेश (हसन)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्दूमाजरा, प्रो. प्रेम सिंह (पटियाला)
चन्दूलाल, श्री अजमीरा (वारंगल)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज दा. (कराड़)
चाक्को, श्री पी.सी. (मुकुन्दपुरम)
चारी, डा. एस. वेणूगोपाल (आदिलाबाद)
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आणद)
चिखलिया, श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई (जूनागढ़)
चित्तूरी, श्री रविन्द्र (राजामुन्दरी)
चित्यन, श्री एन.एस.वी. (डिडीगुल)
चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)
चेन्नितला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चौधरी, कर्नल सोनाराम (बाड़मेर)
चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खां (मालदा)
चौहान, श्री जयसिंह (कपड़बंज)
चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)
चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)
चौहान, श्री निहाल चन्द (श्री गंगानगर)
चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)

चौधरी, श्री पदमसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री परागी लाल (मिश्रिख)

चौधरी, श्री बादल (त्रिपुरा पश्चिम)

चौधरी, श्री मणीभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्रीमती निशा ए. (साबरकांठा)

चौबे, श्री लालमुनी (बक्सर)

ज

जगन्नाथ, डा. एम. (नागरकुरन्नूल)

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जादव, श्री सुरेश आर. (परभनी)

जायसवाल, डा. एम.पी. (बेतिया)

जायसवाल, श्री एस.पी. (वाराणसी)

जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबलपुर)

जावीया, श्री गोरधन भाई (पोरबन्दर)

जिन्दल, श्री ओ.पी. (कुरूक्षेत्र)

जेना, श्री मुरलीधर (भद्रक)

जेना, श्री श्रीकान्त (केन्द्रपाड़ा)

जैन, श्री सत्य पाल (चंडीगढ़)

जैसवाल, श्री प्रदीप (औरंगाबाद)

जोशी, डा. मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोशी, वैद्य दाऊ दयाल (कोटा)

जोस, श्री ए.सी. (इडुक्की)

ज्ञ

ज्ञानगुरुस्वामी, श्री आर. (परियाकुलम)

ट

टंडेल, श्री गोपाल (दमन और दीव)

टाडीपारथी, श्रीमती शारदा (तैनाली)

टी. गोपाल कृष्ण, श्री (काकीनाड़ा)

ठ

ठाकरे, श्री राजाभाऊ (यवतमाल)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डार, श्री मोहम्मद मकबूल (अनन्तनाग)

डेनिस, श्री एन. (नगरकोइल)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)

डोम, डा. रामचन्द्र (बीरभूम)

त

तसलीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तिरिया, कुमारी सुशीला (मयूरभंज)

तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)

तिवारी, श्री बृज भूषण (डुमरियागंज)

तीर्थरामन, श्री पी. (धर्मपुरी)

तोपदार, श्री तरित वरण (बैरकपुर)

तोपनो, कुमारी फ्रिडा (सुन्दरगढ़)

तोमर, डा. रमेश चन्द (हापुड़)

त्रिपाठी, लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाश मणि (देवरिया)

थ

थाम्मीनेनी, श्री वीरभद्रम, (खम्माम)

थामस, प्रो. पी.सी. (मुवतुपुजा)

थोरात, श्री संदीपान (पंढरपुर)

द

दरबार, श्री छतर सिंह (धार)

दास, श्री अंचल (जाजपुर)

दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)

दास, श्री द्वारका नाथ (करीमगंज)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)

दासमुंशी, श्री पी.आर. (हावड़ा)

दाहाल, श्री भीम प्रसाद (सिक्किम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव (त्रिचूर)

दीवान, श्री पवन (महासमुंद)

देव, श्री वी. प्रदीप (पार्वतीपुरम)
देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)
देवदास, श्री आर. (सेलम)
देवी, श्रीमती सुभावती (बांसगांव)
देशमुख, श्री चन्दूभाई (बरौच)
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह (कानपुर)

न

नंदी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)
नटरायन, श्री के. (करुर)
नरसिम्हन, श्री सी. (कृष्णागिरि)
नाईक, श्री राम (मुम्बई-उत्तर)
नागरत्नम, श्री टी. (श्रीपेरुम्बुदुर)
नाथ, श्रीमती अल्का (छिंदवाड़ा)
नामग्याल, श्री पी. (लद्दाख)
नायक, श्री मृत्युन्जय (फूलबनी)
नायक, श्री राजा रंगप्पा (रायचूर)
नायडू, श्री के.पी. (बोबीली)
'निडर', प्रो. ओमपाल सिंह (जलेसर)
निम्बालकर, श्री हिन्दूराव नाईक (सतारा)
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)
निषाद, श्री विशम्भर प्रसाद (फतेहपुर)
नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)
नेताम, श्रीमती छबिला अरविन्द (कांकेर)
नेलावाला, श्री सुब्रह्मण्यम (तिरुपति)

प

पटनायक, श्री बीजू (आस्का)
पटनायक, श्री शरत (बोलंगीर)
पटरुधु, श्री अय्यन्ना, (अन्नाकापल्ली)
पटेल, डा. ए.के. (मेहसाना)
पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)
पटेल, श्री जंग बहादुर सिंह (फूलपुर)
पटेल, श्री दिनशा (खेड़ा)
पटेल, श्री प्रफुल्ल (भंडारा)
पटेल, श्री बुद्धसेन (रीवा)
पटेल, श्री विजय (गांधीनगर)
पटेल, श्री शान्तिलाल पुरषोत्तमदास (गोधरा)
पनबाका, श्रीमती लक्ष्मी (नैल्लौर)
परसुरामन, श्री के. (चेंगलपट्टू)
परांजपे, श्री दादा बाबूराव (जबलपुर)
परांजपे, श्री प्रकाश विश्वनाथ (ठाणे)
पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. (तंजावूर)
पवार, श्री उत्तम सिंह (जालना)
पवार, श्री शरद (बारामती)
पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पांडेय, डा. लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)
पांडेय, श्री मनहरण लाल (जांजगीर)
पांडेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरडीह)
पाटिल, श्री अन्नासाहिब एम.के. (इरन्दोल)
पाटिल, श्री बी.आर. (बीजापुर)
पाटिल, श्री मदन (सांगली)
पाटिल, श्री शिवराज वी. (लातूर)
पाटिल, श्रीमती रजनी (बीड)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खरगोन)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पायलट, श्री राजेश (दौसा)
पाल, डा. देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)
पाल, श्री रूप चन्द (हुगली)
पार्वती, श्रीमती एम. (ओंगोले)
पासवान, श्री कामेश्वर (नवादा)
पासवान, श्री पीताम्बर (रोसेड़ा)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)
प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)
प्रधानी, श्री के. (नवरंगपुर)
प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)
प्रामानिक, प्रो. आर.आर. (मथुरापुर)
प्रेम, श्री बी.एल. शर्मा (पूर्वी दिल्ली)
प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के. (क्विलोन)
प्रेमी, श्री मंगल राम (बिजनौर)

फ

फर्नान्डीज, श्री ऑस्कर (उदीपी)

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फारुख, श्री एम.ओ.एच. (पाण्डिचेरी)

फुंडकर, श्री भाऊसाहिब पुंडलिक (अकोला)

फूलन देवी, श्रीमती (मिर्जापुर)

ब

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंशीलाल, श्री श्याम लाल (टोंक)

बक्सला, श्री जोआचिम (अलीपुरद्वार)

बर्क, डा. शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)

बचदा, श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बडाडे, श्री भीमराव विष्णु जी (कोपरगांव)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बनातवाला, श्री जी.एम. (पूर्न्नानी)

बर्मन, श्री उधव (बारपेटा)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बरनाला, सरदार सुरजीत सिंह (संगरूर)

बलिराम, डा. (लालगंज)

बसु, श्री अनिल (आराम बाग)

बसु, श्री चित्त (बारसाट)

बागूल, डा. साहेबराव सुकराम (धुले)

बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)

बाला, डा. असीम (नवद्वीप)

बालारमन, श्री एल. (वंडावासी)

बालासुब्रहमण्यन, श्री एस.आर. (नीलगिरी)

बालू, श्री टी.आर. (मद्रास-दक्षिण)

बिसवाल, श्री रनजीब (जगतसिंह पुर)

बुडानिया, श्री नरेन्द्र (चुरु)

बेगम नूर बानो (रामपुर)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

बेंदा, चौधरी रामचन्द्र (फरीदाबाद)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)

बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)

भगवती देवी, श्रीमती (गया)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

भट्टाचार्य, श्री जयन्त (तामलूक)

भट्टाचार्य, श्री प्रदीप (सेरमपुर)

भस्करप्पा, श्री सी.एन. (तुमकूर)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भाटिया, श्री रघुनंदन लाल (अमृतसर)

भाटी, श्री महेन्द्र सिंह (बीकानेर)

भारती, डा. अमृत लाल (चैल)

भारथन, श्री ओ. (बडागरा)

भारद्वाज, श्री नीतीश (जमशेदपुर)

भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)

भिक्षम, श्री बी. धर्म (नालगोंडा)

भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)

भोई, डा. कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

म

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मगानी, श्री गुलाम मोहम्मद मीर (श्रीनगर)

मल्लिकार्जुन, डा. (महबूब नगर)

मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी. (दावणगेरे)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महन्त, श्री केशव (कलियाबोर)

महाजन, श्री प्रमोद (मुम्बई-उत्तर पूर्व)

महाजन, श्री सत (कांगड़ा)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इंदौर)

महापात्र, श्री कार्तिक (बालासोर)

महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)

माने, श्री शिवाजी गयानोबाराऊ (हिंगोली)

मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)

मिश्र, श्री चतुरानन (मधुबनी)

मिश्र, श्री पिनाकी (पुरी)

मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)
मीणा, श्री भेरुलाल (सलूम्बर)
मीणा, श्रीमती उषा (सवाई माधोपुर)
मुखर्जी, श्री प्रमथेस (बरहामपुर) (प. बं.)
मुखर्जी, श्री सुव्रता (रायगंज)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृषनगर)
मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)
मुडे, श्री विजय अन्नाजी (वर्धा)
मुनिलाल, श्री (सासाराम)
मुर्मू, श्री रूप चन्द (झाड़ग्राम)
मूर्ति, श्री के.एस.आर. (अमलापुरम)
मेघवाल, श्री परस राम (जालोर)
मेघे, श्री दत्ता (रामटेक)
मेती, श्री एच.वाई. (बागलकोट)
मेहता, प्रो. अजित कुमार (समस्तीपुर)
मेहता, श्री सनत (सुरेन्द्र नगर)
मेहता, श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र (मुम्बई दक्षिण)
मोल्लाह, श्री इन्नान (उलूबेरिया)
मोहन, श्री आनन्द (शिवहर)
मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)
मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदौली)

य

यादव, श्री अनिल कुमार (खगरिया)
यादव, श्री गिरधारी (बांका)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोंडा)
यादव, श्री डी.पी. (सम्भल)
यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)
यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)
यादव, श्री राम कृपाल (पटना)
यादव, श्री लाल बाबू प्रसाद (गोपालगंज)
यादव, श्री शरद (माधेपुरा)
यादव, श्री सुरेन्द्र (खलीलाबाद)
येरननायडु, श्री किंजारप्पू (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी-जिला) (असम)
रमना, श्री एल. (करीमनगर)
रमेन्द्र कुमार, श्री (बेगूसराय)
रमैया, श्री पी. कोदंडा (चित्रदुर्ग)
रमैया, श्री. बोला बुल्ली (एलरु)
रमैया, श्री सोडे (भद्राचलम्)
राई, श्री आर.बी. (दार्जिलिंग)
राउत, श्री कचरु भाऊ (मालेगांव)
राघवन, श्री वी.वी. (त्रिचूर)
राजकुमार, श्री वांगवा (अरुणाचल पूर्व)
राजपूत, श्री गंगा चरण (हमीरपुर) (उ.प्र.)
राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेन्द्रन, श्री पी.वी. (मईलादुतुराई)
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)
राठवा, श्री एन.जे. (छोटा उदयपुर)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)
राणा, श्री राजू (भावनगर)
राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)
रामालिंग, डा. के.पी. (तिरुचेगोडे)
रामनाथन, श्री एम. (कोयम्बटूर)
रामसजीवन, श्री (बांदा)
रामसागर, श्री (बाराबंकी)
रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)
राम बाबू, श्री ए.जी.एस. (मदुरै)
राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)
राय, श्री देवेन्द्र बहादुर (सुल्तानपुर)
राय श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)
राय, श्री बलाई चन्द्र (बर्दवान)

राय, श्री हाराधन (आसनसोल)

राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

रायारेड्डी, श्री बासवाराज (कोप्पल)

रायुडु, श्री के.एस. (नरसापुर)

राव, श्री आर. साम्बासिवा (गुंटूर)

राव, श्री पी.वी. नरसिंह (बरहामपुर)

राव, श्री पी.वी. राजेश्वर (सिकंदराबाद)

रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)

रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण-मध्य)

रिबा, श्री तोमो (अरुणाचल-पश्चिम)

रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा-पूर्व)

रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)

रेड्डी, श्री एन. रामकृष्ण (चित्तूर)

रेड्डी, श्री एम. बागा (मेडक)

रेड्डी, श्री एस. रामचन्द्र (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री के. विजय भास्कर (कुरूनूल)

रेड्डी, श्री जी.ए. चरण (निजामाबाद)

रेड्डी, डा. टी. सुब्बारामी (विशाखापत्तनम)

रेड्डी, डा. बी.एन. (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री भूमा नागी (नान्दयाल)

रेड्डी, डा. वाई.एस. राजशेखर (कुडप्पा)

ल

लहिरी, श्री समीक (डाइमंड हार्बर)

लाखा, श्री हरभजन (पिल्लौर)

लोढा, जस्टिस गुमान मल (पाली)

व

वर्मा, श्री आर.एल.पी. (कोडरमा)

वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (केसरगंज)

वर्मा, श्रीमती पूर्णिमा (मोहनलाल गंज)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री राममूर्ति सिंह (शाहजहांपुर)

वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)

वल्याल, श्री लिंगराज (शोलापुर)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर. (मैसूर)

वानगा, श्री चिन्तामन (दहानू)

विश्वकर्मा, श्री महाबीर लाल (हजारीबाग)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वेंकटरामन, श्री टी.जी. (टिंडिवनाम)

वेंकटेशन, श्री पी.आर.एस. (कुड्डालोर)

वेंकटेस्वरलु, डा. उम्मारेड्डी (बापतला)

वेदान्ती, डा. राम विलास (मछलीशहर)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरूपलूर)

वेलू, श्री ए.एम. (अर्कोनम)

वैश्य, श्री वीरेन्द्र प्रसाद (मंगल डोई)

व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शंकर, श्री बी.एल. (चिकमंगलूर)

शर्मा, डा. अरविन्द (सोनीपत)

शर्मा, श्री अशोक (राजनंदगांव)

शर्मा, डा. अरुण कुमार (लखीमपुर)

शर्मा, श्री कृष्ण लाल (बाहरी दिल्ली)

शर्मा, श्री नवल किशोर (अलवर)

शर्मा, डा. प्रवीन चंद्र (गुवाहाटी)

शर्मा, श्री मंगत राम (जम्मू)

शर्मा, कैप्टन सतीश (अमेठी)

शिवप्रकाशम, श्री डी.एस.ए. (तिरूनेलवेली)

शिवा, श्री तिरूची (पुडक्कोट्टई)

शेरकर, श्री निवृत्ती सेठ नामदेव (खेड)

शेरवानी, श्री सलीम इकबाल (बदायूं)

शेल्के, श्री मारूति देवराम (अहमदनगर)

शहाबुद्दीन, मुहम्मद (सिवान)

शाक्य, डा. महादीपक सिंह (एटा)

शाक्य, श्री राम सिंह (इटावा)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी-गढ़वाल)

शैलजा, कुमारी (सिरसा)

ष

षण्मुगम, श्री पी. (वैल्लौर)

षणमुगा सुन्दरम, श्री वी.पी. (गोबिचेट्टिपालयम)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़-उत्तर)

सांगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)

संघानी, श्री दिलीप (अमरोली)

सईद, श्री पी.एम. (लक्षद्वीप)

सनदी, प्रो. आई.जी. (धारवाड़-दक्षिण)

सम्पथ, श्री ए. (चिरायिंकिल)

सर्पोतदार, श्री मधुकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम)

सरदार, श्री माधव (क्योंझर)

सरोदे, डा. जी.आर. (जलगांव)

सवान्नूर, श्रीमती रत्नमाला डी. (चिक्कोडी)

सहाय, श्री हरवंश (सलेमपुर)

साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)

साक्षी, स्वामी सच्चिदानन्द (फर्रूखाबाद)

साय, श्री नन्द कुमार (रायगढ़)

साह, श्री अनादि चरण (कटक)

साहू, श्री ताराचन्द (दुर्ग)

सिंकु, श्री चित्रसेन (सिंहभूम)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री अमर पाल (मेरठ)

सिंह, श्री अशोक (रायबेरली)

सिंह, श्रीमती कान्ति (बिक्रमगंज)

सिंह, श्रीमती केतकी देवी (गोण्डा)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, श्री चन्द्रभूषण (कन्नौज)

सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री जसवंत (चित्तौड़गढ़)

सिंह, श्री जान (शहडोल)

सिंह, श्री तिलक राज (सिधी)

सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)

सिंह, श्री थ. चौबा (आंतरिक मणिपुर)

सिंह, श्री दरबारा (जालंधर)

सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)

सिंह, महारानी दिव्या (भरतपुर)

सिंह, श्री नकली (सहारनपुर)

सिंह, श्री प्रहलाद (सिवनी)

सिंह, मेजर जनरल बिक्रम (हमीरपुर)

सिंह, श्री मोहन (फिरोजपुर)

सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री राजकेशर (जौनपुर)

सिंह, कनंत राव राम (महेन्द्रगढ़)

सिंह, श्री रामबहादुर (महाराजगंज)

सिंह, डा. राम लखन (भिंड)

सिंह, श्री राधा मोहन (मोतीहरी)

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार (औरगांबाद)

सिंह, श्री शत्रुध्न प्रसाद (बलिया) (बिहार)

सिंह, श्री शिवराज (बिदिशा)

सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)

सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)

सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)

सिंह, श्री सुरेन्द्र (भिवानी)

सिंह, डा. हरि (सीकर)

सिंह देव, श्री के.पी. (ढेंकानाल)

सिद्धराजु, श्री ए. (चमराजनगर)

सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)

सिन्हा, श्री मनोज कुमार (गाजीपुर)

सिल्वेरा, डा. सी. (मिजोरम)

सुख राम, श्री (मंडी)

सुधीरन, श्री वी.एम. (अलेप्पी)

सुभाष, चन्द्र, श्री (भीलवाड़ा)

सुरेन्द्रनाथ, श्री के.वी. (त्रिवेन्द्रम)

सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)

सुल्तानपुरी, श्री के.डी. (शिमला)

सुशील चन्द्र, श्री (भोपाल)

सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सोनकर, श्री विद्यासागर (सैदपुर)
सोमू, श्री एन.वी.एन. (मद्रास उत्तर)
सोरेन, श्री शिबु (दुमका)
सोहन बीर, श्री (मुज्जफरनगर)
सैकिया, श्री मुही राम (नागोंग)
सैनी, श्री प्रताप सिंह (अमरोहा)
सैल्वारासु, श्री एम. (नागापट्टीनम)
सौम्य रंजन, श्री (भुवनेश्वर)
स्वराज, श्रीमती सुषमा (दक्षिण दिल्ली)
स्वामी, श्री आई.डी. (करनाल)
स्वामी, श्री जी. वेंकट (पेट्टापल्ली)
स्वामी, श्री सी. नारायण (बंगलौर उत्तर)
स्वैल, श्री जी.जी. (शिलांग)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)
हजारिका, श्री ईश्वर प्रसन्ना (तेजपुर)
हसन, श्री मुनव्वर (कैराना)
हाण्डिक, श्री विजय (जोरहाट)
हुडा, श्री भूपिन्द्र सिंह (रोहतक)
हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)
हेगड़े, श्री अनन्त कुमार (कनारा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री पूर्णो ए. सांगमा

उपाध्यक्ष

श्री सूरजभान

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री चित्त बसु

श्री पी.सी. चाक्को

श्री नीतीश कुमार

श्रीमती गीता मुखर्जी

श्री पी.एम. सईद

कर्नल राम सिंह

प्रो. रीता वर्मा

महासचिव

श्री एस. गोपालन

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री

प्रधान मंत्री तथा निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी परमाणु ऊर्जा; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; शहरी कार्य और रोजगार; तथा अन्य मंत्रालय/विभाग जो किसी अन्य मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का आबंटित नहीं किये गए हैं, अर्थात अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; विद्युत; इलैक्ट्रानिकी; जम्मू और कश्मीर मामले; महासागर विकास; अंतरिक्ष	श्री एच.डी. देवगौड़ा
कल्याण मंत्री	श्री बलवंत सिंह रामूवालिया
संचार मंत्री	श्री बेनी प्रसाद वर्मा
इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री	श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य
नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री सी.एम. इब्राहीम
कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर)	श्री चतुरानन मिश्र
खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
विदेश मंत्री	श्री इन्द्र कुमार गुजराल
गृह मंत्री	श्री इन्द्रजीत गुप्त
जल संसाधन मंत्री	श्री जनेश्वर मिश्र
श्रम मंत्री	श्री एम. अरूणाचलम
रक्षा मंत्री	श्री मुलायम सिंह यादव
उद्योग मंत्री	श्री मुरासोली मारन
वित्त मंत्री	श्री पी. चिदम्बरम
वस्त्र मंत्री	श्री आर.एल. जालप्पा
रेल मंत्री	श्री राम विलास पासवान
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री एस.आर. बोम्मई
संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री	श्री श्रीकान्त जेना
जल-भूतल परिवहन मंत्री	श्री टी.जी. वेंकटरामन
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री	श्री किंजारप्पू येरननायडू

राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री बोला बुल्ली रमैया
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री दिलीप कुमार राय
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री	कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद

कायेला मंत्रालय की राज्य मंत्री	श्रीमती कांति सिंह
कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री	श्री रघुवंश प्रसाद सिंह
विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री	श्री रमाकांत डी. खलप
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री सलीम इकबाल शेरवानी
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री शीश राम ओला
योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री योगेन्द्र कुमार अलघ

राज्य मंत्री

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री	श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहम्मद मकबूल डार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री	श्री मुही राम सैकिया
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एन.वी.एन. सोमू
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सतपाल महाराज
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन
विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा.एस. वेणुगोपालचारी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री टी.आर. बालू
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा. यू. वेंकटस्वरलू

लोक सभा

बुधवार, 20 नवम्बर, 1996/29, कार्तिक, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ।। बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

राष्ट्र गान

(राष्ट्र गान की धुन बजाई गई)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

1. श्री भूमा नामी रेड्डी (नान्दयाल)
2. श्री विजय हरीशचन्द पटेल (गांधीनगर)
3. श्री अनादिचरण साहू (कटक)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, लोक सभा के शीतकालीन सत्र में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे सभा को दुख के साथ अपने आठ साथियों सर्वश्री बसंत सिंह खालसा, मोतीसिंह बहादुरसिंह ठाकुर, अरविन्दो घोसाल, सुनील मैत्रा, कालका दास, सईद मुर्तजा, अंसार हरवानी और हलीमुद्दीन अहमद के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री बंसत सिंह खालसा वर्तमान लोक सभा में पंजाब के रोपड़ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने इसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व छठी लोक सभा में भी किया था।

श्री खालसा 1969-70, 1972-77, 1980-85 के दौरान पंजाब विधान सभा के भी सदस्य रह चुके थे।

श्री खालसा एक सक्रिया सांसद थे। उन्होंने पंजाब राज्य सरकार में शिक्षा तथा स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से भी कार्य किया था। उन्होंने पंजाब सरकार में ससंदीय सचिव, शिक्षा, श्रम और रोजगार के रुप में भी कार्य किया था। वह लोक लेखा समिति और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य थे। वह अनेक संसदीय समितियों के सदस्य थे।

वह एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्त्ता भी थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों की भलाई तथा उत्थान के लिए अथक परिश्रम किया।

उनका निधन 20 अक्तूबर, 1996 को लुधियाना (पंजाब) के निकट एक सड़क दुर्घटना में 64 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह ठाकुर ने दूसरी लोक सभा में 1957-62 के दौरान तत्कालीन बंबई राज्य के पाटन संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह पेशे से वकील थे। श्री ठाकुर एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे। वह कई सामाजिक संगठनों के साथ सम्बद्ध थे। उन्होंने ग्रामीण जनता के उत्थान में विशेष रूचि ली।

श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह ठाकुर का निधन 24 मई, 1996 को 74 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में हुआ।

श्री अरविन्दो घोसाल ने 1957-62 के दौरान दूसरी लोक सभा में पश्चिम बंगाल के उलूबेरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह 1977-82 के दौरान पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य भी रहे।

श्री घोसाल एक प्रख्यात सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्त्ता और मजदूर नेता थे जो विभिन्न मजदूर संघों से विभिन्न रुपों में जुड़े रहे। उन्होंने मजदूरों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए कार्य किया। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जैसे "ट्रेड यूनियन संगठन", "वर्क्स कमेटी की", "कृषक आंदोलन धारा" तथा कुछ अन्य पुस्तकें।

उन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा की थी। वह अंतर्राष्ट्रीय खनिक सम्मेलन, प्राग और अंतराष्ट्रीय ग्रामीण युवा सम्मेलन वियना, 1954 के शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री अरविन्दो घोसाल का देहान्त हावड़ा में 4 सितम्बर, 1996 को 82 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री सुनील मैत्रा ने 1980-84 के दौरान सातवीं लोक सभा में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता उत्तर पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक योग्य सांसद के रुप में उन्होंने सभा की कार्यवाही में भाग लिया और बहुमूल्य योगदान दिया। वह 1983-84 में लोक लेखा समिति के सभापति भी थे।

श्री मैत्रा एक प्रख्यात मजदूर नेता थे जिन्होंने मजदूर वर्ग के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री सुनील मैत्रा का देहान्त 18 सितम्बर, 1996 को कलकत्ता में 69 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री कालका दास ने 1989-91 और 1991-96 के दौरान क्रमशः नौंवी और दसवीं लोक सभा में दिल्ली के करोल बाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री कालका दास ने सभा और इसकी समितियों की कार्यवाहियों में बहुमूल्य योगदान दिया था।

श्री कालका दास पूर्व दिल्ली महानगर परिषद के 6 वर्ष तक चेयरमैन भी रहे। बाद में वह परिषद में विपक्ष के नेता पद पर भी रहे।

श्री कालका दास दिल्ली के एक लोकप्रिय व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में कई विकास कार्य कराये। श्री कालका दास एक समर्पित राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता थे जिन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कठिन परिश्रम किया। वह अनेक राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से संबद्ध रहे। उन्होंने "मिनाक्षी पुरम" नाम की एक पुस्तक भी लिखी।

श्री कालका दास का निधन नई दिल्ली में 27 सितम्बर, 1996 को 58 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री सईद मुर्तजा ने 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले वे 1969 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य तथा राज्य सरकार में मंत्री रहे।

वह एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे। वह लगातार 35 वर्षों तक टाउन पंचायत के अध्यक्ष भी रहे।

एक योग्य सांसद के रुप में उन्होंने सभा की कार्यवाहियों में गहन रूचि ली थी। वह अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य भी रहे।

श्री सईद मुर्तजा का निधन 30 सितम्बर, 1996 को मुजफ्फरनगर में 90 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री अंसार हरवानी ने 1957-62 के दौरान दूसरी लोक सभा में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और वर्ष 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा में उत्तर प्रदेश के ही बिसौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने सभा की कार्यवाहियों में बहुमूल्य योगदान दिया। श्री हरवानी 1961-62 के दौरान प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे थे।

श्री हरवानी एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने "भारत छोड़ो" आन्दोलन में सक्रिय रुप से भाग लिया था और अनेक वर्ष जेल में रहे।

श्री हरवानी स्वस्थ पत्रकारिता के प्रबल पक्षधर थे और वह नेशनल हेराल्ड के मुख्य संवाददाता थे तथा अमृत बाजार पत्रिका के विशेष प्रतिनिधि थे।

वह अनेक संगठनों से संबंध रहे।

श्री अंसार हरवानी का निधन 28 अक्तूबर, 1996 को नई दिल्ली में 80 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री हलीमुद्दीन अहमद ने वर्ष 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा में बिहार के किसनगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री अहमद वर्ष 1985-90 के दौरान बिहार विधान सभा के भी सदस्य रहे।

श्री अहमद पेशे से वकील थे। वह एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वह अनेक सामाजिक संगठनों से भी जुड़े थे।

श्री अहमद ने सभा की कार्यवाहियों में गहन रूचि ली थी। वह विशेषाधिकार समिति के सदस्य भी रहे।

श्री हलीमुद्दीन का निधन 14 नवम्बर, 1996 को 75 वर्ष की आयु में अररिया में हुआ।

मैं हाल ही दो दुखद घटनाओं अर्थात आंध्र प्रदेश में आए तूफान और विमान दुर्घटना पर भी गहरा दुख व्यक्त करता हूं। आंध्र प्रदेश में दीपावली त्यौहार से कुछ दिन पूर्व आये अभूतपूर्व तूफान और बाढ़ से जानमाल की भारी हानि हुई।

दूसरी दुर्घटना मंगलवार 12 नवम्बर, 1996 को हरियाणा में चरखी-दादरी के पास सऊदी अरब और कज्जाक विमान कंपनियों के विमानों के बीच आकाश में हुई भिड़न्त के कारण हुई जिसमें दोनों विमान कंपनियों के चालक-दल के सदस्यों तथा विमान में सवार सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हमारा हृदय पीड़ित व्यक्तियों और मृतकों के निकट संबंधियों के दुख से दुःखी है।

हम इन मित्रों के निधन और आंध्र प्रदेश में तूफान तथा विमान दुर्घटना में हुई मौतों पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों को संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन धारण करेगी।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 21 नवम्बर, 1996 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.14 $^{1}/_{2}$ बजे

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति

*1. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री ई. अहमद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनावों के बाद से अब तक विस्फोट तथा पुलिस गोलीबारी की कितनी घटनायें हुई हैं;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान राज्य में आतंकवादियों द्वारा कितने नागरिक तथा सुरक्षाकर्मी मारे गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर में कितने आतंकवादी मारे गए तथा गिरफ्तार किए गए;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु जम्मू-कश्मीर सरकार को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) जम्मू-कश्मीर को अधिक स्वायत्तता प्रदान किए जाने के प्रति केन्द्र सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार चुनावों के बाद से 31 अक्तूबर, 1996 तक की अवधि के दौरान विस्फोटों की 75 घटनाएं और उग्रवादियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी की 67 घटनाएं हुई।

(ख) 1.8.96 से 31.10.96 तक की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में 332 सिविलियन और 63 सुरक्षाकर्मी मारे गए।

(ग) इस अवधि के दौरान 350 उग्रवादी मारे गए और 494 गिरफ्तार कर लिए गए।

(घ) राज्य में सामान्य हालात बहाल करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार की सहायता के लिए केन्द्र सरकार लगातार सभी आवश्यक उपाय कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ सम्मिलित हैं: सुरक्षा से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सहायता सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखने और आन्तरिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की सहायता और मदद के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करना, राज्य में आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियां तेज करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, राज्य में युवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सहायता, आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना, संचार तंत्र का रखरखाव और उन्नयन, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया सुविधाओं का विस्तारण इत्यादि। सरकार ने राज्य के लिए एक आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है जिसमें एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में रेलवे लाईन का बारामूला तक विस्तार करना, गैर-योजना संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता, लघु उद्यमों के लिए एक ऋण राहत योजना, कारगिल एयर फील्ड का उन्नयन करना, कारगिल के लिए साप्ताहिक हैलीकाप्टर सेवा की व्यवस्था तथा डोडा जिले में दुल-हस्ती पावर परियोजना का तेजी से कार्यान्वयन करना, इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) सरकार, जम्मू व कश्मीर राज्य को अधिकतम स्वायत्तता देने के प्रति बचनबद्ध है। तथापि, इस अवस्था में इस बारे में ब्यौरे देना संभव/व्यावहारिक नहीं है।

ग्रामीण विकास एजेंसियों के कर्मचारी

*2. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विकास एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को किस प्रकार निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग). जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटियां हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अन्तर्गत सोसाइटी के संचलन के लिए अपने ही उप-नियम हैं। ऐसी एजेंसियों द्वारा नियुक्त कर्मचारीगण सोसाइटी के ही कर्मचारी हैं। अतः जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु नियम एवं शर्तों से संबंधित कोई भी दिशानिर्देश केन्द्र सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है।

राज्य विद्युत बोर्ड

*3. **श्री मनोरंजन भक्त :**
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अनेक राज्य विद्युत बार्डों को काफी ज्यादा हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में राज्य विद्युत बोर्डों को हो रही भारी हानि तथा बिजली की लगातार कमी की स्थिति से गैर-सरकारी भागेदारी निरूत्साहित हुई है तथा विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश एवं प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने में असफलता मिली है;

(घ) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों को कुशलतापूर्वक चलाए जाने के लिए उनके पुनर्गठन हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में विद्युत की स्थिति में सुधार करने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) कई राज्य बिजली बोर्डों ने गत तीन वर्षों के दौरान विशाल हानियां वहन की हैं।

(ख) वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान की हानियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) स्वदेशी और विदेशी दोनों निवेशकों द्वारा दर्शाई गई पर्याप्त रूचि के बावजूद राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) की खराब वित्तीय स्थिति के कारण निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं के लिए सुरक्षा पैकेजों को अंतिम रूप दिए जाने पर प्रभाव पड़ रहा है।

(घ) सरकार ने राज्यों का ध्यान राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाए जाने तथा रा.बि.बो. की पुनर्संरचना और सुधार के लिए उपलब्ध विकल्पों की ओर आकर्षित किया है। उड़ीसा ऐसा पहला राज्य है जिसने पुनर्संरचना कार्य आरंभ किया है तथा अन्य राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल इत्यादि ने भी पुनर्संरचना में रूचि प्रकट की है।

(ङ) और (च). विद्युत मंत्रालय ने एक कार्ययोजना तैयार की है जो अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने हेतु अधिक आबंटन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की निर्माणाधीन परियोजनाओं को तीव्रता से पूरा करने, विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण को समयबद्ध रूप से करना, कैप्टिव/सह-उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करना, वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी और रा.बि.बो. की पुनर्संरचना और सुधार पर जोर दिया गया है।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों के वार्षिक लाभ/हानियों (ग्रामीण विद्युतीकरण सहायता के बिना) को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	रा.बि.बो. का नाम	1992-93	1993-94	1994-95	
1	2	3	4	5	
1.	आंध्र प्रदेश	79.37	86.86	-828.96	(पी)
2.	बिहार	-242.41	280.65	-300.11	(यू)
3.	गुजरात	-537.93	-492.35	-550.28	(ए)
4.	हरियाणा	-370.90	-482.68	-98.92	(ए)
5.	हिमाचल प्रदेश	11.82	14.61	17.67	(ए)
6.	कर्नाटक	-19.49	-1.89	-164.18	(ए)
7.	केरल	18.40	24.12	13.32	(यू)
8.	मध्य प्रदेश	-279.04	-279.01	-382.40	(यू)
9.	महाराष्ट्र	272.00	288.89	320.75	(ए)
10.	उड़ीसा	23.49	-196.05	-136.08	(यू)
11.	पंजाब	-460.73	-499.35	-427.48	(ए)
12.	राजस्थान	-221.43	-354.82	-411.05	(यू)
13.	तमिलनाडु	-231.96	-301.56	-2.31	(ए)

1	2	3	4	5	
14.	उत्तर प्रदेश	-691.46	-1090.20	-978.25	(ए)
15.	पश्चिम बंगाल	-96.42	-55.38	-78.66	(ए)
16.	असम	-134.75	-329.60	-269.85	(पी)
17.	मेघालय	-12.46	-12.97	-17.58	(पी)
		-2893.90	-3418.74	-4294.37	

पी- अनंतिम

ए- अंकेक्षित

यू- अनंकेक्षित

रसोई गैस सिलेण्डरों की सील को "टेम्पर प्रूफ" बनाना

*4. **श्री एम.सैल्वारासु :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1.11.96 के "द इकॉनामिक टाइम्स" में "इल्लीगल डाइवर्जन आफ एल पी जी आन राइज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रसोई गैस सिलेण्डरों की सील तोड़कर रसोई गैस की चोरी का कार्य कभी-कभी डीलरों की जानकारी में किया जाता है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे डीलरों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) गैस सिलेण्डरों की सील में फेर-बदल को रोकने (टेम्पर प्रूफ बनाने) के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). तेल विपणन कंपनियों ने एल पी जी के विपणन और उपभोक्तओं को कम वजन के सिलेंडरों की आपूर्ति करने के कुछ मामलों का पता लगाया है।

(घ) गैर घरेलू उद्देश्य के लिए एल पी जी के विपणन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटरों के विरूद्ध कार्रवाई संशोधित विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

(ङ) तेल उद्योग द्वारा स्थापित एल पी जी उपस्कर ओर अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर को उद्योग की ओर से चोरी रोकने/फेर बदल को दर्शाने वाली सील विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।

विद्युत क्षेत्र के लिए आई.बी.आर.डी. ऋण

*5. **श्री दिनशा पटेल :**

श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से 1994-95 में विद्युत क्षेत्र में विदेशी सहायता की अवितरित बकाया राशि हजारों करोड़ रुपयों में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनेक विद्युत परियोजनाओं के लिए औद्योगिक पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.) के बड़ी राशि के ऋण 1994 में रद्द कर दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो विशेष रूप से देश में संसाधनों की कमी को देखते हुए विदेशी सहायता का उपयोग न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन विद्युत परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने हेतु सरकार के क्या प्रस्ताव हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस.वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ). विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता की अवितरित बकाया राशि की संचयी स्थिति निम्नवत है।

(करोड़ रुपए में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	कुल विदेशी सहायता
1993-94	28160
1994-95	18899
1995-96	18412

ऋण, परियोजना विशेष, जिसे पूरा करने में कम वर्ष लगते हैं, के लिए स्वीकृत किए जाते हैं ओर इस प्रकार इस समयावधि में विदेशी सहायता खर्च की जाती है। इस प्रकार इन ऋणों में उन परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता शामिल है जिनके संबंध में अभी भी समुपयोजन अवधि के अनेक वर्ष शेष हैं। इसलिए हर समय अतिरिक्त बकाया राशि विद्यमान रहेगी।

वर्ष 1993-94 के दौरान, परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ विश्व बैंक द्वारा निष्पन्न किए गए ऋण समझौता की अनुपालना न किए जाने के कारण विश्व बैंक ने कर्नाटक-1 एवं 2 (468मिलि. अमरीकी डालर) के लिए ऋण निरस्त कर दिया है। इन परियोजनाओं के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने वित्तपोषण की वैकल्पिक व्यवस्था की है। फरक्का-2 (22 मिलि. अमरीकी डालर), तलचेर थर्मल (8 मिलि. अमरीकी डालर) तथा राष्ट्रीय राजधानी विद्युत (35 मिलि. अमरीकी डालर) के संबंध में भी ऋणों को वर्ष 1993-94 में निरस्त कर दिया गया था क्योंकि बचतों के कारण इन ऋणों का समुपयोजन नहीं किया जा सका था। अब ये परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

कुछ परियोजनाओं में विदेशी ऋणों के धीमे समुपयोजन के कारण मुख्यतः राज्यों/क्रियान्वयन एजेंसियों के पास प्रतिपूरक निधियों की कमी, भूमि अधिग्रहण में विलंब, तथा वास्तविक कार्यों के क्रियान्वयन तथा उपस्करों की आपूर्ति में विलंब समेत संविदात्मक मुद्दे शामिल हैं।

रसोई गैस एजेंसियां

*6. **श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के किन-किन स्थानों पर रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं;

(ख) इन स्थानों पर अब तक रसोई गैस एजेंसियां न खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) विपणन योजना में शामिल स्थानों का ब्यौरा तथा विज्ञापन और साक्षात्कार की तिथियां क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). तेल विपणन कम्पनियों ने बिहार में विभिन्न स्थानों पर गत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान 130 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए विज्ञापन दिए।

उपर्युक्त में से 30 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए चयन किया गया है, इनमें से अब तक 24 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू की जा चुकी हैं तथा शेष 6 विकास के विभिन्न चरणों पर हैं। बाकी 100 मामलों के संबंध में तेल चयन बोर्ड, बिहार के कार्यरत न होने के कारण चयन नहीं किया जा सका है।

[हिन्दी]

बिहार में पावर ग्रिड

*7. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णिया जिले में मीरगंज और रुपाली पावर ग्रिड का कार्य अधूरा पड़ा है;

(ख) क्या बिहार सरकार द्वारा इस ग्रिड को शीघ्र चालू करने के लिए कोई अनुरोध किया गया है;

(ग) क्या इस ग्रिड के चालू होने से लाखों किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त परियोजना पर कार्य पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). मरंगा स्थित 33/11 के.वी. वाले विद्युत उपकेन्द्र में 11 के.वी. क्षमता पर मीरगंज और रूपाली को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। मरंगा स्थित 33/11 के.वी. वाले उपकेन्द्र पूर्णिया स्थित 132/33 के.वी. वाले उपकेन्द्र से विद्युत प्राप्त करता है। इन उपकेन्द्रों पर बिहार राज्य बिजली बोर्ड (बीएसईबी) का स्वामित्व है तथा इनका प्रचालन बिहार राज्य बिजली बोर्ड (बीएसईबी) द्वारा किया जाता है। मीरगंज स्थित 33/11 के.वी. वाले उपकेन्द्र को वर्ष 1981-82 में चालू किया गया था और वर्तमान में सुधार कार्य प्रगति पर है। रूपाली में 33/11 के.वी. वाले दूसरे उपकेन्द्र निर्माणाधीन हैं।

मीरगंज तथा रूपाली में 132/33 के.वी. वाले उपकेन्द्रों का निर्माण किए जाने हेतु बिहार सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

बिजली की मांग और पूर्ति

*8. **श्री ए. सम्पथ : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में बिजली की मांग और पूर्ति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में बिजली की मांग के संबंध में भी कोई आंकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मांग और पूर्ति में अंतर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) अप्रैल-अक्तूबर, 1996 की अवधि के दौरान राज्यवार ऊर्जा आवश्यकता तथा आपूर्ति की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). वर्ष 1997-2002 की अवधि के दौरान ऊर्जा आवश्यकता और व्यस्तमकालीन मांग को शामिल करने वाला एक मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 15 वीं विद्युत शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट में किया गया था। इसका ब्यौरा निम्नवत है :

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
ऊर्जा आवश्यकता (बिलियन यूनिट)	436	469	502	536	570
व्यस्ततमकालीन भार (मे.वा.)	73,458	78,936	84,666	90,093	95,757

(घ) विद्युत की मांग और पूर्ति के मध्य के अंतर को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) क्षमता-अभिवृद्धि

(2) मांग पक्ष प्रबंधन उपाय

(3) विद्यमान संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करना

(4) ऊर्जा संवर्धन

(5) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना

(6) अंतः क्षेत्रीय लिंकों के जरिए अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में अंतरण के जरिए उत्पादन का दक्ष समुपयोजन करना।

विवरण

अप्रैल-अक्तूबर, 1996 की अवधि के दौरान राज्य-वार ऊर्जा आवश्यकता तथा वास्तविक आपूर्ति की स्थिति

(आंकड़े मि.यू. निवल में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	प्रतिशत
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	542	542	0	0.0
दिल्ली	8585	8433	152	1.8
हरियाणा	8260	8116	144	1.7
हिमाचल प्रदेश	1290	1290	0	0.0
जम्मू और कश्मीर	2503	2079	424	16.9
पंजाब	13870	13616	254	1.8
राजस्थान	10375	10219	156	1.5
उत्तर प्रदेश	23290	20441	2849	12.2
उत्तरी क्षेत्र	68715	64736	3979	5.8
पश्चिम क्षेत्र				
गुजरात	21225	19469	1756	8.3
मध्य प्रदेश	17010	15387	1623	9.5
महाराष्ट्र	33535	31986	1549	4.6
गोवा	731	731	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	72501	67573	4928	6.8
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	23190	17434	5756	24.8
कर्नाटक	14060	10297	3763	26.8
केरल	6435	4863	1572	24.4
तमिलनाडु	20970	17911	3059	14.6
दक्षिणी क्षेत्र	64655	50505	14150	21.9
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	5580	3994	1586	28.4
डीवीसी	4875	4723	152	3.1
उड़ीसा	6015	5799	216	3.6
पश्चिम बंगाल	9110	8938	172	1.9
पूर्वी क्षेत्र	25580	23454	2126	8.3
उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	95.6	49.6	46.6	48.7
असम	1759.8	1601.2	158.6	9.0
मणिपुर	217.7	200.4	17.3	7.9
मेघालय	212.9	212.9	0.0	0.0
मिजोरम	101.0	86.7	14.3	14.3
नागालैंड	100.6	85.1	15.5	15.4
त्रिपुरा	270.4	210.7	59.7	22.1
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2758.0	2446.0	312.0	11.3
अखिल भारत	234209	208714	25495	10.9

1	2	3	4
	ताप विद्युत स्कीमें		
	पश्चिमी क्षेत्र		
3.	पागुथन सीसीजीटी (मै. जीटीईसीएल)	654.7	गुजरात
4.	हाजिरा सीसीजीटी (मै. एस्सार पावर लि.)	515	गुजरात
5.	बड़ौदा सीसीजीटी (मै. जीआईपीसीएल)	167	गुजरात
6.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी (मै. जीआईपीसीएल)	2×125=250	गुजरात
7.	दाभोल सीसीजीटी (मै. दाभोल पावर कंपनी ऑफ मै. एनरॉन, यूएसए)	2015	महाराष्ट्र
8.	भ्रदावती टीपीएस (मै. सैंट्रल इंडिया पावर कंपनी लि., निप्पन डेनरो इस्पात लि. द्वारा प्रवर्तित)	2×536=1072	महाराष्ट्र
	दक्षिणी क्षेत्र		
9.	जेगरूपाडु सीसीजीटी (मै. जीवीके इंडस्ट्रीज)	216	आंध्र प्रदेश
10.	गोदावरी सीसीजीटी (मै. एसपीजीएल)	208	आंध्र प्रदेश
11.	विजाग टीपीएस (मै. हिन्दुजा नेशनल कारपोरेशन प्राइवेट लि.)	2×500=1000	आंध्र प्रदेश
12.	टोरानागल्लु टीपीएस (मै. जिन्दल ट्रैक्टेबल पावर कंपनी लि.)	2×130=260	कर्नाटक
13.	मंगलौर टीपीएस (मै. मंगलौर पावर कंपनी जो कोर्जेट्रिक्स एनर्जी इनकोरपोरेटिड, यूएसए तथा जनरल इलैक्ट्रिक केपिटल कारपोरेशन की सहायक कंपनी है)	4×250=1000	कर्नाटक
14.	नेवेली टीपीएस-जीरो यूनिट (मै. एसटी-सीएमएस इलैक्ट्रिक कं.)	1×250=250	तमिलनाडु
15.	पिल्लैपेरूमालनाल्लुर सीसीजीटी (मै. देना मॉकॉस्की पावर कं.)	330.5	तमिलनाडु
16.	नॉर्थ मद्रास टीपीएस-2 (मै. विडियोकोन पावर लि.)	2×525=1050	तमिलनाडु
17.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (मै. जीएमआर वासावी पावर कोरपोरेशन लि.)	4×50=200	तमिलनाडु
	पूर्वी क्षेत्र		
18.	ईब वेली टीपीएस (यूनिट 3 व 4) (मै. आईबीपीएल)	2×210=420	उड़ीसा
19.	बालागढ़ टीपीएस (मै. बीपीसीएल)	2×250=500	पश्चिम बंगाल
	निजी क्षेत्र की उन स्कीमों का ब्यौरा जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।		
	जल विद्युत स्कीमें		
1.	मालाना एचईपी (राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि.)	2×43=86	हिमाचल प्रदेश
2.	एलाइन दुहांगन एचईपी (मै. राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड)	2×96=192	हिमाचल प्रदेश
3.	कारचम वांगट एचईपी (मै. जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.)	4×250=1000	हिमाचल प्रदेश
4.	धामवाड़ी सुंडा एचईपी (मै. धामवाड़ी पावर कंपनी)	2×35=70	हिमाचल प्रदेश
5.	हिबरा एचईपी (मै. धामवाड़ी पावर कंपनी)	3×77=231	हिमाचल प्रदेश
6.	यूएचएल 3 एचईपी (मै. बल्लरपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड)	2×50=100	हिमाचल प्रदेश
7.	विष्णुप्रयाग एचईपी (मै. जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.)	4×100=400	उत्तर प्रदेश
8.	श्रीनगर एचईपी (एच) (मै. डंकन्स इंडस्ट्रीज लि.)	5×66=330	उत्तर प्रदेश
9.	अपर कृष्णा एचईपी (अलमट्टी) मै. चामुंडी पावर कोरपोरेशन लि.)	1127	कर्नाटक

1	2	3	4
10.	कारबी लांग्पी एचईपी (असम सरकार, एएसईबी और बीएचपीसीएल का संयुक्त उद्यम)	2×50=100	असम
	ताप विद्युत स्कीमें		
	उत्तरी क्षेत्र		
1.	नई दिल्ली टीपीएस (मै. अपोलो एनर्जी कंपनी लि0)	300	दिल्ली
2.	युमना नगर टीपीएस (मै. यमुना नगर पावर कंपनी लि.)	2×350=700	हरियाणा
3.	धौलपुर सीसीपीपी (मै.आर पीजी धौलपुर पावर कं. लि.)	2×389=778	राजस्थान
4.	रोसा (फेस-1) टीपीपी (मै. इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कारपोरेशन)	2×250=500	उत्तर प्रदेश
5.	जवाहरपुर टीपीपी (मै. पैसेफिक इलैक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन कनाडा)	2×400=800	उत्तर प्रदेश
	पश्चिमी क्षेत्र		
6.	जामनगर टीपीएस नजदीक सिक्का (मै. रिलायंस पावर लि.)	2×250=500	गुजरात
7.	कोरबा (पश्चिम) टीपीपी (मै. इंडिया थर्मल पावर लि., मैं. मुकुंद लि. द्वारा प्रवर्तित)	2×210=420	मध्य प्रदेश
8.	ग्वालियर डीजीपीपी (मै. ग्वालियर पावर कं. लि.)	126	मध्य प्रदेश
9.	नरसिंहपुर डीजीपीपी (मै. ग्लोबल बोर्ड लि.)	125	मध्य प्रदेश
10.	बीना टीपीएस (मै. बीना पावर सप्लाई कंपनी लि.)	2×250=500	मध्य प्रदेश
11.	गुना सीसीजीटी (मै. एसटीआई पावर इंडिया लिमिटेड)	330	मध्य प्रदेश
12.	कोरबा (पूर्वी) टीपीएस (मै. डेवू पावर इंडिया लि.)	2×500=1000	मध्य प्रदेश
13.	भण्डेर सीसीजीटी (मै. एस्सार पावर (ग्वालियर) लि.)	330	मध्य प्रदेश
14.	पेंच टीपीपी (मै. पेंच पावर लिमिटेड)	2×250=500	मध्य प्रदेश
15.	कोरबा (पश्चिम) टीपीपी (मै. आरपीजी इंटरप्राइजिज)	2×250=500	मध्य प्रदेश
16.	भिलाई टीपीएस (मै. एल एंड टी, सैल ऑर सीईए इनकारपोरेटिड यूएसए)	2×250=500	मध्य प्रदेश
17.	झबुआ सीसीजीटी (मै. केडिया पावर लि.)	330	मध्य प्रदेश
18.	कोरबा (पूर्वी) टीपीएस-I (रिलोकेशन) (मै. मध्य भारत पावर कारपोरेशन लि., मै. आरएएसएल द्वारा प्रवर्तित)	3×30=90	मध्य प्रदेश
19.	पीतमपुर डीजीपीपी (मै. शापूरजी पालोनजी पावर कं. लि.)	8×15.8=126.4	मध्य प्रदेश
20.	राजगढ़ सीसीपी (मै. अल्पाइन पावर सिस्टम लि.)	330	मध्य प्रदेश
21.	खण्डवा नापथा सीसीजीटी (मै. मध्य भारत एनर्जी कारपोरेशन लि.)	150	मध्य प्रदेश
22.	कोरबा पूर्वी टीपीएस फेस-2 (मै. रायपुर एलॉइस एंड स्टील लि.)	210	मध्य प्रदेश
23.	रत्लाम डीजीपीपी (मै. नोवी पान इंडस्ट्रीज लि.)	120	मध्य प्रदेश
24.	रायगढ़ टीपीएस फेस-I (मै. जिंदल पावर लि.)	2×250=500	मध्य प्रदेश
25.	पातालगंगा सीसीपीपी (टी) (मै. रिलायंस पातालगंगा पावर प्राइवेट लि.)	410	महाराष्ट्र

1	2	3	4
	दक्षिणी क्षेत्र		
26.	रामागुंडम टीपीएस (मै. बीपीएल पावर प्रोजेक्ट (एपी)	2×250=500	आंध्र प्रदेश
27.	कृष्णापट्टनम टीपीएस "ए" (मै. जीवीके पावर लि.)	500	आंध्र प्रदेश
28.	जेगरूपाडु सीसीपीपी फेस-2 (मै. जीवीके इंडस्ट्रीज लि.)	235	आंध्र प्रदेश
29.	कोलार डीजीपीपी (मै. एचएमजी पावर (कोलार) लि.)	100	कर्नाटक
30.	बिदार डीजीपीपी (मै. एचएमजी पावर (बिदार) लि.)	100	कर्नाटक
31.	इंडी डीजीपीपी (मै. एचएमजी पावर (इंडी) लि.)	100	कर्नाटक
32.	जामखण्डी डीजीपीपी (मै. पावर (जामखण्डी) लि.)	100	कर्नाटक
33.	मण्ड्या सीसीपीपी (मै. मण्ड्या पावर पार्टनर्स प्राईवेट लि.)	145	कर्नाटक
34.	टेलगी डीजीपीपी (मै. केईआई एनर्जी लि.)	150	कर्नाटक
35.	नान्जनगुड सीसीपीपी (मै. आईपीएस पावर कंपनी)	110	कर्नाटक
36.	बिदादी सीसीपीपी (मै. कर्नाटक पावर	300	कर्नाटक कार्पोरेशन लि.
37.	बंगलोर सीसीपीपी (मै. पीनया पावर कंपनी)	100	कर्नाटक
38.	मैसूर टीपीएस (मै. मैसूर पावर जेनरेशन प्रा. लि.)	2×250	कर्नाटक
39.	मंगलौर टीपीएस (मै. नागार्जुन पावर कार्पोरेशन लि.)	1000	कर्नाटक
40.	होसपेट सीसीपीपी (मै. डेकन पावर कार्पोरेशन)	500	कर्नाटक
41.	हासन सीसीपीपी (मै. हासन पावर सप्लाई कं. लि.)	200	कर्नाटक
42.	धारवाड़ टीपीएस (मै. चेलेस होल्डिंग)	300	कर्नाटक
43.	बंगलौर टीपीएस (मै. एनआरआई कैपिटल कार्पोरेशन)	500	कर्नाटक
44.	कन्नूर सीसीजीटी (मै. कन्नूर पावर प्रोजेक्ट)	500	केरल
45.	अम्बलमुगल सीसीपीपी (मै. कोचिन रिफाइनरीज लि.)	500	केरल
46.	कसरगोड सीसीजीटी चिमेनी में प्लांट (मै. बीपीएल पावर प्रोजेक्ट)	500	केरल
47.	कसरगोड सीसीजीटी (मै. फिनोलेक्स एनर्जी कार्पोरेशन)	500	केरल
48.	कसरगोड सीसीजीटी (मै. कसरगोड पावर कार्पोरेशन ल.)	2×389=778	केरल
49.	पलक्कड सीसीपीपी (मै. पलक्कड पावर कार्पोरेशन लि.)	330	केरल
50.	कोजीकोड डीजीपीपी (मै. डब्ल्यू.आई. सर्विस एंड एस्टेट लि.)	100	केरल
51.	कसरगोड डीजीपीपी (मै. कसरगोड पावर कार्पोरेशन लि.)	60	केरल
52.	कोट्टकल डीजीपीपी (मै. कुमार्स एनर्जी कार्पोरेशन लि.)	348	केरल
53.	वियर्पान सीसीपीपी (मै. सियासिन एनर्जी प्रा. लि.)	650	केरल
54.	समायनाल्लुर डीजीपीपी (मै. बालाजी कार्पोरेशन लि.)	100	तमिलनाडु
55.	तूतिकोरिन टीपीपी चरण-IV (मै. स्पिक इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि.)	1×500=500	तमिलनाडु
56.	कड्डलोर टीपीएस (मै. कड्डलोर पावर कंपनी)	2×660=1320	तमिलनाडु
57.	जयाकोंडम लिग्नाइट टीपीपी (मै. जयाकोंडम लिग्नाईट पावर कार्पोरेशन लि.)	550	तमिलनाडु

1	2	3	4
58.	एन्नौर टीपीएस (जिंग यी टीपीएस को मद्रास में स्थानांतरित करना)	1380	तमिलनाडु
59.	उत्तर मद्रास टीपीएस चरण-3 (मै. त्रि-शक्ति एनर्जी प्रा. लि.)	500	तमिलनाडु
60.	वेम्बर जीटीपीपी (मै. इंडियन पावर प्रोजेक्टस लि.)	2000	तमिलनाडु
61.	कट्टूपल्ली सीसीपीपी (मै. जीवीके जेनरेशन लि.)	1000	तमिलनाडु
62.	समालपट्टी डीजीपीपी (मै. समलपट्टी पावर कंपनी)	100	तमिलनाडु
	पूर्वी क्षेत्र		
63.	जोजोबेरा टीपीपी (मै. जमशेदपुर पावर कंपनी लि.)	3×67.5=202.5	बिहार
64.	डुबुरी टीपीएस (मै. कलिंगा पावर कार्पोरेशन लि.)	2×250=500	उड़ीसा
65.	हीरमा टीपीएस (मै. सीईपीए (इं) प्रा. लि.)	6×660=3960	उड़ीसा
66.	बोमलई टीपीएस (मै. इंडेक बोमलई एनर्जी सेन्टर लि.)	2×250=500	उड़ीसा
67.	लापांगा टीपीएस (मै. सामालई पावर (लापांगा) कंपनी)	2×250=500	उड़ीसा
68.	दुर्गापुर टीपीएस (मै. जे.के कार्पोरेशन लिमिटेड)	2×250=500	उड़ीसा
69.	सागरडिगी टीपीएस (मै. सागरडिगी पावर कंपनी लि.)	2×500=1000	पश्चिम बंगाल
70.	गौरीपोर टीपीएस (मै. गौरीपोर पावर कंपनी लि.)	150	पश्चिम बंगाल
71.	बज-बज टीपीएस (मै. सीईएससी)	500	पश्चिम बंगाल
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
72.	नामरूप सीसीपीपी (मै. असम वैली पावर कार्पोरेशन लि.)	120	असम

भूतापीय परियोजनाएं

*13. **श्री पी.नामग्याल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख की पुगा पी.यू.जी.ए. घाटी में भूतापीय क्षमता का पता लगाने के लिए कोई खोज कार्य शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार का पुगा घाटी में भूतापीय क्षमताओं का दोहन करके विद्युत उत्पादन करने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लद्दाख की पुगा घाटी में भूतापीय खोज और अन्य परियोजनाओं पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). जी हां। विद्युत उत्पादन और साथ ही प्रत्यक्षतः ताप अनुप्रयोगों के लिए भूताप क्षेत्रों से उपलब्ध संभाव्यता का आकलन करने की दृष्टि से भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जी एस आई द्वारा प्रथम सुव्यवस्थित और विस्तृत भूतापीय खोज कार्य पुगा घाटी में वर्ष 1973 में किया गया। खोज संबंधी खुदाई में उथले गरम जल भंडारों की मौजूदगी का पता लगा है।

(ग) और (घ). भूतापीय छिद्रों की खुदाई 380 मीटर की गहराई तक की जा सकती है। तथापि, विद्युत के उत्पादन के लिए अपेक्षाकृत अधिक गहरी खुदाई करनी होती है अर्थात् 1.5 किमी. से 2 किमी. तक। मुर्गी पालन और खुम्भी उत्पादन कार्य में ताप के रूप में भूतापीय ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए एक परियोजना अभी चल रही है।

(ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पूगा भूताप क्षेत्र में भूताप का पता लगाने के लिए मार्च, 1994 तक कुल 129.90 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा भी पूगा और निकटवर्ती भूताप क्षेत्रों में खोज कार्य पर 57.96 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई है। ग्रीनहाउस उत्पादन और मुर्गी पालन के लिए भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने हेतु अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय ने क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला आर.आर.एल. जम्मूतवी के माध्यम से वर्ष 1991 में एक परियोजना आरंभ की। इस परियोजना में 20 लाख रुपए का कुल परिव्यय 31.3.1997 तक शामिल है और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला आर.आर.एल. को 19.70 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है।

"ग्वालियर काउंटर मेगनेट सिटी" परियोजना

*14. **डा. राम लखन सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 से 1996 के दौरान वर्ष-वार केन्द्र सरकार द्वारा "ग्वालियर काउंटर मेगनेट सिटी" परियोजना के लिए मध्य प्रदेश को कुल कितनी राशि प्रदान की गई;

(ख) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन से कुल कितने गांवों के उजड़ने की आशंका है और कितने एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है;

(ग) विस्थापित व्यक्तियों का किस प्रकार से पुनर्वास करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस समय यह परियोजना किस चरण में है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) ग्वालियर काउंटर मैगनेट सिटी के लिए मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी कुल वर्ष-वार राशि इस प्रकार है :-

वर्ष	राशि
1991-92	1.00 करोड़ रुपये

(अन्य वर्षों में "शून्य")

(ख) ग्वालियर काउंटर मैगनेट परियोजना के कार्यान्वयन से किसी भी गांव के उजड़ने की संभावना नहीं है। केवल 432 हेक्टर कृषि भूमि के अग्रहण का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ग्वालियर काउंटरमेगनेट परियोजना ही अभी नियोजन स्तर पर है।

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

*15. **श्री अनंत कुमार हेगड़े :**
प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का कार्यक्रमवार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित और मंजूर की गई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी;

(घ) क्या 1996-97 के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख). राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) लम्बित प्रस्तावों पर निर्णय संबंधित राज्य सरकारों/अन्य एजेन्सियों से मांगे गए स्पष्टीकरणों के प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा।

(घ) और (ङ). जी, हां। 1996-97 के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है और लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि की समीक्षा त्रैमासिक आधार पर की जाती है।

विवरण-I

जवाहर रोजगार योजना (तृतीय चरण) के संबंध में पिछले तीन वर्षों 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य	राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या			केन्द्र द्वारा मंजूर की गई			केन्द्र सरकार द्वारा रद्द संख्या		
		1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	8	4	5	2	1	4	6	1	-
2.	बिहार	4	12	12	2	4	3	2	1	4
3.	गुजरात	-	3	4	-	-	1	-	3	2
4.	हरियाणा	-	3	1	-	-	-	-	2	1
5.	हिमाचल प्रदेश	1	5	-	1	1	-	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	जम्मू और कश्मीर	2	2	–	2	1	–	–	–	–
7.	कर्नाटक	15	7	5	4	2	2	11	5	2
8.	केरल	1	6	–	–	–	–	1	3	–
9.	मध्य प्रदेश	4	12	18	3	1	2	1	10	10
10.	महाराष्ट्र	–	5	1	–	2	1	–	1	–
11.	मणिपुर	1	1	–	1	–	–	–	1	–
12.	उड़ीसा	1	3	8	1	–	4	–	–	–
13.	राजस्थान	–	1	–	–	1	–	–	–	4
14.	सिक्किम	1	–	–	1	–	–	–	–	–
15.	तमिलनाडु	8	6	6	2	–	1	6	6	3
16.	त्रिपुरा	–	3	1	–	1	–	–	2	–
17.	उत्तर प्रदेश	6	9	5	3	3	–	3	5	3
18.	पश्चिम बंगाल	1	3	–	1	–	–	–	3	–

विवरण II

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत उप-मिशन के संदर्भ में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत तथा केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर परियोजनाओं की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	
		राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई	केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित/वापिस भेजी गई
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14	8
2.	असम	3	2
3.	गुजरात	2	–
4.	हरियाणा	2	2
5.	जम्मू और कश्मीर	2	2
6.	केरल	4	2
7.	मध्य प्रदेश	2	2
8.	उड़ीसा	14	–
9.	पंजाब	2	2
10.	राजस्थान	4	3
11.	उत्तर प्रदेश	3	3
12.	पश्चिम बंगाल	2	–

इंदिरा आवास योजना

***16. श्री तारीक अनवर** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंदिरा आवास योजना और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु राज्यों को हुडको से ऋण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजराप्पू येरननायडू) : (क) से (ग). इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को शत-प्रतिशत अनुदान सहायता के आधार पर मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। हुडको से इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को ऋण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वर्तमान में हुडको में एक ग्रामीण आवास कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें अपनी आवास विकास एजेंसियों की मार्फत हुडको से ऋण प्राप्त करती हैं।

विद्युत टैरिफ

***17. श्री नीतीश कुमार :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अक्टूबर, 1996 के "द इकॉनामिक टाइम्स" में "पावर टैरिफ इन इंडिया टैन टाइम्स देट

अब्राड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत टैरिफ का औसत अन्य कई देशों की तुलना में बहुत अधिक है; और

(ग) नार्वे, स्वीडन, अमरीका, फ्रांस, ब्राजील और इंग्लैंड में विद्युत टैरिफ कितना-कितना है और भारत में टैरिफ की तुलना में यह कितना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). नार्वे, स्वीडन, यू एस ए, फ्रांस और यू.के. में औद्योगिक तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू विद्युत टैरिफ तथा इसकी भारत के साथ तुलना संलग्न विवरण में दी गई है। भारत में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए औसतन विद्युत टैरिफ यू.के. को छोड़कर उपरोक्त देशों से अधिक है। तथापि, भारत में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत टैरिफ उपरोक्त देशों से काफी कम है।

विवरण

पैसे/कि.वा. घं.

1995 की प्रथम तिमाही की स्थिति अनुसार

	देश	औद्योगिक	घरेलू
1.	नार्वे	118	256
2.	स्वीडन	133	319
3.	यूएसए	155	271
4.	फ्रांस	185	490
5.	ब्राजील	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6.	यू.के.	228	406
7.	भारत (94-95)	221	91

गैस की खोज

*18. **श्री चित्त बसु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल बेसिन में गैस तथा तेल की खोज के संबंध में किंस्टन समिति की रिपोर्ट की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष रहे; और

(ग) क्या किंस्टन समिति की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्ययोजना तैयार की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) बंगाल बेसिन के संबंध में श्री जान किंगस्टन की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

(1) कुछ ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त द्विआयामी और त्रिआयामी आंकड़ों का अर्जन, जिन्हें 1996-97 के दौरान अर्जित करने की योजना पहले ही बनाई गई है।

(2) विद्यमान आंकड़ों की समीक्षा और पुनः निर्वचन।

(3) और आगे अन्वेषणात्मक वेधन तभी किया जाए जब पक्के तौर पर घेराबन्दी हो जाए तथा उच्च गुणवत्ता वाले क्षेत्रों का निश्चय हो जाए। किसी भी हालत में तीन वर्षों के लिए कोई भी वेधन न करने की सिफारिश की जाती है।

(ग) जी, हां।

असम गैस क्रैकर परियोजना

*19. **श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी** :
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम गैस क्रैकर परियोजना हेतु किस स्थान का चयन किया गया है और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में आकलन कराने के पश्चात उक्त क्षेत्र के अधिग्रहण तथा विकास हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस संबंध में क्या सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) 347 एकड़ भूमि टेंगाखाट, डिबरूगढ़ में परियोजना को सौंप दी गई है। 903 एकड़ और भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण औपचारिकतायें पूरी होने के पश्चात पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन आरम्भ किया जाएगा।

(ख) परियोजना के लिए 377 करोड़ रुपए की पूंजीगत राज सहायता स्वीकृत की गई है। पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए 600 रुपये प्रति हजार घन मीटर का रियायती गैस मूल्य नियत किया गया है।

आर्थिक पैकेज

*20. **श्री बादल चौधरी** :
श्री बाजु बन रियान :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के अपने हाल के दौरे के दौरान उन क्षेत्रों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घोषित राशि संबंधित राज्यों के वार्षिक योजना आबंटन के अतिरिक्त दी जाएगी;

(घ) यदि नहीं, तो क्या राशि जारी करते समय केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विभिन्न बकाया देनदारियों के एवज में स्रोत पर कटौती संबंधी नीति में पूर्वोत्तर राज्यों को छूट दी जाएगी ताकि उनके द्वारा "पैकेज" को लागू किया जा सके;

(ङ) प्रधान मंत्री द्वारा अपने उपरोक्त दौरे के दौरान की गई अन्य घोषणाओं के संबंध में ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ङ). प्रधान मंत्री द्वारा 27 अक्टूबर, 1996 को गुवाहाटी में जारी किया गया वक्तव्य जिसमें विभिन्न उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं सहित, जिन्हें सरकार ने शुरू करने का निर्णय लिया है, उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पैकेज के विभिन्न भागों को केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए उपयुक्त आवंटनों तथा राज्य योजना के अंतर्गत किए गए प्रावधानों और आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त आबंटन द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमियों की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग गठित करने की भी परिकल्पना की गई है। जिसकी सिफारिशों पर उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने और वित्त व्यवस्था के संबंध में योजना आयोग द्वारा विचार किया जायेगा।

विवरण

उत्तर पूर्व के सात राज्यों की मेरी पहली यात्रा समाप्त होने को है। मेरे लिए यह बहुत ही प्रेरक अनुभव रहा है। लोगों का स्नेह मुझे यहां फिर लायेगा। मैं इस क्षेत्र में लोगों, उनकी आकांक्षाओं, उनकी समस्याओं को जानने के लिए आया हूं कि वे कैसा महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं। मैं खुले मन से आया हूं। मैं एक सुखद अनुभव के साथ और इस पक्के इरादे से वापस लौट रहा हूं कि इस क्षेत्र में विकास की नई शुरूआत करने के लिए लोगों के साथ मिलकर काम करूं। मैं जहां कहीं भी गया, समाज के विभिन्न समुदायों के लोग बड़ी संख्या में मुझसे मिलने आए। उन्होंने मित्रवत और निडर होकर अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, अपनी आंशकाओं और अपनी आशाओं से मुझे अवगत कराया। मेरी यात्रा के दौरान लोगों ने मुझे जो स्नेह दिया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं।

मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यदि हम सभी एक साथ मिलकर कार्य करें और अच्छे भविष्य की आशा रखें तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यात्रा के दौरान लोगों ने मुझे जितना प्रेम और स्नेह दिया है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं।

मैंने मंत्रियों, राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा सुरक्षा सेना के अधिकारियों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य की राजधानी में, विभिन्न समुदाय क लोगों, जैसे राजनीतिक दल के नेताओं, स्वायत्त जिला परिषद के प्रमुखों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्यार्थी यूनियनों, महिला संगठनों, पादरी नेताओं, और प्रेस से भी मिला तथा इस राज्यों की स्थिति की प्रत्यक्ष जानकारी हासिल की।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन से संपन्न है। वास्तव में, 100-150 वर्ष पहले असम देश के आर्थिक विकास में एक अग्रणी राज्य था यह एक अग्रगामी राज्य था और साहसी उद्यमियों ने चाय बागान, तेल, कोयला खनन, वानिकी, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में पूंजी निवेश किया। किन्तु, हाल ही के वर्षों में, पूंजी निवेशक इस क्षेत्र में रूचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ राज्य अंतर्मुखी हो गये, जबकि कुछ राज्य उग्रवाद और आतंकवाद से प्रभावित हो गये। इससे यहां आतंकवाद का दुष्चक्र शुरू हो गया है, पूंजी निवेश तथा आर्थिक विकास हतोत्साहित हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है जिसके चलते आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। आज यहां न कोई बड़े उद्योग ही हैं और न ही कोई आर्थिक कार्यकलाप हैं। जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। इन सभी राज्यों में रोजगार का एकमात्र रास्ता सरकारी नौकरी ही है। किन्तु, सरकारी नौकरी में इतने अधिक लोगों को नहीं खपाया जा सकता है। साथ ही सरकारी नौकरी में बहुत अधिक लोगों को शामिल करने से अकार्यकुशलता आती है। बेरोजगारी अथवा उग्रवाद को दूर करने का एकमात्र रास्ता यह है कि क्षेत्र का चहुमुखी आर्थिक विकास किया जाए ताकि समृद्धि लाई जा सके।

उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को सबसे ज्यादा उद्वेलित करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न विदेशी नागारिकों की पहचान से संबंधित है। अखिल असम छात्र यूनियन तथा विभिन्न अन्य व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान मैंने इस मुद्दे की विस्तृत रूप से समीक्षा की है। मुझे यह बताया गया है कि विदेशियों की पहचान के लिए मौजूदा कानून, यथा आईएमडीटी (अधिनियम, 1983) यथा संशोधित, प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ है। हम राज्यों के साथ परामर्श करके अप्रभावी कानूनों को समाप्त करने और विदेशियों से संबंधित वैधानिक एवं प्रशासनिक उपायों को सुदृढ़ बनायेंगे। इसके अलावा, उपयुक्त स्थानों पर बाड़ लगाने सहित सीमा पर पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जायेगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से कुछ राज्यों में अशान्ति को बढ़ावा मिला है, विभिन्न जाति समूहों द्वारा पहचान समाप्ति की भावना है तथा यह भावना है कि केन्द्र इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये भावनाएं पूरी तरह से उचित हो सकती हैं या नहीं भी। लेकिन ऐसी भावना जरूर है। इस भावना को समाप्त करना और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकसित विद्यमान विकास को सुनिश्चित करना हमारा प्रयास होगा। ताकि एक विशिष्ट समय अवधि में यह क्षेत्र देश के शेष भागों के स्तर तक पहुंच सके। मेरा विश्वास है कि पूरा भारत तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्य सहित प्रत्येक राज्य देश के शेष भाग के साथ-साथ न चलें।

काफी समय से उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में निरर्थक हिंसा फैली हुई है। काफी समय से कतिपय दिगभ्रमित तत्व अपने भाइयों, साथी नागरिकों की हत्यायें कर रहे हैं और लूटखसोट तथा अपहरण आदि का मार्ग अपना रहे हैं। हिंसा से किसी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं उन सभी लोगों से, जिन्होंने आतंकवाद का मार्ग अपनाया है, सही रास्ते पर आने की अपील करना चाहूंगा मेरा विश्वास है कि सभी समस्यायें आपसी विचार विमर्श से हल की जा सकती हैं। मैं उग्रवादियों सहित किसी भी वैयक्तिक दल को बिना किसी पूर्व शर्त के मुझसे मिलने तथा अपनी उचित शिकायतों पर चर्चा करने का आमंत्रण देता हूं। मैं उनके विचारों को सच्चे मन से समझना चाहता हूं कि उन्हें वस्तुतः क्या परेशानी है। साथ ही साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, और उसका कड़ाई से सामना किया जायेगा। हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्री पूर्ण संबंध चाहते हैं और आशा करते हैं कि सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा अथवा भारत से उग्रवादी दलों को सहायता न दें।

बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए क्षेत्र में उत्पादी निवेशकों की आवश्यकता होगी इस दृष्टि से पहले उपाय के रूप में मेरी सरकार निम्नांकित कदम उठायेगी।

(क) बुनियादी ढांचे में कमियों और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए आयोग का गठन।

महत्वपूर्ण सेक्टरों, विशेषतया विद्युत, संचार, रेलवे, सड़क, शिक्षा, कृषि आदि में कमियों का पता लगाने के लिए 30 दिन के भीतर एक उच्चस्तरीय आयोग गठित किया जायेगा। आयोग, सात उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में बेकलॉग की गंभीरता से जांच करेगा। आयोग, इन आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के पश्चात् नीतियां, कार्यक्रम, तथा निधि आवश्यकताओं को सुझायेगा। ताकि सात उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचागत सेक्टरों में कमियों तथा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में बेकलाग को दूर किया जा सके। यह आयोग तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। और योजना आयोग इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नौवी पंचवर्षीय योजना में उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करेगा और वित्तीय व्यवस्था करेगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नौवी पंचवर्षीय योजना में वार्षिक योजना आबंटनों के अलावा वार्षिक आधार पर अतिरिक्त पर्याप्त निधियां उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार अवसरों के सृजन को प्राथमिकता।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों से संबंधित समस्या के सभी पहलुओं की जांच करने तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में शिक्षित बेरोजगारों के मध्य रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तत्काल विशिष्ट उपाय सुझाने के लिए एक माह के अंदर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा। उत्पादी रोजगार सृजन के लिए सुसंगत बुनियादी ढांचा व्यापक प्रशिक्षण एवं स्कीमें, विशेष रूप से प्रत्येक उत्तर पूर्वी राज्य के संबंध में सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए तैयार की जायेगी। उच्च स्तरीय समिति तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी और एक समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए एक रूपरेखा की सिफारिश करेगी। राज्य सरकार तथा संबंधित राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं/केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा सिफारिशों को सीधे ही क्रियान्वित किया जायेगा। हम नौवी योजना में उत्तर पूर्व में रोजगार सृजन को भी उच्च प्राथमिकता देंगे।

ढांचागत तथा रोजगार संबंधी इन दोनों समितियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र से विशेषज्ञों को सहबद्ध किया जायेगा।

(ग) सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में उत्तर पूर्वी उप योजना सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत उत्तर पूर्वी राज्यों में विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम तेजी से कार्यान्वित किये जाये।

(घ) केन्द्रीय मंत्रालयों/सचिवों द्वारा दौरे और गहन मानिटरिंग

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी मंत्री एवं सचिव, विशेष रूप से वे जो सामाजिक सेक्टरों, पेट्रोलियम, भूतल परिवहन, रेलवे, नागरिक विमानन, पर्यटन, जल संसाधन आदि के प्रभारी हैं। वे तीन माह में कम से कम एक बार सभी उत्तरी पूर्वी राज्यों का दौरा करेंगे और अपनी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देख-रेख करेंगे।

(ङ) चालू परियोजनाओं की पूर्ण वित्त व्यवस्था

पर्याप्त निधियों के अभाव के कारण उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राजमार्गों, रेलवे, विद्युत आदि से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है। नूमालीगढ़ रिफाइनरी सहित सभी चालू केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए पूर्ण वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। गृह मंत्रालय, योजना आयोग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय तिमाही आधार पर इन परियोजनाओं की नियमित निगरानी करेंगे ताकि समय सारणी के अनुसार इनका पूरा होना सुनिश्चित कराया जा सके।

(च) व्यापक जल प्रबंधन तथा बाढ़ नियंत्रण उपाय

इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए बाढ़ नियंत्रण तथा जल प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैंने हाल ही में अपने देश में व्यापक जल प्रबंधन हेतु तात्कालिक उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग गठित किया है। यह आयोग उत्तर पूर्व बाढ़ नियंत्रण तथा व्यापक जल प्रबंधन पहलुओं की जांच करेगा तथा सिफारिशें करेगा। ब्रह्मपुत्र बोर्ड को तत्काल प्रभाव से सक्रिय किया जायेगा ताकि बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन तथा जल प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं की सूची तैयार की जा सके। जल निकासी तथा परिवहन के लिए अंतर्देशीय जल मार्गों को और अधिक सुचारू बनाने के लिए ड्रेजिग आपरेशन शुरू किए जायेंगे। सभी ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण परियोजना कार्यों के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान दिया जायेगा।

(छ) रोजगार आश्वासन स्कीम के माध्यम से पूर्ण कवरेज

31.3.1997 तक रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) का उत्तर पूर्वी राज्यों में सभी ब्लॉकों में विस्तार कर दिया जायेगा।

(ज) सीमांत सड़कों/बीएडीपी कार्यक्रमों का विस्तार।

कुछ राज्यों की मांग के अनुसार, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमांत सड़क कार्यक्रम को भारत म्यामार सीमा पर कुछ और क्षेत्रों तक बढ़ाया जायेगा।

(झ) दूर संचार एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से उत्तर-पूर्व का पूर्ण कवरेज।

दूरसंचार/दूरदर्शन/आकाशवाणी कवरेज को आगे बढ़ाया जायेगा ताकि नौंवी योजना के अंत तक मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, और अरुणाचल प्रदेश की शत प्रतिशत आबादी को कवर किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ कम से कम 50 करोड़ रु. अलग से निर्धारित किये जायेंगे।

(ञ) उत्तर पूर्व के लिए उन्नत ऋण प्रवाह।

उद्योग, कृषि तथा स्वरोजगार स्कीमों के लिए और अधिक ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिप्टी गर्वनर की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक में एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।

(ट) नई औद्योगिक नीति।

एक नई औद्योगिक नीति विशेष रुप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र और इसकी आवश्यकताओं के लिए, पर विचार किया जायेगा। और 31.3.1997 तक इसे घोषित कर दिया जायेगा ताकि निजी निवेश (घरेलू तथा विदेशी) को बढ़ावा दिया जा सके।

(ठ) विकेन्द्रीकरण।

इस क्षेत्र में, जिला तथा उप-जिला स्तरों पर और अधिक विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है ताकि निर्णय संबंधी प्रक्रिया में लोगों को शामिल किया जा सके। भारत सरकार सक्रियता से ऐसे विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देगी।

(ड) पर्यटन का विकास।

सम्पूर्ण उत्तर-पूर्व के लिए एक एकीकृत पर्यटन विकास योजना तैयार की जा रही है। इससे विभिन्न राज्यों में कुछ पर्यटन सर्किटों का विकास होगा।

(ढ़) केन्द्रीय एजेंसियों को सुदृढ़ बनाना

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, कृषि, व्यापार, उद्योग के प्रोत्साहन से संबंधित कतिपय केन्द्रीय एजेंसियों, जैसे कि नाबार्ड, विभिन्न वस्तु बोर्डो आदि को सुदृढ़ किया जायेगा।

(ण) निर्यात नीति

वाणिज्य मंत्रालय, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा देने की दृष्टि से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए सीमांत व्यापार सहित एक निर्यात नीति तैयार करेगा।

(त) नारकोटिक्स तथा एड्स के नियंत्रण के उपाय

केन्द्र, एड्स, नारको-ट्रेफिकिंग तथा नशे की आदत के नियंत्रण के लिए कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में संस्थागत व्यवस्थाओं तथा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के तात्कालिक उपाय करेगा तथा इन सभी प्रयोजनों के लिए पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध करायेगा।

(थ) रेल सेवाओं में सुधार

क्षेत्र में रेलों के निष्पादन, नियमितता तथा सेवा को उन्नत बनाया जाएगा। चालू रेलवे परियोजनायें, जैस कि नई लाईनें, गेज परिवर्तन आदि को पर्याप्त निधियों के जरिये शीघ्र पूरा किया जायेगा। राज्यों द्वारा बिना रेल हेड अथवा बहुत सीमित पहुंच की प्रस्तावित नई रेलवे लाईनों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जायेगा।

मैं उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्ष में कम से कम दो बार आने का इरादा रखता हूं ताकि मुझे यह संतोष हो कि इन राज्यों में विकास की योजनाऐं तथा कार्यक्रम सही ढंग से क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

अन्त में जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रधान मंत्री कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि ये सभी प्रतिबद्धतायें और कार्यक्रमों के पैकेज तथा शुरू की जा रही स्कीमें भी समय सारणी के अनुसार कार्यान्वित की जा रही हैं और कार्यान्वयन में प्रगति की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाए।

मेरी यात्रा के दौरान कई अन्य मुद्दे भी उठाये गये हैं। दिल्ली वापिस जाने पर मैं योजना आयोग तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श करूंगा और अगले एक माह के अंदर इन मामलों पर निर्णय ले लूंगा। बाद में मुख्य मंत्रियों से इन मुद्दों पर विचार विमर्श करने के पश्चात् ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रयास में मैं सभी मुख्य मंत्रियों, राजनैतिक दलों, छात्र संघों, संचार माध्यमों और इन राज्यों के सभी लोगों की पूरे मन से सहयोग देने का अनुरोध करता हूं। समस्याग्रस्त राज्यों में शान्ति तथा सद्भावना के लिए अभियान शुरू करने हेतु हम सब को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए विश्वास तथा आशा का एक उपयुक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान संघर्ष के स्थान पर स्थायी शान्ति, घृणा के स्थान पर तालमेल और आपसी विश्वास का वातावरण तैयार करना जरूरी है। एक ही देश की संतान हैं। हम एक परिवार के सदस्य हैं। हमारा भविष्य तथा समृद्धि हम सभी के लिए समान है। हमें अपनी चिंताओं और समृद्धि को बांटना चाहिए। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी नौकरशाही के निष्पादन में सुधार करें और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कदम उठाएं तथा सेवाओं के बेहतर निष्पादन के लिए सरकारी मशीनरी को सुदृढ़ करें। मुझे विश्वास है अपनी यात्रा के दौरान लोगों के अत्यधिक उत्साह को देखते हुए मुझे विश्वास है कि उत्तर पूर्व के सभी लोग मुझे अपना पूरा सहयोग देंगे।

मेरे साथ विचार विमर्श के दौरान राज्य सरकारों ने विभिन्न परियोजनाओं का प्रस्ताव किया जिनका क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता है। हमने सभी प्रस्तावों की जांच कर ली है। सरकार द्वारा आंरभ करने के लिए प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की राज्यवार सूची संलग्न है।

मिजोरम

1. 425 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली तुईयल हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना को इस वर्ष मंजूरी दे दी जायेगी।

2. 40 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली चुनिंदा विशेषताओं तथा 200 सायिकाओं के एक राज्य संदर्भ (रिफरल) अस्पताल की मंजूरी; राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी है। 31.3.1997 से पूर्व मंजूरी के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार संयुक्त रूप से 31.12.1996 तक परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी।

3. 130 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के साथ सिवेज स्कीम सहित आइजोल शहरी पेय जल आपूर्ति स्कीम के दूसरे चरण को मंजूरी। केन्द्र 75 प्रतिशत निधियां उपलब्ध करायेगा, शेष 25 प्रतिशत निधियाँ राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी। कार्य को तीन वर्षों में पूरा किया जाना है।

4. 30 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ सीमांत सड़कों/बीएडीपी को 1997-98 के आगे क्रियान्वयन हेतु मंजूरी दी जायेगी।

5. 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी के साथ इस वर्ष एक औद्योगिक विकास केन्द्र को मंजूरी दी जायेगी।

त्रिपुरा

1. 525 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुमारघाट-अगरतल्ला रेल परियोजना के 3 से 5 वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई जाएगी।

2. 31.3.1997 से पहले दो भारतीय रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी जाएगी (अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये)

3. अगरतल्ला विमानपत्तन पर सुविधाओं के उन्नयन के लिए 34 करोड़ रुपये मुहैया कराए जायेंगे।

4. एक एल पी जी बाटलिंग प्लांट स्थापित किया जायेगा (15 करोड़ रुपये)

5. 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी से एक औद्योगिक विकास केन्द्र।

6. नौवीं पंचवर्षीय योजना में 60 करोड़ रुपये की लागत पर अगरतल्ला से सबरूम तक राज्य राजमार्ग का उन्नयन।

मणिपुर

1. 31.3.1997 से पहले 130 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सीमा सड़क संगठन द्वारा एन एच 53 के उन्नयन/चौड़ा करने की मंजूरी 31.3.1997 से पहले दी जाएगी और काम 1997-98 में शुरू होगा।

2. इम्फाल में राष्ट्रीय खेल 1997 के लिए आधारसंरचना सुविधाओं के हेतु 17.10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जाएगी।

3. इस वर्ष 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी से एक औद्योगिक विकास केन्द्र को मंजूरी दी जाएगी।

4. मणिपुर के लिए एक एल पी जी बाटलिंग प्लांट को मंजूरी दी जाएगी (15 करोड़ रुपये)

5. 90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर आर आई एम एस (रिम्स) इम्फाल के उन्नयन के लिए परियोजना के द्वितीय चरण को 31.3.97 तक मंजूरी दी जाएगी।

6. 426 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इस वर्ष लोकटाक डाउन स्ट्रीम एच ई पी को इस वर्ष मंजूरी दी जाएगी।

7. 15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मरम्मत (एन एच 39) से फेवंग (59 किलोमीटर) सीमा लिंकिंग सड़कों के निर्माण कार्य को इस वर्ष मंजूरी दी जाएगी।

अरुणाचल प्रदेश

1. इटानगर और नहरलगुन (36 करोड़ की अनुमानित लागत) हेतु जल आपूर्ति स्कीमों के लिए मंजूरी राज्य सरकार से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होते ही दे दी जाएगी।

2. अरुणाचल प्रदेश में जैव विविधता अध्ययनों के लिए एक संस्थान स्थापित किया जायेगा (10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत)।

3. नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इटानगर में नये विमानपत्तन के निर्माण कार्य को शुरू किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा भूमि मुफ्त मुहैया कराई जाएगी।

4. भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश में विशेष रूप से जल विद्युत उत्पादन, पर्यटन और कृषि संसाधन के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निवेश को बढ़ावा देगी।

5. 12.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लीलाबाड़ी विमान पत्तन के सुधार जिसमें रनवे आदि का विस्तार शामिल है को 31.3.97 से पहले मंजूरी दी जाएगी।

6. इटानगर से गोहपुर तक एन एच 52 ए के विस्तार के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और इसे नौवीं पंचवर्षीय योजना में मंजूरी दी जाएगी।

7. 31.3.97 तक अरुणाचल प्रदेश के लिए दो भारतीय रिजर्व बटालियनों को मंजूरी दी जाएगी (अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये)

8. केन्द्रीय सरकार इटानगर में नये असेंबली हाल के निर्माण के लिए 75 प्रतिशत अनुदान मुहैया करायेगी जिसकी नींव 10 वर्ष पहले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा रखी गई थी।

नागालैंड

1. बोयंग एच ई पी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि (दो वर्ष में 127.80 करोड़ रुपये) मुहैया करायी जायेगी।
2. गुवाहाटी से दीमापुर और कोडिमा के बीच 75 प्रतिशत केन्द्रीय सब्सिडी (15 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष) से हेलीकाप्टर सेवा मुहैया कराई जाएगी।
3. 30 करोड़ रुपये की लागत पर 17 किलोमीटर के एन एच 39 के चार लेन किए जाने की मंजूरी दी जायेगी।
4. दीमापुर विमान पत्तन का विकास (रनवे का विस्तार) और आई एल एस की स्थापना) (15 करोड़ रुपये)।
5. नागालैंड विश्वविद्यालय के लिए अतिरिक्त आधारसंरचना के लिए 10 करोड़ रुपये।
6. कोहिमा में भिजवाये जाने की सुविधाओं के लिए जिला अस्पताल का उन्नयन (25 करोड़ रुपये)
7. 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी से औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना।
8. डिबरूगढ़ से दीमापुर खण्ड के लिए गेज परिवर्तन कार्य को मंजूरी दी जाएगी।
9. आई ए वाई के अंतर्गत ग्राम विकास बोर्ड को आवासों के लिए 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन
10. दीमापुर से वाया गुवाहाटी दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रैस शुरू की जाएगी।
11. दीमापुर से वाया गुवाहाटी दिल्ली तक सप्ताह में तीन बार इण्डियन एयरलाईन सेवाएं चलेंगी।

असम

1. जोगीहोपा में रेल-सह-सड़क पुल पूरा करने के लिए 1996-97 में 55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मुहैया कराई जाएगी। परियोजना को पूरा करने के लिए 1997-98 में 120 करोड़ रुपये दिए जायेंगे।
2. बोगीभील में सड़क-सह-रेल-पुल के लिए प्रस्ताव। इस वर्ष 1000 करोड़ रुपये मंजूर किए जायेंगे और कार्य अगले वर्ष शुरू किया जायेगा और नौंवी पंचवर्षीय योजना के भीतर पूरा कर लिया जायेगा।
3. उत्तर पूर्व के लिए हब केन्द्र के रूप में गुवाहाटी विमानपत्तन का उन्नयन और इसे अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में विकसित करना (128 करोड़ रुपये)
4. प्रत्येक के लिए 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी से (कुल 30 करोड़) तीन औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित किए जायेंगे।
5. केन्द्र केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजना के रूप में ब्रह्मपुत्र पर बाढ़ नियंत्रण कार्य शुरू करेगा और नौंवी पंचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रुपये केन्द्रीय परियोजना के रूप में मुहैया कराएगा।
6. 24 करोड़ रुपये की लागत पर एक एल पी जी बाटलिंग प्लांट स्थापित किया जायेगा।
7. भारत सरकार नवम्बर, 1996 के अंत तक तीन वर्ष 1996-1999 की अवधि के लिए "ऑन एकाउन्ट" रायल्टी दरों को अन्तिम रूप देगा और इन दरों पर भुगतान 1.4.96 से बकाया राशि सहित 31.12.96 तक असम सरकार को कर दिए जायेंगे।
8. गुवाहाटी मेडीकल कालेज के उन्नयन पर विचार किया जायेगा।

मेघालय

1. इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य संस्थान, जिसकी नींव 1986 में रखी गई थी, को समयबद्ध, रूप से पूरी तरह पूरा किए जाने के कार्य को शुरू किया जायेगा।
2. शिलॉग बाईपास सड़क के लिए 50 करोड़ रुपये मुहैया कराए जायेंगे और नौंवी योजना में इसके कार्यान्वयन में तीव्रता लाई जायेगी।
3. गुवाहाटी से बर्नीहार पर मेघालय के भीतर रेल हैड मुहैया कराया जायेगा और राज्य सरकार से अपेक्षित भूमि के प्राप्त होते ही इस पर कार्य शुरू हो जायेगा।
4. उमरोय विमानपत्तन का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तार और उन्नयन किया जायेगा और भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू हो जायेगा।
5. बाहरी वित्तीय स्रोतों से धनराशि प्राप्त करके नौवीं योजना अवधि के दौरान शिलांग के समीप नया सैटेलाइट टाउनशिप स्थापित किया जायेगा।
6. लगभग 3.5 करोड़ रुपये की कुल लागत पर राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार मेघालय में एक प्रादेशिक जैविक उत्पादन यूनिट स्थापित की जाएगी।
7. टूरा के समीप एन एच 51 को चौड़ा करने की मंजूरी प्रदान की जाएगी।
8. 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी से एक औद्योगिक विकास केन्द्र को स्वीकृति दी जाएगी।
9. शिलांग में होटल मैनेजमैंट का एक संस्थान स्थापित किया जायेगा।
10. भारत सरकार की सहायता से मेघालय और बंगलादेश को जोड़ने वाले डौरी ब्रिज का निर्माण किया जायेगा।

पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य

1. **डा. प्रवीन चंद्र शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस संबंधी मूल्य ढांचे की जांच करने और गैस के मूल्य निर्धारण संबंधी नीति में आवश्यक परिवर्तन की सिफारिश करने हेतु किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन, कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ). गैस मूल्यों में परिवर्तनों की सिफारिश करने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद के प्रधानाचार्य श्री टी एल. शंकर की अध्यक्षता में जनवरी, 1995 में एक समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट अभी सरकार को प्रस्तुत की जानी है।

तेल कुंआ इचापुर-1

2. **श्री तरित वरण तोपदार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इचापुर कुंए में तेल की खोज से संबंधित चल रहा परीक्षण अधूरा रह गया;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के वैज्ञानिकों ने तेल कुएं के अधूरे परीक्षण के कारणों का पता लगा लिया है;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा संपूर्ण परीक्षण तथा तेल भंडार का पूर्ण रूप से आंकलन कर यह महसूस किया गया कि या तो इचापुर-1 में वर्तमान कुएं के साथ साथ दस मीटर की दूरी पर अथवा वर्तमान कुएं के अंदर से ही उपयुक्त गहराई पर नये कुएं की खुदाई की जाये;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) इचापुर-1 कूप की तेलयुक्त बालू ने कभी-कभार तरल और गैसीय हाइड्रोकार्बनों की बहुत कम मात्रा बहाई इस बहाव की मात्रा इतनी कम थी कि वाणिज्यिक उत्पादन की कोई संभावना ही नहीं थी।

(ख) जी, हां। कम बहाव के कारणों का पता लगा दिया गया था।

(ग) से (ङ). इस प्रक्रिया के अनुसार अन्वेषणात्मक कूपों के वेधन आंकड़ों की समालोचनात्मक समीक्षा की जाती है। जिसमें बाहरी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है।

कार्य नीति के एक भाग के रूप में इचापुर-1 के परिणामों सहित बंगाल बेसिन में अन्वेषण की स्थिति की समीक्षा की जा रही है, ताकि एक उचित कार्रवाई योजना बनाई जा सके।

परमिट जारी करना

3. **श्री अशोक प्रधान** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा झींगा पकड़ने के लिए ट्रालरों को परमिट देने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ट्रालरों को वर्ष-वार कितने परमिट जारी किए गए;

(ग) क्या इन सभी ट्रालरों में कछुओं को बचाने की प्रणाली लगी हुई है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को इस संबंध में अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (छ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कूड़ा कचरा आधारित विद्युत परियोजनाएं

4. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या केरल में अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करने तथा उसका प्रसंस्करण करने के लिए कोई इकाई स्थापित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजनाओं का ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) भारत सरकार के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने "शहरी म्यूनिसिपल और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम" आरंभ

किया है जिसमें शहरी, म्यूनिसिपल और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा उत्पादन के लिए परियोजनाओं के संवर्द्धन हेतु राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। कुछ राज्य सरकारों जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने दीर्घकालीन पट्टा आधार पर भूमि के आबंटन, कूड़े कचरे की आपूर्ति और अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत की खरीद के संबंध में अपने नीतिगत मार्ग निर्देश जारी किए हैं और इसके अलावा ऊर्जा प्रतिप्राप्ति के लिए संबंधित राज्यों में विभिन्न शहरों में संभाव्यता का आंकलन करने के लिए संभाव्यता अध्ययन कार्य हेतु कदम भी उठाए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि योग्य भूमि पर भवनों का निर्माण

5. **श्री राम सागर** : क्या प्रधान मंत्री कृषि योग्य भूमि पर भवनों के निर्माण किए जाने के बारे में 11 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5142 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि योग्य भूमि के 2714 भूखंडों पर निर्मित भवनों को गिरा दिया गया है और उक्त भूमि को कृषि संबंध कार्यों के लिए उपयुक्त बना दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा प्राथमिकता आधार पर न्यायालय के शेष मामलों के निपटान हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, नहीं मामले प्रक्रियाधीन हैं तथा विभिन्न सक्षम न्यायालयों में कानूनी कार्यवाही अभी लम्बित है।

(ख) मामलों के निपटान की निगरानी हर महीने की जा रही है।

नयी कोयला खानों का पता लगाना

6. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की एक विद्युत उत्पादन इकाई पूर्वी कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम नामक एक एजेंसी ने अपने उपयोग हेतु कोयला खानों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये खान किन-किन स्थानों में स्थित हैं;

(ग) क्या उक्त निगम ने अपने विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन खानों को विकसित करने की योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना को स्वीकृति दी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस.वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). कलकत्ता इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कारपोरेशन द्वारा अपने विद्युत संयंत्रों में कैप्टिव माइनिंग के लिए पश्चिम बंगाल में स्थित सरशातली नामक एक कोयला खान का पता लगाया गया है।

(ग) से (च). कलकत्ता इलै. सप्लाई कार्पो. की एक सहायक कोयला कंपनी, जिसका नाम इंटरीगेटिड कोल माइनिंग प्राइवेट लि. है, ने "सरशातली समूह" के संबंध में सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप खनन योजना हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

खान योजना में कंपनी द्वारा खानों के विकास पर व्यय की जाने वाली अनुमानित राशि का कोई ब्यौरा शामिल नहीं है। तथापि कंपनी ने सरशातली समूह पर एक भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कोल इंडिया लि. को 1.65 करोड़ रुपए की अभिज्ञात लागत का भुगतान किया है। केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में खान परियोजना पर विचार किया तथा इंटगिरेटिड कोल माइनिंग लि. को इस संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।

फ्लाई एश द्वारा प्रदूषण

7. **श्री नारायण अठावले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला आधारित ताप संयंत्रों से अनुमानित वार्षिक कितना फ्लाईएश निकलता है और 2000 ईस्वी तक इसकी अनुमानित मात्रा कितनी होगी एवं भूजल के प्रदूषण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) इन संबंध में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय प्राधिकारियों एवं राज्य बिजली बोर्डों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या अपशिष्ट पदार्थों को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने हेतु कोई प्रौद्योगिकीय विकल्प उपलब्ध है और क्या 1990 में गठित कार्यकारी दल द्वारा राष्ट्रीय हित में फ्लाईएश के निपटान के लिए कोई सिफारिश की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) देश में कोयला आधारित ताप-संयंत्रों से 50 मिलियन टन वार्षिक उड़न राख निकलता है तथा 2000 ईस्वी तक इसका प्रक्षेपण अनुमानतः 100 मिलियन टन तक है।

अकार्बनिक तत्व जो उड़न राख में शामिल है, एशजल के भूजल/नदियों/समुद्रों में तथा कृषि योग्य भूमि इत्यादि में जल के रिसाब तथा प्लवित होने के कारण जल को प्रदूषित कर सकती है, अगर इसका निपटान सुरक्षित स्थान पर न किया जाए।

(ख) ऐसा देखा गया है कि उड़न राख संयंत्र स्थल तथा क्षेपण भूमि के रास्ते एशजल के रिसाव और प्लवित होने, दोनों प्रकार से पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न कर सकती है। ऐसे दुष्प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए, ऐसे मार्गदर्शन दिए गए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ उड़न राख एकत्रित करने, ईंट, और सीमेंट निर्माण में राख का उपयोग वेजीटेशन सहित शामिल है।

(ग) जी, हां। विद्युत मंत्रालय द्वारा उड़न राख के समुपयोजन हेतु एक कार्यदल स्थापित किया गया है जिसने उड़न राख के निपटान/समुपयोजन पर अपनी सिफारिशें दी हैं। अब विभिन्न तकनीकी विकल्प उपलब्ध है, जिसके द्वारा उड़न राख को लाभदायक उत्पाद के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें उड़न राख से ईंट एवं सीमेंट बनाना तथा गड्ढे को भरना तथा सड़कें बनाना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियां

8. **श्री ओ.पी. जिन्दल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई बी पी कंपनी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में रसोई गैस की बिक्री शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह रसोई गैस की बढ़ती मांग को किस सीमा तक पूरा करेगा; और

(घ) सरकार द्वारा रसोई गैस की समस्या से शीघ्रता से निपटाने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). जी, हां। सरकार ने हाल ही में चालू वर्ष अर्थात् 1996-97 से एल पी जी के विपणन के संबंध में आई बी पी चालू वर्ष के दौरान एल पी जी का विपणन आरंभ करने की संभावनाओं का पता लगा रही है और तदनुसार अपेक्षित योजनाएं प्रतिपादित कर रही है।

(घ) एल पी जी उपलब्धता बढ़ाकर, जिसकी नए स्रोत आरंभ करके तथा विद्यमान स्रोतों में के कुछ एक पर एल पी जी उत्पादन में वृद्धि करके प्राप्त होने की आशा की जाती है, देश के अंतर्गत आगामी वर्षों में त्वरित नवीन एल पी जी नामांकन आरंभ करने के संबंध में योजनाएं तैयार की गई हैं। कांडला तथा मंगलौर की में नई एल पी जी आयात सुविधाएं आरंभ करके एल पी जी की आयात क्षमता बढ़ाने के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं।

[अनुवाद]

कोयला आधारित मीथेन ब्लाक

9. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला आधारित मीथेन ब्लाकों का प्रबंधन अब पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आ गया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कोयला आधारित मीथेन ब्लाकों का ब्यौरा क्या है जिनका प्रबंधन पेट्रोलियम मंत्रालय को दिया गया है;

(ग) कोल इंडिया द्वारा निजी क्षेत्र को दी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें कितना निवेश किया गया;

(घ) कितने कोयला आधारित मीथेन ब्लाक दोहन हेतु उपलब्ध हैं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मंजूर किए गए/विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नीतिगत आयोजना ग्रुप की कोयला आधारित मीथेन की खोज संबंधी सिफारिशों पर की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूंजीगत व्यय

10. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूंजीगत व्यय 1991 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 1996 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस व्यय को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) सरकार का पूंजीगत व्यय वर्ष 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत था तथा संशोधित अनुमान के अनुसार यह वर्ष 1995-96 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.7 प्रतिशत था।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता। वास्तव में आधारसंरचनात्मक क्षेत्र में सरकार का पूंजीगत व्यय अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए।

एशिया विकास बैंक सहायता

11. **श्री विजय गोयल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशिया विकास बैंक से आवासीय परियोजनाओं विशेषरूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख). एशिया विकास बैंक से आवास और शहरी विकास सेक्टरों में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता मुहैया करने का अनुरोध किया गया है :-

1. तमिलनाडु में आवास स्कीमों के निष्पादन हेतु ऋण करार

तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु आवास बोर्ड द्वारा आवास परियोजनाओं के निष्पादन हेतु एशिया विकास बैंक से ऋण करार करने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव एशिया विकास बैंक को भेजा गया है। कुल 1055 करोड़ रुपये लागत की परियोजना और 381.11 करोड़ रुपये के प्रस्तावित एशिया विकास बैंक घटक वाली इस परियोजना में तमिलनाडु के 36 छोटे ओर मझौले कस्बों में आश्रय और अवस्थापना स्कीमों को कार्यान्वित करने पर विचार किया गया है। 32339 रिहायशी प्लाट काटने के लिए कुल 1554.93 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास करने का प्रस्ताव है जिसमें से 34,286 भूखण्ड ई.डब्ल्यू. एस. और एल.आई.जी. श्रेणियों के लिए होंगे। एशिया विकास बैंक की प्रतिक्रिया की अभी प्रतीक्षा है।

2. शहरी विकास के लिए हुडको को वित्तीय सहायता

विद्यमान कस्बों/नये कस्बों के विकास में अवस्थापना की वृद्धि हेतु हुडको के लिए एशिया विकास बैंक से 5150 मिलियन (लगभग 170 मिलियन यू.एस. डालर) के ऋण प्राप्त करने का प्रस्ताव है। आश्रय बुनियादी सुविधाओं और स्लमों के पर्यावरणीय विकास हेतु भवन सामग्री उद्योग/निर्मित केन्द्रों तथा एकीकृत परियोजना को एशिया विकास बैंक को भेजा गया है। समग्र घटकों में से 1650 मिलियन रुपये आश्रय बुनियादी सुविधाओं और स्लम सुधार कार्यक्रमों के लिए है।

3. राष्ट्रीय आवास बैंक को सहायता

राष्ट्रीय आवास बैंक ने पात्र संस्थानों को आवास ऋण, परवर्ती बाजार रेहन के विकास बाबत पुनः वित्त व्यवस्था तथा ग्रामीण आवास ऋणों हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पुनः वित्त व्यवस्था हेतु एशिया विकास बैंक से 260 यू.एस. डालर की ऋण सहायता की मांग की है।

4. आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड (एच.डी.एफ.सी.) को सहायता

एशिया विकास बैंक ने कर्नाटक राज्य में विभिन्न आवास परियोजनाओं के लिए 20 मिलियन यू.एस. डालर का ऋण स्वीकृत किया है जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि का उपयोग उपेक्षित आय समूहों के परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए किया जायेगा।

अंटार्टिका अभियान

12. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंटार्टिका के लिए अब तक कितने अभियान दल भेजे जा चुके हैं;

(ख) उनके प्रस्थान और वापस लौटने की तिथि क्या-क्या है और प्रत्येक अभियान में कितने सदस्य भेजे गए हैं; और

(ग) प्रत्येक अभियान में किए गए अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) अब तक अंटार्कटिक महाद्वीप को 15 अभियान भेजे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त वेडेल सागर का एक अभियान और अंटार्कटिक महासागर के हिन्द महासागर क्षेत्र के लिए एक अभियान भेजा गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अंटार्कटिक में इन अभियानों द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य, ध्रुवीय विज्ञान के निम्नलिखित पांच प्रमुख क्षेत्रों में है अर्थात (1) भूमिविज्ञान और हिमनदविज्ञान (2) वायुमण्डलीय विज्ञान और मौसम विज्ञान (3) जीवविज्ञान और पर्यावरण विज्ञान (4) मानव शारीरिकी और आयुर्विज्ञान, और (5) संचार एवं इंजीनियरी।

चूंकि अधिकांश प्रयोग सतत प्रकृति के हैं इसलिए इन अभियानों के दौरान एकत्रित प्रमुख प्रेक्षणी का सारांश इस प्रकार है :

- मध्य डूनिंग मड लैंड में 10-15 डिग्री पूर्व के बीच 9,600 वर्ग किलोमीटर अमानचित्रित क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए क्षेत्रीय और थिमैटिक मानचित्रण (1:50,000 के पैमाने पर) पूरा किया गया है।
- श्रिमाचार नखलिस्तान और बोल्थाट पर्वतों के बीच के क्षेत्र और हिमशेल्फ पर सर्वेक्षण भूभौतिकीय अन्वेषण किए गए। 100×100 कि.मी. क्षेत्र में प्रयोगात्मक वायुवाहित भूभौतिकीय सर्वेक्षण भी किए गए जिनसे इस क्षेत्र में सकल अधीहिमानी विशेषताओं और बर्फ की मोटाई का पता चला है।
- श्रिमाचार नखलिस्तान और गुबेर गिरिपिंडों (मैसिफ) में चट्टान की किस्मों की खोज जो कि भारत प्रायद्वीप के पूर्वी घाटों के मेटापेलाइट्स और एनार्थोसाइट्स से काफी मिलती जुलती है।

- पुरापर्यावरणीय और पुरा जलवायु अध्ययनों के लिए 100 मीटर तक प्रयोगात्मक हिम क्रोड ड्रिलिंग की गई है।
- विभिन्न अद्यतन उपकरणों द्वारा लगातार और सिनॉप्टिक ओजोन आंकड़ा प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल कर के अंटार्कटिक पर ओजोन होल की उपस्थिति स्थापित की गई है।
- दर्शकीय पैमाने पर जल वायु वैज्ञानिक आंकड़ा सैट का पुरालेखन किया गया है जिसे अंटार्कटिक और हिन्द महासागर प्रदेशी पर भविष्यवाणी मौसम प्रतिरूपण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
- फ्लक्सगेट चुम्बकमापी अध्ययनों और दिन-समय प्रकाशिक ध्रुवीय ज्योति अध्ययनों के माध्यम से बदलती हुई सौर और भूचुम्बकीय दशाओं के प्रति मैत्री पर ध्रुवीय ज्योति अण्डवक्र की अनुक्रिया का प्रबोधन।
- एकस्थितिक ध्वानिक गंभीरतामापी का इस्तेमाल कर के ग्रहीय परिसीमा परत पर तापमान और वायु के प्रभाव का मापांकन किया गया है। अंटार्कटिक में विकसित इस उपकरण को भारत में पर्यावरण प्रदूषण का प्रबोधन करने के लिए वाणिज्यिक तौर पर इस्तेमाल किया गया है।
- श्रिमाचार नखलिस्तान प्रदेशों में अलवण जल झील पारितंत्र के प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता चक्रों का प्रमात्रीकरण किया गया है।
- स्थलीय और झील जल पारितंत्रों में सायनों - जीवाणुंक और शैवाल जैव विविधता को सूचीबद्ध किया गया है।
- अलवणजल निवास स्थानों में सूक्ष्म जैविक समुदाय का प्रजाति स्तर वर्गिकी वर्गीकरण किया गया है जिससे शीत में अतिजीविता हेतु निम्न तापमान झिल्ली मेकेनिज्म के लिए पूरी जानकारी प्राप्त हुई है।
- दक्षिणी महासागरों के हिन्द महासागर क्षेत्र में क्रिल तथा अन्य समुद्री जीव संसाधनों का प्रारंभिक मूल्यांकन किया जा चुका है।
- जी.आई.एस. आंकड़ा आधार तैयार करने के लिए वायुवाहित सर्वेक्षणी का उपयोग करते हुए अंटार्कटिक जीवों (पक्षी तथा पेंगिवनों) के प्रबोधन के लिए प्रणाली विज्ञान तथा नयाचार तैयार किए गये।
- ध्रुवीय उद्यान कृषि पर प्रयोग के अन्तर्गत अंटार्कटिक में नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत कुछ पौधी के निष्पादन तथा वृद्धि पर प्रारम्भिक अध्ययन किए गए।
- सिरकाडियन लय अध्ययन तथा शीत दशानुकूलन अध्ययन से प्राप्त जानकारी का उपयोग शीत तथा अलगाव की दशाओं में रह रहे कर्मिकों की शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में किया जा रहा है।
- दूरचिकित्सा (टेलीमेडिसन) पर नियोजित प्रयोगों के लिए अंटार्कटिक में शीतकालीन दल के कार्मिकों के स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक प्राचलों पर आंकड़ा आधार विकसित किया जा रहा है।
- अंटार्कटिक में विकसित तथा उपयोग में लाई गई जीवन सहयोग प्रणालियां तथा संरचनात्मक इंजीनियरिंग घटकों के आदिप्ररूप को देश के अधिक शीत क्षेत्रों में लगाया गया है।
- संचार माध्यम के समुन्यन द्वारा मुख्य भूमि के साथ मैत्री को ई-मेल तथा कम्प्यूटर अन्तरपृष्ठ एच.एफ. संचार से जोड़ कर विभिन्न विधियों के माध्यम से विन्डोज तथा लम्बी दूरी की संचार सीमाओं को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है।
- विपरीत जलवायु दशाओं के अन्तर्गत हिम-बर्फ नौवहन, हेलीकाप्टर प्रचालनों तथा संचार में भारतीय नौ-सेना तथा वायुसेना ने व्यावसायिक विशेषज्ञता अर्जित की है।

विवरण

अभियान संख्या	जाने की तारीख	वापसी की तारीख	व्यक्तियों की संख्या
1	06.12.81	21.02.82	21
2	01.12.82	21.03.83	28
3	03.12.83	29.03.84	81
4	04.12.84	25.03.85	83
5	30.11.85	23.03.86	88
6	26.11.86	22.03.87	90
7	25.11.87	26.03.88	82
8	29.11.88	26.03.89	100
9	30.11.89	27.03.90	92
10	27.11.90	25.03.91	100
11	27.11.91	25.03.92	98
12	05.12.92	22.03.93	56
13	08.12.93	-.04.94	58
14	17.12.94	29.03.95	64
15	07.12.95	19.03.96	47
वेडल सागर	04.12.89	08.03.90	21
क्रिल अभियान	27.12.95	12.03.96	22

आवंटियों को रियायत

13. **श्री के.पी. नायडू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण पट्टेवाले भूखण्डों को फ्री होल्ड भूखण्डों में परिवर्तित किए जाने हेतु एकमुश्त राशि देने वाले आवंटियों को इस वर्ष 25 प्रतिशत की रियायत दे रही है;

(ख) वर्ष 1993-94 में ही इस प्रकार एकमुश्त राशि देने वाले आवंटियों को यह रियायत न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी आवंटियों के साथ एक जैसा व्यवहार करने तथा 2-3 वर्षों पूर्व धनराशि का भुगतान करने वाले आवंटियों को रियायत राशि लौटाने का है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) मूल पट्टाधारकों/उप पट्टाधारकों अथवा व्यक्तियों को जहां पट्टादाता की पूर्व अनुमति से पट्टे की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार अन्तरण हुआ हो वहां परिवर्तन शुल्क में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शासित भूखण्डों के मामले में 25 प्रतिशत और फ्लैटों के मामलों में 33 $^{1}/_{3}$ प्रतिशत की छूट उपलब्ध है।

(ख) और (ग). एकमुश्त भुगतान करने के लिए छूट देने के आदेश 25.6.1996 को जारी किए गये थे और ये आदेश लम्बित पड़े तथा नये मामलों में लागू हैं। लेकिन निबटाये गये मामलों में, जहां हस्तान्तरण विलेख पहले ही निष्पादित हो चुका है, उनमें इन छूटों की अनुमति नहीं है क्योंकि आदेशों को पूर्व-प्रभावी नहीं बनाया गया है।

ऊर्जा विषय पर संगोष्ठी

14. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ऊर्जा और विद्युत विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अक्तूबर के आरंभ में भारत में एक संगोष्ठी आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो संगोष्ठी के दौरान भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने किन-किन विषयों पर चर्चा की; और

(ग) उक्त संगोष्ठी में लिए गए अनेक निर्णयों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी हां। विद्युत क्षेत्र में पर्यावरणीय मामलों पर एक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन 26 अक्तूबर, 1996 को नई दिल्ली में किया गया था।

(ख) कार्यशाला के दौरान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने परिदृश्यों, नीतियों, विकल्पों, विशेषताओं, विद्युत प्रणाली योजनाओं, वित्तीय मॉडलों और पर्यावरणीय नियमावली के साथ-साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की थी।

(ग) उपरोक्त कार्यशाला विश्व बैंक की सहायता से विद्युत क्षेत्र में पर्यावरणीय मुद्दों पर चल रहे अध्ययनों के दौरान की गई प्रगति की समीक्षा करने की दृष्टि से आयोजित की गई। इस कार्यशाला में विद्युत उत्पादन के लिए अपेक्षाकृत साफ सुथरी प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल पर बल दिया गया।

परमाणु विद्युत संयंत्रों में सुधार

15. **श्री जी.एम. कुन्टुरकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अक्तूबर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अवेट्स क्लियरेंस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त समाचार-पत्र की रिपोर्ट में गुम्बद के डिजायन से संबंधित आरोप गलत हैं। फिर से तैयार किए गए डिजायन में उन कमियों पर यथोचित ध्यान दिया गया है जिनकी वजह से विस्तरण हो सकता था। इस नए डिजायन में किसी भी सम्भाव्य घटना का सामना करने की गुंजाइश रखी गई है।

सरकारी क्षेत्र की इकाईयाँ-इलेक्ट्रॉनिक्स

16. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिकी विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये इकाइयाँ अपने उत्पादों का निर्यात कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान इकाईवार कुल कितना लाभ अर्जित किया गया तथा कितना निर्यात किया गया?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रम हैं, अर्थात सीएमसी लि., सेमीकण्डक्टर कॉम्पलेक्स लि. (एससीएल) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.

(ईटीएण्डटी)। किन्तु, सीएमसी लि. इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों का विनिर्माण नहीं कर रहा है।

2. एससीएल तथा ईटीएण्डटी के कुछ उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। सीएमसी लिमिटेड द्वारा सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात किया जा रहा है।

3. अर्जित लाभ तथा किए गए निर्यात का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :-

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1994-95		1995-96	
	लाभ	निर्यात	लाभ	निर्यात
		(करोड़ रुपए में)		
1. सीएमसी लिमिटेड	7.46	13.90	13.66*	24.16
2. एससीएल	1.05	0.06	3.58	शून्य
3. ईटीएण्डटी लिमिटेड	**	2.77	**	1.42*

*(अनन्तिम)

** समग्र रूप से ईटीएण्डटी को इन वर्षों के दौरान हानि हुई है।

लंबित विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देना

17. श्री अनंत गुढ़े : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में चल रही विद्युत परियोजनाओं की प्रगति क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में नई परियोजनाओं को हाथ में लेने के संबंध में केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ग) तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेशी निवेशकों/निजी विद्युत उत्पादकों ने राज्य में विद्युत संयंत्र स्थापित करने में रूचि दिखलाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) महाराष्ट्र में राज्य क्षेत्र की निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं क्षमता	प्रारंभ करने का प्रत्याशित वर्ष
1	2	3
1.	चन्द्रपुर टीपीपी विस्तार 500 मे.वा.	1997-98
2.	डिम्मी एचईपी 1x5 मे.वा.	1996-97
3.	दूध गंगा एचईपी 2x12 मे.वा.	1997-98
4.	घाटघर पीएसएस 2x125	1999-2000
5.	कोयना चरण-I 4x250	1997-98
6.	वारना एचईपी 2x8 मे.वा.	1997-98

(ख) और (ग). महाराष्ट्र हेतु विद्युत परियोजनाओं, जो तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के जांचाधीन है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	स्कीम का नाम	क्षमता
1.	चिखलदारा एचईपी पंपड स्टोरेज	2x200 मे.वा.
2.	उरान जीटीपीपी विस्तार	400 मे.वा.

(घ) और (ङ). महाराष्ट्र राज्य में विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए विदेशी निवेशकों/निजी विद्युत उत्पादकों से प्राप्त चार प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	स्कीम का नाम	क्षमता
1.	भद्रावती टीपीएस चरण-I और 2	1082 मे.वा.
2.	डाभोल सीसीजीटी (एलएनजी)	2184 मे.वा.
3.	खापरखेड़ी यूनिट-3 और 4	2x250 मे.वा.
4.	पातालगंगा जीबीपीपी	410 मे.वा.

[हिन्दी]

निजी विद्युत परियोजनाएं

18. श्री नवल किशोर राय :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विदेशी कंपनियों द्वारा स्थापित किए जा रहे विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली विश्व के विकसित देशों में उपलब्ध कराई जा रही बिजली की कीमतों की तुलना में अधिक कीमत पर उपलब्ध होगी;

(ख) क्या कोर्जेट्रिक्स विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत की लागत अन्य एशियाई देशों में उत्पादित लागत की तुलना में अधिक होगी;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय स्तर पर, जल विद्युत, ताप विद्युत तथा आणविक विद्युत के विद्युत टैरिफ के संबंध में करवाए गए तुलनात्मक अध्ययन का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). उत्पादक कंपनी, चाहे वह विदेशी हो अथवा भारतीय, जिसका वित्तीय पैकेज मार्च, 1992 के बाद अनुमोदित हुआ हो, का टैरिफ भारत सरकार की टैरिफ अधिसूचना दिनांक 30.3.1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। मंगलौर विद्युत परियोजना (कोजेंट्रिक्स) के पूरा होने पर इसकी टैरिफ दर, टैरिफ अधिसूचना के निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत विद्युत क्रय करार में स्वीकार्य मानकों के अनुरूप होगी। विद्युत केन्द्र का टैरिफ इसकी पूर्ण लागत, भिन्न प्रकार एवं ईंधन के स्रोत, करों और शुल्कों तथा इसके पूर्ण होने के वर्ष पर निर्भर होगा। अतः दो विद्युत परियोजनों अथवा विद्युत संयंत्रों के बीच घटक दर घटक अथवा एक देश की परियोजना अथवा संयंत्र की दूसरे देश की परियोजना अथवा संयंत्र से तुलना करना संभव नहीं हो सकेगा।

(घ) केन्द्र क्षेत्र की वर्तमान जल-विद्युत, ताप विद्युत एवं नाभिकीय विद्युत केन्द्रों की टैरिफ दरें निम्न प्रकार हैं :-

		पैसे/किलोवाट घंटे
जल-विद्युत	-	42 से 211 के मध्य
ताप	-	58 से 214 के मध्य
नाभिकीय	-	57 से 207 के मध्य

[अनुवाद]

विशेषज्ञ दल

19. **श्रीमती भावना बेन देवराज भाई चिखलिया :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धनों की संख्या और अनुपात का पता लगाने के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त किए गए विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें सलंग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ). निर्धनों की संख्या और अनुपात के अनुमान से संबंधित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट को निर्धनों की समस्या पर और अधिक विचार-विमर्श किया गया है। रिपोर्ट को कई प्रमुख विशेषज्ञों के पास भी निर्धनों की समस्या पर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए भेजा गया है। निर्धनों के अनुमान से संबंधित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है तथा नौवीं योजना के लिए इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

विवरण

गरीबों की अनुपात एवं संख्या संबंधी विशेषज्ञ दल की प्रमुख सिफारिशें

(1) न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावी खपत मांग अनुमान संबंधी टास्क फोर्स द्वारा अनुशासित गरीबी रेखा, अर्थात 1973-74 की कीमतों पर 49.09 रुपये (ग्रामीण) तथा 56.64 रुपये (शहरी) मासिक प्रति व्यक्ति कुल व्यय, को अखिल भारत स्तर पर आधार रेखा के रूप में माना जाए। इसे, 1973-74 में प्राप्त खपत पैटर्न के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से निश्चित किया गया था। दल ने यह भी सिफारिश की है कि इन मानकों को सभी राज्यों के लिए समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

(2) राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा को निम्नानुसार अनुमानित किया जाए; राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा के अनुरूप मानकीकृत जिन्स वास्केट का मूल्य, आधार वर्ष, अर्थात 1973-74 में प्रत्येक राज्य में प्रचलित कीमतों पर लगाया जाए। किसी वर्ष विशेष में चालू कीमतों के अनुरूप गरीबी रेखा को अद्यतन बताने के वास्ते एक राज्य विशिष्ट उपभोक्ता कीमत सूचकांक की आवश्यकता है। इस प्रयोजनार्थ 1973-74 में गरीबी रेखा के अनुसार जनसंख्या के 20 से 30 प्रतिशत की ज्ञात अखिल भारत खपत पद्धति राज्य विशिष्ट भार (वेटिंग) डायाग्राम का आधार होना चाहिए।

(3) यह आवश्यक है कि चुने गए अपस्फायक तीन प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करें : (1) उन्हें, राज्य विशिष्ट आधार वर्ष कीमतों के आधार पर राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखा के अनुरूप राज्य-विशिष्ट होना चाहिए, (2) उन्हें यथासंभव गरीबी रेखा के आसपास के खपत वास्केटों के अनुरूप कीमतों को परिलक्षित करना चाहिए, (3) अपस्फायक के निर्माण के लिए डाटा बेस आवधिक आधार पर उपलब्ध होना चाहिए, जो राज्यों के बीच तुलनीय और अनुरूप हो।

(4) दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सीपीआईएएल) से अलग-अलग जिन्स सूची पर भरोसा करना उपयुक्त होगा ताकि ग्रामीण गरीबी रेखा तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकों के उपयुक्त भारित जिन्स सूचियों के सामान्य औसत और शहरी गरीबी रेखा को अद्यतन बनाने हेतु शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों संबंधी उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सीपीआईएनएम) को अद्यतन बनाया जा सके।

(5) राज्यवार अद्यतन गरीबी रेखाओं तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के प्रति व्यक्ति खपत व्यय (पीसीसीई) के अनुरूप परिमाण वितरण, कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में गरीबों की संख्या अथवा गरीबों के अनुपात की प्रत्येक राज्य हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से गणना की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में गरीबों की निरपेक्ष संख्या की गणना, महापंजीयक, जनगणना द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमानित जनसंख्या के गरीबी अनुपात के माध्यम से की जानी चाहिए, अखिल भारत (ग्रामीण तथा शहरी) गरीबी अनुपात को कुल अखिल भारत (ग्रामीण तथा शहरी) जनसंख्या की तुलना में राज्यवार गरीब व्यक्तियों की औसत संख्या के अनुपात में रूप में तैयार किया जाना चाहिए। अन्तर्निहित अखिल भारत गरीबी रेखा का अनुमान उसी एनएसएस सर्वेक्षण से प्राप्त व्यय वर्ग-वार जनसंख्या के अखिल भारत वितरण और अखिल भारत गरीबी अनुपात को मानकर लगाया जाना चाहिए।

(6) उन राज्यों, के संबंध में गरीबी रेखा एवं गरीबी का अनुपात, जहां पर्याप्त डाटा की उपलब्धता एक बाधा है, क्षेत्रों के वास्तविक सामीप्य और आर्थिक स्थिति की समानता के आधार पर, जैसी कि अन्य आर्थिक प्रतिमानों द्वारा इंगित है, पड़ौसी क्षेत्रों से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(7) एनएसएस खपत सर्वेक्षण जो प्रति पांचवें वर्ष आयोजित किए जाते हैं, जिनसे औसतन प्रति व्यक्ति कुल खपत व्यय के राज्य स्तरीय अनुमान और औसतन जनसंख्या विरतण परिमाण के आधार पर प्राप्त होते हैं, को पंचवार्षिक आधार पर, गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात तथा उसमें परिवर्तनों संबंधी अनुमान लगाने के लिए सूचना का बुनियादी आधार माना जाना चाहिए। व्यापक घरेलू सर्वेक्षण के पंचवार्षिक एनएसएस चक्रों के राज्यवार परिणाम प्राप्त हो जाने पर, अनुशासित पद्धति को अपनाते हुए वर्ष 1977-78, 1983 तथा 1987-88 और उससे आगे के वर्षों के लिए गरीबी रेखा तथा गरीबी अनुपात की गणना की जानी चाहिए।

(8) दल, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में और राज्यवार गरीबी अनुपात के अनुमान हेतु सिर्फ घरेलू उपभोक्ता व्यय (बिना किसी समायोजन के) संबंधी एनएसएस आंकड़ों पर निर्भरता के पक्ष में हैं।

पेय जल

20. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिनांक 19 अक्तूबर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजना के अंतर्गत हैंड पम्पों तथा पाइपों द्वारा आपूर्ति किया गया जल पीने के कारण हुई मौतों के मामले, बीमारियों तथा विकलांगता के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 तथा 1996 के दौरान केन्द्र सरकार के ध्यान में आये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). **आरसैनिका** : अगस्त, 1996 तक पश्चिम बंगाल से आरसैनिक द्वारा त्वचा रोग के 4636 मामले की रिपोर्ट मिली। 98.10 करोड़ रुपए इन प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिए 1994-96 के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए स्वीकृत किए गए।

फलोरोसिस : पेयजल में अत्यधिक फलोराइड से प्रभावित बस्तियों में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु कदम उठाने के लिए विभिन्न राज्यों को 1992-96 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में 193.95 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई।

इसके बाद स्वच्छ पेयजल की जांच एवं इसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करने हेतु राज्यों को 1.64 करोड़ रुपए की राशि भी रिलीज की गई।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन

21. **श्री एस.पी. जायसवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 तक उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल कितनी आवश्यकता होगी;

(ख) क्या स्थानीय विद्युत संयंत्रों द्वारा अपेक्षित विद्युत की मांग पूरी कर दी जाएगी;

(ग) वर्तमान विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत का कितना उत्पादन किया जाता है;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य की विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस.वेणुगोपालाचारी) : (क) 15वीं विद्युत शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 2000 तक उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल आवश्यकता 52.4 बिलियन यूनिट होगी।

(ख) उत्तर प्रदेश की विद्युत आवश्यकता राज्य में स्थित केन्द्रीय उत्पादक कंपनियों तथा विद्युत संयंत्रों से अपने हिस्से से पूरी की जाएगी।

(ग) और (घ). उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा अक्टूबर, 96 में 1902 मिलियन यूनिट थी, जिसमें ताप विद्युत द्वारा 1420 मिलियन यूनिट तथा जल-स्रोतों द्वारा उत्पादित 492 मिलियन यूनिट विद्युत की मात्रा भी शामिल थी।

(ङ) विद्युत की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, सरकार राज्य में निष्पादन के अधीन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की प्रगति को नजदीकी से मानिटरिंग करती है। तथापि, राज्य ने पुरानी यूनिटों के नवीकरण और आधुनिकीकरण करने, पारेषण एवं वितरण प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त, नौवीं योजना के दौरान नई क्षमता को भी जोड़ा जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोग

22. **श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की रोहिणी योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी लोगों को अब तक भूखण्डों का आबंटन कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है तथा उन्हें कब तक भूखण्डों का आबंटन कर दिया जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) आज की तारीख तक विभिन्न श्रेणियों में भूखंड आबंटन हेतु शेष पंजीकृत व्यक्तियों की सं. 38,375 है। शेष पंजीकृत व्यक्तियों को भूखंड आबंटन करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह प्रक्रिया संबंधित एजेन्सियों द्वारा भूमि अधिग्रहण अवस्थापना विकास धनराशि की उपलब्धता जैसे विभिन्न घटकों तथा एम सी डी व डेसू जैसी संबंधित एजेन्सियों द्वारा सेवाओं के प्रावधान पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

भारत-ओमान गैस पाईप-लाइन परियोजना

23. **श्री के.पी. सिंहदेव** :
श्री मोहन रावले :
श्री के.एच. मुनियप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ओमान के बीच गहरे समुद्र में पाईपलाइन बिछाने के लिए 1993 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था;

(ख) क्या अब यह प्रस्ताव ओमान द्वारा रद्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त निर्णय की समीक्षा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और समझौते के कारण देश को कितना नुकसान हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) से (ङ). सितम्बर, 1994 में ओमान के साथ प्रमुख शर्तों पर एक करार किया गया था। उस करार के अनुसार, गहन समुद्र पाइपलाइन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य ओमान आयल कंपनी ने आरंभ किया था। व्यवहार्यता अध्ययन अभी पूरा होना है। यह निर्णय लिया गया है कि गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. तथा ओमान आयल कंपनी व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य शीघ्रता से पूरा करने के लिए संयुक्त कार्य दल का गठन करेंगे। उक्त संदर्भित करार के कारण भारत को कोई हानि नहीं हुई है।

अतिरिक्त निर्माण हेतु अनुमति

24. **श्रीमती मीरा कुमार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि के अधिकतम उपयोग और साथ ही जनता के लिए रिहायशी आवासों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से चार मंजिले रिहायशी आवासों से कम मंजिल के आवासों का निर्माण न किए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहले से निर्मित और आबंटित चार मंजिल से कम वाले फ्लैटों पर एक और मंजिल के निर्माण की अनुमति दिए जाने संबंधी प्रस्ताव भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख). जी, हां। यह विकास प्रस्ताव, वृहद योजना/आंचलिक योजना

में यथा-अपेक्षित घनत्व, फर्शी क्षेत्र अनुपात और भूमि विस्तार पर आधारित है।

(ग) जी, नहीं।

गांवों में निर्धनता

25. **श्री हरिन पाठक : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1992 तथा जून, 1996 में राज्य-वार गांवों में निर्धनता के संबंध में मंत्रालय का आकलन क्या है; और

(ख) ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचने का आधार क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). राज्यवार गरीबी का नवीनतम अनुमान 1987-88 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 43वें चक्र में हुए घरेलू उपभोक्ता व्यय के पंचवर्षीय सर्वेक्षण पर आधारित है। 1987-88 के लिए गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी की राज्यवार संख्या एवं प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। जून, 1992 एवं जून, 1996 के अनुरूप गरीबी का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

विवरण

1987-88 के लिए गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी की राज्यवार संख्या एवं प्रतिशत (संशोधित)

संख्या	राज्य	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		संख्या (लाख में)	प्रतिशत	संख्या (लाख में)	प्रतिशत	संख्या (लाख में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	
1.	आंध्र प्रदेश	129.81	28.18	35.35	22.14	165.16	26.62
2.	असम	35.88	19.20	1.56	6.99	37.44	17.89
3.	बिहार	252.26	35.86	25.86	24.85	278.12	34.44
4.	गुजरात	42.68	16.51	13.44	10.38	56.12	14.46
5.	हरियाणा	10.79	9.28	3.46	9.56	14.24	9.34
6.	हिमाचल प्रदेश	3.44	7.71	0.05	1.21	3:49	7.17
7.	जम्मू और कश्मीर	6.78	12.35	1.02	6.29	7.81	10.96
8.	कर्नाटक	91.73	31.10	25.32	19.83	117.05	27.70
9.	केरल	27.83	13.14	10.80	16.23	38.63	13.88
10.	मध्य प्रदेश	171.95	36.04	23.75	17.40	195.71	31.89
11.	महाराष्ट्र	143.94	31.41	39.73	14.45	183.67	25.05
12.	उड़ीसा	111.60	42.89	8.00	20.89	119,61	40.07
13.	पंजाब	6.77	4.99	2.82	5.13	9.59	6.03
14.	राजस्थान	69.63	22.03	14.68	16.22	84.31	20.74
15.	तमिलनाडु	121.44	34.38	30.78	17.17	152.23	28.58

1	2	3	4	5	6	7	
16.	उत्तर प्रदेश	332.41	31.79	56.94	22.90	389.35	30.08
17.	पश्चिम बंगाल	114.37	24.73	28.24	16.44	142.60	22.49
	अखिल भारतीय	1682.98	28.37	331.08	16.82	2014.06	25.49

टिप्पणी : (1) उपरोक्त अनुमान 1987-88 के मूल्यों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 132.00 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 152.3 रुपए की गरीबी की रेखा जो 1973-74 की क्रमशः 49.1 रुपए तथा 56.6 रुपए की गरीबी रेखाओं का उत्तरवर्ती है, के अनुसार निर्धारित किया गया है।

(2) गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की संख्या । अक्टूबर, 1987 तक की जनसंख्या पर आधारित है।

(3) सारे परिणाम 43 वें चक्र (जुलाई, 1987-जून, 1988) में हुए उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर आधारित है।

(4) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में अनुमानित किए गए अखिल भारतीय निजी उपभोक्ता व्यय के औसत तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के औसत के अन्तर को विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के बीच यथाअनुपात समायोजित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में गैस भण्डार

26. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के उपलब्ध होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से क्षेत्रों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मिली है तथा कौन-कौन से अभिकरण इस खुदाई कार्य में लगे हुए हैं;

(घ) अब तक इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा तत्संबंधी परिणाम क्या रहे;

(ङ) इस संबंध में भविष्य की योजनाएं क्या हैं तथा इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(च) क्या राज्य में तेल संबंधी सरकारी क्षेत्र का उपक्रम स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). ओ एन जी सी और ओ आई एल दोनों राजस्थान में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण में संलग्न हैं। ओ एन जी सी ने पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में पांच संरचनाओं नामतः खरतार, महेरा टिब्बा, घोटारू, बांकिया और भाकड़ी टिब्बा में गैस के भण्डारों का पता लगाया है। ओ आई एल ने जैसलमेर में 6 संरचनाओं, नामतः तानोत, डांडेवाला, बग्गी टिब्बा, जलालवाला, रामगढ़ और गामनेवाला में गैस भण्डारों का पता लगाया है तथा राजस्थान में बीकानेर नागौर बेसिन में अलग से भारी तेल के भण्डारों का पता लगाया है।

(घ) 1.4.96 तक ओ एन जी सी और ओ आई एल ने राजस्थान में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और विकास कार्य पर लगभग 542 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है तथा इसके परिणामस्वरूप 11.17 बी सी एम गैस भण्डार और 14.60 एम एम टी भारी तेल के भण्डार सिद्ध हुए हैं।

(ङ) राजस्थान में नौवीं योजना में अन्वेषण क्रियाकलाप और विकास वेधन चलाने की योजनाएं हैं। उपर्युक्त क्रियाकलापों के लिए नौवीं योजना के दौरान ओ आई एल द्वारा 192 करोड़ रुपये का परिव्यय नियत किया गया है। यह पूंजीगत उपस्करों और अन्य सुविधाओं के अलावा है। ओ एन जी सी ने 1996-97 से 2000-01 के दौरान राजस्थान में अन्वेषण कार्य के लिए 64.16 करोड़ रुपये की धनराशि भी नियत की है।

(च) फिलहाल राजस्थान में किसी नए तेल आधारित सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना करने के लिए भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

संराशिकृत पेंशन राशि की बहाली

27. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को संराशिकृत पेंशन 15 वर्षों के बाद फिर से बहाल कर दी जाती है जबकि पंजाब तथा हरियाणा में यह 12 वर्षों के बाद बहाल की जाती है;

(ख) क्या सरकार मुद्रास्फीति में वृद्धि को देखते हुए संराशिकृत पेंशन को 10 वर्षों के बाद फिर से बहाल किए जाने की आवश्यकता महसूस करती है; और

(ग) क्या सरकार इस मुद्दे को वेतन आयोग के पास सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा इस संबंध में उचित सिफारिश करने हेतु भेजेगी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के मामले में, पेंशन के संराशिकृत भाग की बहाली 15 वर्ष के पश्चात् की जाती है। ये आदेश 1987 में जारी किए गए थे। सरकार के पेंशनभोगियों को मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति, नियमित अन्तरालों पर पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान करके की जाती है। राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के मामले संबंधित राज्य सरकारें के विषय हैं। कुछ राज्य सरकारों, राज्य के पेंशनभोगियों की पेंशन के संराशिकृत भाग की बहाली 15 वर्ष की अवधि से पूर्व करती है। इस समय संराशिकृत पेंशन की बहाली के लिए वर्षों की संख्या को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में पेंशनभोगियों के लिए समुचित पेंशन ढांचा बनाने के लिए विद्यमान पेंशन ढांचे तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की जांच करना तथा उन पर वांछनीय एवं उपयुक्त सिफारिश करना शामिल है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ पेंशन का संराशीकरण तथा इससे संबंधित मामले भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

बिटुमिन का आबंटन

28. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा 1992-93, 1993-94, और 1995-96 के दौरान बिहार सरकार को कितने मीट्रिक टन बिट्मिन आबंटित किया गया;

(ख) बिहार सरकार द्वारा इन वर्षों के दौरान बिटुमिन की आपूर्ति के लिए भारतीय तेल निगम, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी को वर्ष-वार कितने आपूर्ति क्रयादेश दिए गए;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ट्रांसपोर्टरों ने बिहार की आबंटित बिटुमिन की काफी बड़ी मात्रा उपलब्ध नहीं कराई; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान बिहार सरकार को आबंटित बिटुमेन की मात्रा नीचे दर्शाई गई है :-

(आंकड़े एम टी में)

वर्ष	मात्रा
1992-93	90000
1993-94	88000
1994-95	78000
1995-96	100600

(ख) बिटुमेन की वह मात्रा नीचे दर्शाई गई है, जिसके लिए बिहार सरकार ने आई ओ सी, बी पी सी और एच पी सी को आपूर्ति आदेश दिया था :

(आंकड़े एम टी में)

वर्ष	आई ओ सी	बी पी सी	एच पी सी
1992-93	29300	20492.53	23940
1993-94	49500	15116.72	46255
1994-95	41000	26329.70	20000
1995-96	56800	15922.03	20050

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अवैध बिजली कनैक्शन

29. **श्री छत्रपाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध बिजली कनैक्शन से अनेक फैक्ट्रियां/उद्योग चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). राज्य में विद्युत की आपूर्ति और वितरण राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई फैक्ट्रीज/उद्योग नहीं है जो कि विभागीय कर्मचारियों के सहयोग से अवैध कनैक्शन से चलाए जा रहे हैं। यदि ऐसे मामलों की सूचना बोर्ड को दी जाती है कि राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के सहयोग से अवैध विद्युत कनैक्शन दिए जा रहे हैं तो उनके विरूद्ध बिजली की चोरी के लिए अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की जा सकती है।

तेल की खोज

30. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लघु और मझौला कम्पनियों को दिए जा रहे तेल की खोज और विकास ब्लाकों को इन कम्पनियों द्वारा लाभ कमाकर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं जब आबंटी कम्पनियों ने तेल की खोज और विकास ब्लाकों को पुनः बेच दिया है;

(ग) सरकार ने किन आधारों पर तेल की खोज और विकास ब्लाक इन कम्पनियों को आबंटित किए और यदि ये अनुबंध किन्हीं शर्तों पर दिए गए थे, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कम्पनियों द्वारा तेल की खोज और विकास ब्लाकों की पुनः बिक्री के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). कंपनियों द्वारा की जा रही ऐसी बिक्री की सरकार को जानकारी नहीं है। तथापि, संविदाओं के अंतर्गत सरकार के अनुमोदन से कंपनियों द्वारा अपने प्रतिभागिता हितों की आंशिक अथवा संपूर्ण सुपुर्दगी अथवा अंतरण के लिए व्यवस्था है। ब्लाक के जी-ओ एस-90/1 के मामले में सरकार द्वारा ऐसी पुनर्सुपुर्दगी/अंतरण के संबंध में अनुमति दी गई है।

(ग) तेल अन्वेषण ब्लाकों तथा खोजे गए तेल एवं गैस क्षेत्रों को निजी प्रतिभागिता के लिए प्रस्तावित करने से संबंधित कारणों में निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(1) कुछ क्षेत्रों का उपांतिक अर्थतंत्र।

(2) प्रस्तावित छोटे क्षेत्रों के न्यून भण्डार।

(3) अन्वेषण तथा विकास के अंतर्गत कुल निवेश में वृद्धि करने के लिए

(4) इन क्षेत्रों को जल्दी से उत्पादनरत करके तेल/गैस उत्पादन वृद्धि में सहायता करने के लिए

(5) बर्द्धित तेल निकासी संसाधनों के अनुप्रयोग के लिए।

(6) अद्यतन प्रबंधकीय तथा प्रौद्योगिकीय व्यवहारों को प्रवेश देने के लिए

वे खास खास शर्तें, जिन पर अन्वेषण ब्लाक तथा खोजे गए तेल एवं गैस क्षेत्र एवार्ड किए गए हैं, निम्नवत है :

अन्वेषण ब्लाकों से संबंधित संविदायें उत्पादन भागीदारी संविदायें हैं जिनमें कच्चे तेल तथा संबद्ध गैस के मामले में संविदा अवधि 25 वर्ष तक है। कंपनियों को अधिलाभों तथा सांविधिक उदग्रहणों के भुगतान के संबंध में छूट प्राप्त है। इसके साथ की कंपनियों को उनके तेल अंश देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर भुगतान किया जाता है, भारत सरकार को इन संविदाओं के तहत उत्पादित तेल के संबंध में मनाही करने का प्रथम अधिकार प्राप्त होगा। उद्यम के अंतर्गत अन्वेषण एवं/अथवा विकास स्तर पर आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन/आयल इंडिया लि. द्वारा प्रतिभागिता के संबंध में प्रावधान किया गया है तथा आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन/आयल इंडिया लि. उद्यम के अंतर्गत 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक प्रतिभागिता हित ले सकते हैं। वाणिज्यिक रूप से दोहनीय प्राकृतिक गैस संसाधनों के विकास के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं।

मध्यमाकारीय क्षेत्र एक तरफ आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी एल)/आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) तथा दूसरी ओर निजी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित किए जाएंगे। ओ एन जी सी/ओ आई एल उद्यम के अंतर्गत 40 प्रतिशत अंश लेंगे। लघु आकारीय क्षेत्र भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर की जाने वाली उत्पादन भागीदारी संविदाओं के तहत कंपनियों द्वारा स्वयंमेव विकसित किए जाएंगे तथा इसमें ओ एन जी सी/ओ आई एल की कोई प्रतिभागिता नहीं होगी। दोनों ही मामलों में कंपनियों से उनके रायल्टी, उपकर इत्यादि जैसे सांविधिक उद्ग्रहणों के अंश का भुगतान करने की भी अपेक्षा की जाएगी। तेल अन्वेषण में लगी विदेशी कंपनियों से 50 प्रतिशत की नियत दर पर आयकर वसूल किया जाएगा जबकि भारतीय कंपनियां आयकर के प्रासंगिक प्रावधान द्वारा शासित होगी। इसके अतिरिक्त उपलब्ध लाभ तेल में निजी कंपनियों की सरकार के साथ भागीदारी होगी।

(घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार नीतियां

31. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री शिवराज सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार नीतियां बनाने में राज्यों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के संबंध में एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है;

(घ) बेरोजगारी के संबंध में कार्यक्रम तैयार करने तथा इसके क्रियान्वयन के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान तथा 1996 में अक्तूबर माह तक संगठित क्षेत्र में कितने रोजगार के अवसर सृजित किए गए; और

(च) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने रोजगार के अवसर पैदा किए जाने की संभावना है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). राज्य रोजगार नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करने में लगे हुए हैं। नौंवी योजना एप्रोच प्रक्रिया में है और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च). गत दो वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था के संगठित सेक्टर में उपलब्ध रोजगार अनुमान निम्नानुसार हैं :-

रोजगार (मिलियन)

	सार्वजनिक	निजी	जोड़
1994	19.45	7.93	27.38
1995	19.47	8.06	27.53

निजी विद्युत परियोजनाएं

32. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु किसी आवेदन पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना की लागत और क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संस्थानों द्वारा वित्त पोषण हेतु अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) इन्हें कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ङ) शेष परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है;

(च) सरकार द्वारा प्रति गारंटी दी गई और स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय वित्तीय संस्थानों (आई एफ आई) द्वारा वित्त पोषण के लिए विचाराधीन निजी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) विद्युत मंत्रालय में उपलब्ध सुचनाओं के अनुसार आई. एफ.आई. द्वारा वित्तपोषण के लिए अब तक अनुमोदित की गई निजी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इन परियोजनाओं में से केवल एक परियोजना यथा डाभोल विद्युत परियोजना ने वित्तीय समापन प्राप्त किया था और राज्य सरकार द्वारा परियोजना का परित्याग और पुनरूत्थान करने के कारण परियोजना को अब पुनः वित्तीय समापन प्राप्त करना है।

(घ) इन परियोजनाओं का पूरा होना वित्तीय समापन प्राप्त करने तथा परियोजनाओं पर कार्य पूरा होने पर निर्भर करता है।

(ङ) आई.एफ.आई. के विचाराधीन परियोजनाओं के संबंध में निर्णय आई.एफ.आई. द्वारा उनका अनुमोदन किए जाने के बाद लिया जाएगा।

(च) निम्नलिखित फास्ट ट्रेक विद्युत परियोजनाओं के संबंध में भारत सरकार की प्रति गारंटी जारी की गई है।

(1) महाराष्ट्र की डाभोल टीपीएस (चरण-I) (740 मे.वा.)

(2) उड़ीसा की इब घाटी टीपीएस (यूनिट 3 व 4) (420 मे. वा.)

(3) आंध्र प्रदेश की जेगुरूपाडु टीपीएस (216 मे.वा.)

(छ) विद्युत क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के लिए संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के वास्ते वर्ष 1991 में एक नीति प्रारंभ की है। विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक रही है। तथापि नीति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

विवरण-I

भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषण हेतु विचाराधीन निजी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
1.	श्रीमुशनम टीपीएस	तमिलनाडु	250	2037
2.	कारबी लांग्पी एचईपी	असम	100	284.3

1	2	3	4	5
3.	भद्रावती टीपीपी	महाराष्ट्र	1082	5187
4.	रोसा टीपीपी	उत्तर प्रदेश	500	2237
5.	पेंच टीपीपी	मध्य प्रदेश	500	2710
6.	भांडेर सीसीजीटी	मध्य प्रदेश	330	1232
7.	जामनगर टीपीपी	गुजरात	500	2075.29
8.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी	तमिलनाडु	200	690
9.	यमुना नगर	हरियाणा	700	2625
10.	पिल्लईपेरूमल-नेल्लूर	तमिलनाडु	330.5	1121.7
11.	सीसीजीटी			
11.	कोरबा (पश्चिम) टीपीपी	मध्य प्रदेश	500	2248
12.	विशाखापट्टनम टीपीपी	आंध्र प्रदेश	1040	4318
13.	तूतिकोरिन टीपीपी	तमिलनाडु	500	2248
14.	गुना सीसीजीटी	मध्य प्रदेश	330	1267.7
15.	नार्थ मद्रास	तमिलनाडु	1050	4423.8
16.	बीना टीपीपी	मध्य प्रदेश	500	2450.3
17.	रामागुंडम टीपीपी	आंध्र प्रदेश	500	2692
18.	समयनल्लूर डीजीपीपी	तमिलनाडु	100	384
19.	पातालगंगा सीसीपीपी	महाराष्ट्र	410	1380.83
20.	कसारगोड सीसीजीटी	केरल	500	1701
21.	इबुआ सीसीजीटी	मध्य प्रदेश	330	1200
22.	सूरत टीपीपी	गुजरात	250	1151.16
23.	कोरबा (पूर्वी) टीपीपी	मध्य प्रदेश	1000	4630.57
24.	कोरबा (पश्चिमी) टीपीपी	मध्य प्रदेश	420	1600
25.	रायचूर टीपीएस	कर्नाटक	420	1545
26.	बवाना सीसीजीटी	दिल्ली	421	739
27.	नागार्जुना	आंध्र प्रदेश	227	739
28.	भिलाई टीपीपी	मध्य प्रदेश	500	2135

विवरण II

उन निजी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा जिन्होंने भारतीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तपोषण सुनिश्चित किया है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
1.	जेगरूपाडु सीसीपीपी	आंध्र प्रदेश	216
2.	गोदावरी सीसीजीटी	आंध्र प्रदेश	208
3.	दाभोल सीसीजीटी	महाराष्ट्र	740
4.	नेवेली टीपीपी	तमिलनाडु	250
5.	ईब घाटी टीपीपी	उड़ीसा	420
6.	बासपा चरण-2 एचईपो	हिमाचल प्रदेश	300
7.	हाजिरा सीसीजीटी	गुजरात	515
8.	पागुथन सीसीजीटी	गुजरात	654.7

1	2	3	4
9.	महेश्वर एचईपी	मध्य प्रदेश	400
10.	जोजोबेड़ा टीपीपी	बिहार	202.5
11.	बड़ौदा सीसीजीटी	गुजरात	167
12.	आदमटीला जीबीपीपी	असम	15.5
13.	बंसाकांडी जीबीपीपी	असम	15.5
14.	बालागढ़ टीपीपी	पश्चिम बंगाल	500
15.	तोरानागल्लु टीपीपी	कर्नाटक	260
16.	चुंबनकाटे एचईपी	कर्नाटक	15

शहरी मूलभूत सेवाएं

33. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबों के लिए शहरी मूलभूत सेवाओं के अन्तर्गत उड़ीसा के कितने शहर विकसित किए गए हैं;

(ख) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान इस प्रयोजन से शहर वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस संबंध में शहर-वार किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाओं की योजना (यू.बी.एस.पी.) उड़ीसा के निम्नलिखित 12 शहरों में चलाई जा रही है :

1. अंगुल
2. फूलबनी
3. कोरापुट
4. जाजपुर
5. केन्द्रपाड़ा
6. तलचर
7. छतरपुर
8. जगतसिंह पुर
9. रायगड़ा
10. भंजनगर
11. बालासौर तथा
12. बहरामपुर

(ख) और (ग). ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान उड़ीसा में यू बी एस पी कार्यक्रम के लिए आबंटित शहर-वार धनराशि तथा इस बारे में किया गया कार्य

शहर का नाम	वित्तीय नियतन 1994-95	वित्तीय नियतन 1995-96 (रु. लाखों में)	सुधारे गये नल कूपो/नलकों/ कुओं की सं.	शौचालय/ धुंआ रहित चूल्हे/ कूड़ादान	निर्मित नाली (मीटर में)	आईजीए ऋण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	जारी आई जी ए ऋण की राशि	टीकाकृत बच्चों/ महिलाओं का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बालासोर	3.38	12.30	2	240	178	680	1,60,100	5
			14	753				78
			14	312				
बारीपदा	2.66	4.20	74	227	460	120	30,000	78
			100	352				84
			149	250				
जाजपुर	...	8.98	50	1500	420	61	18,300	87
			–	382				91
			80	348				
भंजनगर	0.68	2.90	5	307	83	–	–	72
			–	115				68
			12	72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छतरपुर	0.71	2.61	27	394	744	54	22,800	94
			22	194				79
			37	80				
जगतसिंहपुर	0.99	3.63	22	370	1200	14	7,000	94
			2	124				92
			11					
जाजपुर	1.08	3.11	38	440	670	35	10,500	91
			16	20				87
			31	30				
केन्द्रापाडा	1.39	4.40	25	370	2942	48	24,000	95
			–	125				100
			5	87				
कोरापुट	1.98	4.47	2	203	1944	52	14,300	91
			5	537				88
			7	28				
फूलबानी	1.24	3.61	12	110	222	18	10,660	89
			–	850				87
			7	107				
तालचर	0.79	3.25	5	217	300	60	18,500	96
			–	55				92
			22	90				

– बारीपाडा को अब प्रधानमंत्री के समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लाभान्वित किया जा रहा है।

– कार्यक्रम के तहत लाभान्वित करने हेतु हाल ही में हाथ में लिए गए दो शहरो नामित अंगुल तथा रायगड़ा के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसी

34. **श्री बच्ची सिंह "बचदा" रावत :**
श्री के. डी. सुल्तानपुरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में नए गैस कनेक्शन प्रदान करने एवं अधिक रसोई गैस एजेंसियां खोले के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में वर्तमान एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलबध प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए ऐसे क्षेत्रों में एल पी जी कनेक्शन जारी करने के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को अधिकृत किया हैं। जहां तक नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने का संबंध है, नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपें जरूरत तथा संभाव्यता के आधार पर समय समय पर योजनाबद्ध की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र तथा छोटे नगर नयी विपणन योजना के तहत शामिल किये जाएंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एच बी जे गैस पाईप लाइन

35. **डा. सत्यनारायण जटिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय एच बी जे गैस पाईप लाईन द्वारा गैस की कितनी मात्रा की आपूर्ति की जा रही है और अक्तूबर, 1996 की स्थिति के अनुसार इस पाईप लाइन द्वारा गैस की कुल कितनी मात्रा की आपूर्ति किए जाने की क्षमता थी; और

(ख) मध्य प्रदेश में गैस आधारित पावर हाउस की स्थापना हेतु कुल कितनी आवश्यकता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) एच बी जे पाइपलाइन की वर्तमान निर्धारित क्षमता 18.2 एम एम एस सी एम डी है। इस पाइपलाइन के जरिए वर्तमान आपूर्ति लगभग 20 एम एम एस सी एम डी है।

(ख) मध्य प्रदेश में किसी गैस आधारित विद्युत परियोजना के लिए कोई गैस आबंटित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

कायमकुलम परियोजना

36. श्री रमेश चेन्नितला :

प्रो. पी. जे. कुरियन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में प्रस्तावित कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा केरल में क्रियान्वित की जाने वाली कायमकुलम कम्बाइंड साईकिल विद्युत परियोजना (400 मे.वा.) को भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक वित्त पोषण के आधार पर दिनांक 18.9.96 को निवेश अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। परियोजना हेतु प्रमुख संयंत्र टर्न-की संविदा दिनांक 18.7.96 को मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को प्रदान कर दी गई है। संसाधन जुटाए जाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न आधारभूत कार्य संबंधी गतिविधियां यथा पहुंच मार्गों का निर्माण, नालियां, कार्य स्थल को समतल बनाना तथा अस्थायी कार्यालय की इमारतों का कार्य प्रगति पर है।

(ख) परियोजना के प्रथम तथा द्वितीय गैस टरबाइनों को क्रमशः मार्च, 1999 तथा मई, 1999 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है। परियोजना के भाप टरबाईन को मार्च, 2000 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) अक्तूबर, 1996 के अंत तक परियोजना पर व्यय की गई कुल लागत लगभग 30 करोड़ रुपये है।

रियायती दर पर मिलने वाली गेहूं

37. श्री ए.सी. जोस : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को रियायती दर पर गेहूं की आपूर्ति करनी बंद कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) जी हां।

(ख) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि. को रियायती दरों पर गेहूं की सप्लाई करने संबंधी स्कीम की अवधि 31.10.1996 को समाप्त हो गई है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

38. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए बजट प्रावधानों के अतिरिक्त भी धनराशि आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने भी और अधिक धनराशि के आवंटन की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). दिनांक 4-5 जुलाई, 1996 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की पहचान की थी। ये सात बुनियादी सेवाएं हैं : (1) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना, (2) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं मुहैया कराना, (3) प्राथमिक शिक्षा का विस्तारीकरण, (4) सभी बेघर गरीब परिवारों को सार्वजनिक आवास सहायता की व्यवस्था, (5) सभी ग्रामीण ब्लॉकों और शहरी गंदी बस्तियों तथा अलाभान्वित समुदायों के प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर के भोजन कार्यक्रम का विस्तार, (6) सभी असंबद्ध गांवों और निवास स्थानों को संबद्ध करने का प्रावधान, तथा (7) गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाना।

वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए, केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय बजट में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के वास्ते इन सेवाओं के लिए निधियों की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 2466 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया है। इस राशि में से 250 करोड़ रुपये गंदी बस्ती में रहने वालों के लिए अलग से रखे गये हैं। शेष 2216 करोड़ रुपये की राशि इन सात पहचान की गई बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना में पूर्व निर्धारित प्रावधान के अतिरिक्त होगी।

[हिन्दी]

पलायन

39. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोग काफी संख्या में बड़े-बड़े शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रवासी पूर्वी राज्यों से काफी अधिक संख्या में हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रवासी प्रकृति पर रोक लगाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) प्रवसन तालिका संबंधी 1991 की जनसंख्या के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं तथा तदनुसार ब्यौरे प्रस्तुत करना संभव नहीं है। बड़े शहरी केन्द्रों की और प्रवसन के कारणों में "समृद्धि का आकर्षण" तथा "गरीबी" शामिल है। बड़े शहरी क्षेत्रों में बेहत्तर आर्थिक अवसरों और जीवन यापन परिस्थितियों की ओर गांवों और छोटे शहरों के लोग आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार गांवों और छोट शहरों में रोजगार अवसरों के अभाव तथा अवस्थापना सुविधाओं के घटिया स्तर के कारण लोग बड़े शहरी केन्द्रों की ओर जाने को विवश होते हैं।

(ग) और (घ). चूंकि 1991 की जनगणना की प्रवसन तालिकाएं उपलब्ध नहीं हैं इसलिए निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि अधिकतर प्रवासी पूर्वी राज्यों से हैं।

(ङ) शहरों की ओर प्रवसन और जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं को हल करने संबंधी सरकार की अवधारण का 8वीं योजना दस्तावेज में उल्लेख है। इस अवधारणा में दोहरी रणनीति यथा (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.) आदि योजनाएं चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों और बेहतर सुविधाओं का सृजन तथा (2) छोटे तथा मझौले शहरों के एकीकृत विकास की योजना (आई.डी.एस.एम. टी.) के तहत बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर इन शहरों का विकास और नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई) तथा प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से शहरी गरीबों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन करने का विचार है इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं (1) बड़े नगरों में प्रवास के लिए प्रोत्साहन कम करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे तथा मझौले शहरों के अनुकूल परिस्थिति सृजित करना और (2) चुने हुए छोटे और मझौले, ऐसे विकास केन्द्रों का संवर्द्धन करना, जहां ग्रामीण/अंतः प्रदेशों से अधिक प्रवासियों को खपाया जा सके जिससे बड़े नगरों मे जाने की उनकी आवश्यकता कम हो।

[अनुवाद]

हाइड्रो कार्बन का उत्पादन

40. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हाइड्रो कार्बन का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) हाइड्रोकार्बन का उत्पादन बढ़ाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा तैयार की गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजना वार अब तक कितनी प्रगति हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) सरकार का अग्रवर्ती क्षेत्रों तथा अपतट में गहरे समुद्र में भूकंपीय सर्वेक्षणों, अन्वेषण और विकास वेधन, विदेशों में रकबों/भण्डारों के अर्जन, तथा तेल उत्पादन की नई योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में तेजी लाकर कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(ख) ओ एन जी सी ने कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(1) नई परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन और विद्यमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास।

(2) ई ओ आर योजनाओं का कार्यान्वयन और कुछ ई ओ आर योजनाओं को प्रायोगिक स्तर से पूर्ण स्तर क्षेत्र अनुप्रयोग तक बढ़ाना।

(3) ई आर डी, साइड ट्रेक, क्षैतिज और नालिका छिद्र वेधन जैसी विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन।

(4) जहां आवश्यक समझा जाए, वहां अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना।

(5) तेल क्षेत्रों का त्रिआयामी सर्वेक्षण।

(6) ऐसे रूग्ण कूपों को जिनमें अभी भी संभाव्यता है पुनः सक्रिय करने के लिए प्रभावशाली वर्क ओवर, लंबे/छोटे ड्रिफ्ट साइड ट्रेक्ट, नालिका छिद्र जैसे सुधारात्मक उपायों की योजना बनाई गई है।

(ग) ओ एन जी सी ने सरकारी अनुमोदन के लिए निम्नलिखित नई योजनाएं बनाई हैं :

(1) बसीन क्षेत्र में बूस्टर कंम्प्रेशर की स्थापना करना।

(2) बंबई हाई उत्तर-2 में अतिरिक्त विकास।

(घ) ओ एन जी सी ने जारी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न कदम उठाए हैं :-

(1) परियोजना, क्षेत्रीय और बोर्ड स्तर पर सूक्ष्म निगरानी।

(2) विभिन्न परियोजना क्रियाकलापों की समानांतर योजना बनाना।

(3) मुद्दों के समाधान के लिए ठेकेदारों/विक्रेताओं के साथ निकट संपर्क।

(4) परियोजना प्रबंधन में नवीनतम साफ्टवेयर का उपयोग करना।

(ङ) जारी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

जारी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :-

1. बी-121/119 संरचना का विकास :

लाइन पाइप की प्राप्ति और कोट/रैप कार्य पूरा कर लिया गया है। पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। बी-121 प्लेटफार्म के जैकेट का 27.10.96 को लदान किया गया। डेक का निर्माण जारी है।

2. बी-173 ए विकास :

मैसर्स एल एण्ड टी को प्रदान किए जाने की अधिसूचना 30.4.96 को जारी की गई और ठेके पर 28.08.96 को हस्ताक्षर किए गए। डिवाइन इंजीनियरिंग लगभग पूरी की जा चुकी है और सामग्री का प्रापण किया जा रहा है। डेक का निर्माण आरंभ हो गया है।

3. बी-55 विकास :

मैसर्स एम डी एल को बी-55 कूप प्लेटफार्म टेंडर के लिए 15.10.96 को एन ओ ए जारी कर दिया गया है। आरंभ करने की बैठक 31.10.96 को आयोजित की गई। डिजाइन इंजीनियरिंग आरंभ हो गई हैं। लाइन पाइन आपूर्ति निर्यात के लिए बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन जारी है।

4. हीरा चरण-3 विकास :

एच एक्स - एच वाई कूप प्लेटफार्म और पाइप लाइन टेंडर के लिए मैसर्स एम डी एल को सशर्त आशय पत्र 10.02.96 को जारी किया गया और इसे 11.10.96 को पुष्ट किया गया। विस्तृत इंजीनियरिंग तथा जैकेट का निर्माण जारी है।

एच आर सी प्रोग्रेस प्लेटफार्म के लिए मैसर्स एल एण्ड टी को सशर्त आशय पत्र 29.02.96 को जारी किया गया और इसे 13.09.96 को पुष्टि किया गया

विस्तृत इंजीनियरिंग जारी है।

ओ बी जी द्वारा कार्यान्वयनाधीन मुख्य पूंजीगत योजनाओं की प्रगति

परियोजना/योजना का नाम और लक्ष्य	पूर्णता	कार्यक्रम के पूरी होने की अनुमानित तारीख	सितंबर, 1996 तक प्रगति प्रतिशत योजना/वास्तविक	समय में वृद्धि को रोकने के लिए की गई कार्रवाई/अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
5) गांधार क्षेत्र विकास, चरण-2 2.54 एम एम टी पी ए तेल+कंडेनसेट और 6.85 एम एम एस सी एम डी गैस का सर्वोच्च उत्पादन प्राप्त करना (चरण-1 विकास सहित)	मई'96	नवम्बर'96	100.0/97.6	कूपों का वेधन और पाइपलाइनों को बिछाने का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है/आकस्मिकता योजना के तहत जमीनी सुविधाएं पूरी की जा चुकी है और यह क्रियाशील हैं। उपयोगिताओं तथा आफसाइटों व जी जी एस को टर्नकी ठेकेदार (मै. एल एस आई एल) द्वारा निर्माण कार्य की धीमी गति व मुख्य उपस्करों की सपुर्दगी में विलंब के कारण यह परियोजना अपने निर्धारित समय से पीछे रही है। टर्नकी ठेकेदार को बचा हुआ कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

1	2	3	4	5
6) तत्स्थान दहन, बलोल (मुख्य) ई ओ आर 19 वर्षों में 5.58 एम एम टी अतिरिक्त तेल उत्पादन प्राप्त करना।	जुलाई"97	सितंबर"97	56.3/47.3	मैसर्स बी एच पी वी द्वारा एच पी सर्ज वेसलों की आपूर्ति में विलंब के कारण यह परियोजना निर्धारित समय से कुछ पीछे चल रही है। मै. वी एच पी वी से आपूर्ति में शीघ्रता लाने को कहा जा रहा है।
7) तत्स्थान दहन, संथाल (मुख्य) ई ओ आर 18 वर्षों में 13.94 अतिरिक्त तेल उत्पादन प्राप्त करना	अक्तूबर"97	मार्च"98	18.7/13.9	-वही-

प्राकृतिक गैस

41. डा. जयन्त रंगपी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार वार्षिक रूप से प्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा का उत्पादन होता है;

(ख) राज्य-वार प्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा बिना उपयोग किये जला दी जाती है;

(ग) राज्य-वार वार्षिक रूप से इस प्रकार की अप्रयुक्त गैस से कितने रुपयों की हानि होती है; और

(घ) इस हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) गैस दहन को कम करने के संबंध में उठाए गए कदमों में अपेक्षित संपीड़न तथा परिवहन सुविधाओं, गैस का भूमिगत भण्डारण, अलग थलग पूलों से गैस उपयोग करने के लिए उपभोक्ताओं की पहचान सम्मिलित हैं।

विवरण

(गैस आंकड़े एम एम एस सी एम डी में तथा मूल्य लाख रुपए में/प्रतिदिन)

राज्य	गैस उत्पादन	दहन हुई गैस	काल्पनिक मूल्य
1	2	3	4
पश्चिमी अपतट	45.30	1.67	25.1
गुजरात	7.86	0.76	11.4
राजस्थान	0.03	शून्य	शून्य
असम	5.31	0.87	13.05
तमिलनाडु	0.32	0.27	4.1
आंध्र प्रदेश	1.85	शून्य	शून्य
त्रिपुरा	0.36	शून्य	शून्य

टिप्पणी : काल्पनिक मूल्य 1500/- रुपये प्रति हजार घन मीटर लिया गया है।

मिट्टी के तेल में मिलावट

42. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिट्टी के तेल में मिलावट किए जाने के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की मिलावट पर अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). मिट्टी के तेल में मिलावट का कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) मिलावट/अनियमितताओं को रोकने के लिए तेल कंपनियों के क्षेत्र अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए/अचानक छापे मारे जाते हैं। किसी भी अनियमितता के मामले में विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अंतर्गत डीलर के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता प्राप्त बिजली परियोजना

43. डॉ. साहेबराव सुकराम बागूल :
श्री सोहन वीर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता प्राप्त बिजली परियोजनाओं का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार के पास राज्य-वार ऐसी कितनी परियोजनाएं लंबित हैं;

(ग) 1996-97 और 1997-98 में कितनी परियोजनाओं के चालू हो जाने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). आज तक, समझौता ज्ञापन/आशय पत्रों के जरिए 100 करोड़ रुपए की लागत तथा प्रतियोगितात्मक बोली के जरिए 1000 करोड़ विदेशी निवेश अंतर्ग्रस्त निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजना स्थापित करने के 50 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विद्युत मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार इनमें से निम्नलिखित परियोजनाओं को विदेशी निवेश की दृष्टि से स्वीकृति मिल गयी है, उन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है और यह निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं :-

जेगरूपाडु सीसीजीटी (मै. जीवीके इंडस्ट्रीज लि.) पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	216 मेगावाट
गोदावरी सीसीजीटी मै. स्पेक्ट्रम टैक्नॉलाजी) पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	208 मेगावाट
दाभोल सीसीजीटी (मै. दाभोल पावर कंपनी) जिला : रत्नगिरि, महाराष्ट्र।	695 मेगावाट (फेस-I)
महेश्वर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (मै. श्री महेश्वर हाईडल पावर कारपोरेशन लि.) जिला: खरगोन, मध्य प्रदेश।	400 मेगावाट
पागुथन जीवीपीपी (मै. गुजरात टोरेन्ट एनर्जी कारपोरेशन लि.) जिला : भड़ूच, गुजरात।	655 मेगावाट

(ग) परियोजना प्रवर्तकों द्वारा दिए गए संकेतों के अनुसार जेगरूपाडु सीसीजीटी तथा गोदावरी सीसीजीटी वर्ष 1997-98 में चालू किए जाने की संभावना है।

(घ) भारतीय अथवा विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित किए जाने वाली निजी विद्युत परियोजना को राज्य एवं केन्द्रीय एजेंसियों से कई एक स्वीकृतियां प्राप्त करनी होती हैं। कंपनी को भारतीय वित्तीय संस्थानों/विदेशी बैंकों इत्यादि से वित्त सुनिश्चित करने होते हैं। यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है तथा परियोजनाओं को विशिष्ट रूप से स्थापित करने संबंधी अनुसूचियां कंपनी की वित्तीय स्वीकृति के उपरांत ही निर्धारित की जा सकती हैं।

[अनुवाद]

समान विद्युत शुल्क

44. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए समान विद्युत शुल्क लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथ अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रसोई गैस कनेक्शन

45. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री कचरू भाऊ राउत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस डीलरों/वितरकों को एक वर्ष के दौरान अपने उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन देने के लिए रसोई गैस कनेक्शन कोटा देने संबंधी मौजूदा मानदंड क्या हैं;

(ख) बिहार में एक वर्ष में कितने रसोई गैस डीलरों/वितरकों को एल पी जी कनेक्शन कोटा दिया गया; और

(ग) क्या सरकार का देश में विशेष रूप से बिहार में रसोई गैस डीलरों/वितरकों का एल पी जी कोटा बढ़ाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) नए गैस कनैक्शनों का आबंटन राज्य वार आधार पर नहीं किया जाता। नए एल पी जी गैस कनेक्शन, देश स्तर पर नए ग्राहकों के कुल नामांकन, उत्पाद उपलब्धता, राज्य में डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक तथा प्रतीक्षा सूचियों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1996-97 के दौरान देश में नए एल पी जी कनेक्शनों को जारी करने का लक्ष्य 20 लाख निश्चित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों में एल पी जी कनेक्शन जारी करने को प्राथमिकता दी है :-

1. पहाड़ी क्षेत्र
2. ताल ट्रेपेजियम क्षेत्र।
3. तत्काल योजना के अंतर्गत जारी करना।
4. एम पी/एम ओ पी प्राथमिकताएं।
5. नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू करना।

6. पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्राथमिकताएं।

7. अव्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटर।

(ख) अप्रैल-सितम्बर, 1996 के दौरान बिहार में डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों को आबंटित नए कनेक्शनों की संख्या 33,350 है।

(ग) देश के लिए एल पी जी विपणन योजना 1996-97 के प्रारूप में 499 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रस्तावित की गई हैं, जहां बिहार राज्य के लिए 16 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रस्तावित की गई हैं।

तेल संकोष (पूल) खाता

46. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य :**
श्री डी.पी. यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल संकोष (पूल) खाते में बढ़ते हुए घाटे ने सरकार के लिए चिन्ताजनक स्थिति पैदा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का तेल संकोष (पूल) खाते में हो रहे घाटे को रोकने के लिए पेट्रोल की आपूर्ति को प्रतिबन्धित करने हेतु कदम उठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या क्या उपाय करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). तेल पूल खाते की स्थिति पर सतत आधार पर निगरानी रखी जा रही है तथा घाटे को रोकने के उपाय किए गए हैं। पेट्रोल की आपूर्ति को सीमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एल पी जी बाटलिंग प्लांट

47. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एल पी जी बाटलिंग प्लांटों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा उनकी क्षमता कितनी हैं;

(ख) क्या क्षमता का कम उपयोग किए जाने के कारण देश में रसोई गैस की कमी हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) केरल में रसोई गैस कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) देश में 86 एल पी जी भरण संयंत्र प्रचालन कर रहे हैं जिनकी क्षमता 3217 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। प्रत्येक संयंत्र का स्थान तथा क्षमता दर्शाता हुआ एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ). जी, नहीं। तथापि, कुछ एक संयंत्रों के कम उपयोग के संबंध में एक मात्र पहलू एल पी जी की सीमित उपलब्धता है। यह आशा की जाती है कि कांडला तथा मंगलौर में नई आयात सुविधाओं के सुदृढ़ होने तथा देश में एल पी जी के उत्पादन और अतिरिक्त आयातों में वृद्धि होने पर आगामी पांच वर्षों में देश के अंतर्गत विद्यमान प्रतीक्षा सूची निपटा दी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	भरण संयंत्र/स्थान	तेल कंपनी	विद्यमान भरण क्षमता
1	2	3	4
1.	**आन्ध्र प्रदेश**		
	विजयवाड़ा	आई ओ सी	22
	चेरलापली	एच पी सी	78
	विजयवाड़ा	एच पी सी	44
	विशाख	एच पी सी	44
	करनूल	बी पी सी	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	आई ओ सी	–
3.	**असम**		
	बोंगाईगांव	आई ओ सी	22
	गोहाटी	आई ओ सी	5
	आयल दुलियाजान	आई ओ सी	25
	सिलचर	आई ओ सी	10
	गोहाटी	आई ओ सी	22
4.	**बिहार**		
	जमशेदपुर	आई ओ सी	44
	बरौनी	आई ओ सी	15
5.	गोआ	एच पी सी	22
6.	**गुजरात**		
	राजकोट	आई ओ सी	44
	हाजिरा	आई ओ सी	44
	सूरत	एच पी सी	12
	गांधीनगर	एच पी सी	26
	कोयाली	आई ओ सी	102
	हरियाला	बी पी सी	34

1	2	3	4
7.	**हरियाणा**		
	करनाल	आई ओ सी	44
	हिसार	बी पी सी	10
	पियाला	बी पी सी	132
	जिंद	एच पी सी	22
	बहादुरगढ़	एच पी सी	44
8.	**हिमाचल प्रदेश**		
	बादी	आई ओ सी	22
9.	**जम्मू और कश्मीर**		
	जम्मू	एच पी सी	20
	श्रीनगर	एच पी सी	7
10.	**कर्नाटक**		
	बंगलौर	आई ओ सी	34
	बंगलौर	एच पी सी	34
	मैसूर	एच पी सी	22
	हुबली	एच पी सी	44
	मंगलौर	बी पी सी	44
	बेलगाम	आई ओ सी	12
11.	**केरल**		
	कोचीन	आई ओ सी	44
	त्रिवेन्द्रम	बी पी सी	44
	कालीकट	आई ओ सी	18
	पालघाट	एच पी सी	10
12.	**मध्य प्रदेश**		
	भोपाल	आई ओ सी	44
	भिटोनी	बी पी सी	44
	मंगलिया	एच पी सी	34
	रायपुर	एच पी सी	44
13.	**महाराष्ट्र**		
	बम्बई	बी पी सी	122
	उरान	बी पी सी	132
	जलगांव	बी पी सी	44
	शोलापुर	बी पी सी	44
	बम्बई	एच पी सी	65
	औरंगाबाद	एच पी सी	44
	चन्दरपुर	एच पी सी	22
	खापड़ी	एच पी सी	34
	मिराज	एच पी सी	22
	माहुल	एच पी सी	25
	चाकन/पुणे	एच पी सी	44
	पुणे	आई ओ सी	22
14.	**उड़ीसा**		
	बालाशोर	आई ओ सी	44
	खुरदा	बी पी सी	10
	खुरदा रोड	एच पी सी	44
15.	**पंजाब**		
	जालंधर	आई ओ सी	68
	लालरु	बी पी सी	88
	होशियारपुर	एच पी सी	13
16.	**राजस्थान**		
	सवाईमाधोपुर	आई ओ सी	44
	अजमेर	आई ओ सी	10
	जयपुर	बी पी सी	10
	जोधपुर	एच पी सी	26
	उदयपुर	बी पी सी	10
17.	**तमिलनाडु**		
	कोयम्बटूर	बी पी सी	68
	टूटीकोरीन	बी पी सी	20
	एम आर एल	आई ओ सी	75
	सलेम	आई ओ सी	34
18.	**उत्तर प्रदेश**		
	कानपुर	आई ओ सी	64
	मथुरा	आई ओ सी	88
	इलाहाबाद	आई ओ सी	34
	हलद्वानी	आई ओ सी	22
	हरिद्वार	आई ओ सी	22
	बरेली	बी पी सी	10
	लखनऊ	बी पी सी	10
	कसना	एच पी सी	13
	उन्नाव	एच पी सी	13
	गोरखपुर	एच पी सी	13
	वाराणसी	आई ओ सी	25

1	2	3	4
19.	**पश्चिम बंगाल**		
	कल्याणी	आई ओ सी	44
	दुर्गापुर	आई ओ सी	64
	हल्दिया	आई ओ सी	20
	पहाड़पुर	एच पी सी	26
	योग – राज्य		3050
	संघ राज्य क्षेत्र		
20.	**दिल्ली**		
	टिकरीकलां	आई ओ सी	132
	मदनपुर खादर	आई ओ सी	25
21.	पांडिचेरी	आई ओ सी	10
	योग–संघ राज्य क्षेत्र:		167
	कुल योग :		3217

सलाया मथुरा पाईपलाइन परियोजना

48. डा. बल्लभ भाई कठीरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलाया मथुरा पाईपलाइन परियोजना से तेल की चोरी संबंधी वारदात हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पाईपलाइन की निगरानी हेतु हवाई सर्वेक्षण आरंभ किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक इसे आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). हाल में आई ओ सी की सलाया - मथुरा पाइपलाइन से तेल की चोरी होने की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। पाइपलाइन का हवाई सर्वेक्षण नहीं किया जाता। तथापि, आई ओ सी के समर्पित लाइन मैन पाइपलाइन पर गश्त लगाते रहते हैं।

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद

49. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर की चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा अंतिम चेतावनी दिए जाने के परिणामस्वरूप कितने उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है; और

(घ) आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों से मिले हथियारों का क्या ब्यौरा है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). 9 अक्तूबर, 1996 को जम्मू और कश्मीर राज्य में एक निर्वाचित सरकार ने शासन संभाल लिया है। राज्य में व्याप्त स्थिति पर केन्द्र और राज्य सरकार सतत् निगरानी रख रही है।

(ग) और (घ). राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 9 अक्तूबर, 1996 से, जब निर्वाचित सरकार ने राज्य का शासन संभाला, 204(दो सौ चार) उग्रवादियों ने प्राधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों द्वारा समर्पित हथियारों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :-

ए.के. राईफल	–	96
यू.एम.जी.	–	05
पिस्तौल/रिवाल्वर	–	47
आर.पी.जी.एस.	–	06
पिका गन	–	02
स्नीफर राईफल	–	01
कारबाईन	–	01
हथगोले	–	16
वायरलैस सैट	–	18

बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी समर्पित किया गया।

मिट्टी तेल का मूल्य

50. श्री संदीपन थोरात : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1997–98 से रिफाइनरी गेट पर मिट्टी तेल, पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस और विद्यमान ईंधन हेतु समायोजित आयात सममूल्य लागू कर सरकारी मूल्य प्रणाली में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सरकारी मूल्य प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और संगठनों के संचालन में तथा उपभोक्ताओं दोनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) इस संबंध में आर–समूह द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) प्रस्तावित विभिन्न नीति संबंधी परिवर्तनों के संबंध में की गयी कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). सरकार ने राष्ट्रीय तेल उद्योग के पुनर्गठन के संबंध में एक "कार्यनीतिक आयोजना दल" का गठन किया था जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधन एवं शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों के अग्रणी विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल थे। सरकार इस दल की रिपोर्ट की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पाद

51. **जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत वर्षों की तुलना में चालू वित्त वर्ष में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात मूल्यों में भारी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 में आयात किए गए अनेक पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य और मात्रा पृथक-पृथक कितनी है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान आयात किए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थों का अनुमानित मूल्य और मात्रा पृथक-पृथक कितनी होगी;

(घ) क्या आयात मूल्य में वृद्धि के कारण पेट्रोलियम पूल खाते में भारी अंतर आने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त खाते में कितना अंदर आएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान आयात किए गए विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा और मूल्य निम्नवत हैं :-

वर्ष	आयात की गई मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)
1993-94	12.076	7041
1994-95	13.951	7522
1995-96	20.335	12578

(ग) वर्तमान वर्ष में आयात किए गए पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा और मूल्य समग्र मांग, स्वदेशी उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्यों पर निर्भर करेंगे।

(घ) और (ङ). वर्ष 1996-97 के दौरान तेल पूल खाते में घाटा 5,700 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 15,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

मान्यता संबंधी नये नियम

52. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय उन संशोधनों के आधार पर जिनकी यूनियनों/संघों ने मांग की थी मान्यता हेतु यूनियनों/संघों के प्रतिनिधि राज्य का निर्णय करने के लिए केन्द्रीय सेवाओं में "मान्यता संबंधी नये नियमों" के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मतभेदों को निपटाने के लिए और मान्यता नियमों में कार्यान्वयन से पूर्व समुचित संशोधन करने के लिए बातचीत की है अथवा कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यूनियनों/संघों के साथ विवादास्पद पहलुओं पर सहमति होने से पूर्व मान्यता संबंधी नियमों का कार्यान्वयन लंबित रखा जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों के साथ समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकें आयोजित की गई हैं तथा सरकार ने उनके विचारों पर गौर किया है।

(घ) जी, नहीं।

आवास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी

53. **कुमारी उमा भारती :**
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में शहरी परियोजनाएं

54. **श्री सोहनबीर :**

श्री छत्रपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में मलिन बस्ती विकास हेतु पेयजल आपूर्ति और सफाई संबंधी कितनी परियोजनाएं केन्द्र सरकार की मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और यह धनराशि किन-किन परियोजनाओं और शहरों के लिए उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश हेतु किसी परियोजना को मंजूरी दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) 20,000 से कम आबादी (1991 की जनगणना के अनुसार) वाले कस्बों में लागू त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत दो योजनाएं सरकारी स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। उन योजनाओं पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य ने आठवीं योजना के दौरान स्कीम के तहत उपलब्ध अपने हिस्से की धनराशि पहले ही खर्च कर ली है।

सफाई (कम लागत की सफाई) तथा स्लम विकास संबंधी कोई परियोजना सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता हेतु 58.58 करोड़ रुपये की लागत की 69 स्कीमें मंजूर की गई हैं तथा 31 मार्च, 1996 तक उत्तर प्रदेश सरकार को 16.78 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। जिन कस्बों के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत ये स्कीम मंजूर की गई है, उनकी सूचनी संलग्न विवरण में दी गई है। स्लम विकास तथा कम लागत की सफाई योजना के तहत कोई भी परियोजना मंजूर नहीं की गई है।

(ग) और (घ). त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम और स्लम विका स हेतु किसी भी नई योजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

तथापि, सिर पर मैला ढोने वालों को इस कुप्रथा से मुक्ति हेतु कम लागत की समन्वित सफाई योजमा के तहत, जिसमें मौजूदा शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालयों में परिवर्तन करने का प्रावधान है, बांदा, बदायू, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा तथा मजुफ्फरनगर कस्बों के लिए छह योजनाएं मंजूर की गई हैं तथा सरकारी सब्सिडी के तौर पर 11.99 करोड़ रु. तथा हुडको के जरिए 6.41 करोड़ का ऋण मुहैया कराया गया है।

विवरण

क्र.सं.	कस्बे का नाम	स्वीकृति की तारीख माह/वर्ष	परियोजना लागत (रुपये लाख में)
1	2	3	4
राज्य	उत्तर प्रदेश		
1.	करहाल	मार्च, 1994	106.90
2.	हस्तिनापुर	-वही-	116.35
3.	जलाली	-वही-	77.25
4.	जत्तारी	-वही-	100.60
5.	हरदुआगंण	-वही-	57.30
6.	खेरागढ़	-वही-	75.20
7.	हलदौर	-वही-	91.00
8.	उमरीकलां	-वही-	66.70
9.	नधवलीकलां	-वही-	36.00
10.	राया	-वही-	78.00
11.	मारहरा	-वही-	34.90
12.	अचनेरा	-वही-	67.90
13.	ससनी	-वही-	75.55
14.	घिबोर	-वही-	57.65
15.	तुलसीपुर	-वही-	97.50
16.	गोलाबाजार	-वही-	54.40
17.	मेहनगर	-वही-	78.50
18.	जियानापुर	-वही-	56.10
19.	अजमतगढ़	-वही-	48.00
20.	घुघली	-वही-	79.20
21.	रेओती	-वही-	77.50
22.	सिंकदरपुर	-वही-	86.70
23.	कैरारी	-वही-	83.34
24.	बांसदी	-वही-	63.00
25.	चन्दौली	-वही-	85.00
26.	बकवर	-वही-	[illegible].60
27.	लखना	-वही-	[illegible]

1	2	3	4
28.	कुलपाहर	मार्च, 1994	81.80
29.	झिंझाक	–वही–	81.20
30.	बिधूर	–वही–	46.20
31.	नारीयनी	–वही–	54.80
32.	तिरवागंज	–वही–	71.20
33.	तेलग्राम	–वही–	53.30
34.	नवाबगंज	–वही–	48.50
35.	नेओअतनी	–वही–	15.70
36.	मोहन	–वही–	49.20
37.	सन्दी	–वही–	65.00
38.	पाली	–वही–	59.20
39.	इस्लामनगर	–वही–	68.40
40.	सिंघाई भरौरा	–वही–	86.50
41.	कटरा	–वही–	103.00
42.	बाजपुर	–वही–	86.20
43.	बिलारियागंज	जनवरी, 1996	64.70
44.	रामनगर	–वही–	75.70
45.	संकरगढ़	–वही–	157.80
46.	घोरावाल	–वही–	87.60
47.	सिधौर	–वही–	58.80
48.	छोपन	मार्च, 1996	133.50
49.	बी.बी. नगर	–वही–	68.30
50.	दौराला	–वही–	74.60
51.	फरीदपुर	–वही–	59.50
52.	उसावन	–वही–	72.50
53.	सौरिक	–वही–	81.00
54.	हरिया	–वही–	62.40
55.	हरिहरपुर	–वही–	63.00
56.	बांसगांव	–वही–	81.20
57.	बीकापुर	–वही–	101.50
58.	सराचअकील	–वही–	98.98
59.	दूधी	–वही–	156.70
60.	पाली	–वही–	63.80
61.	ओरन	–वही–	59.00
62.	रिसिया बाजार	–वही–	86.15
63.	नरेन्द्रनगर	मार्च, 1996	240.50
64.	चम्बा	–वही–	537.80
65.	झालू	–वही–	80.50
66.	अदरी	–वही–	60.30
67.	कलादुंगी	–वही–	121.90
68.	अत्सु	–वही–	79.80
69.	हरगांव	–वही–	83.30
	योग		5858.67

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

55. **श्री टी. गोपालकृष्ण :**

डॉ. एम. जगन्नाथ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश स्थित जेगरूपाडु, काकिनाडा और विशाखापट्टनम में तीन फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है; और

(ग) निजी निवेशकर्ताओं द्वारा परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) मै. जीवीके इंडस्ट्रिज की जेगरूपाडु टीपीएस (216 मे.वा.) तथा मै. स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लिमिटेड की काकीनाडा टीपीएस (208 मै. वा.) निर्माणाधीन है। मै. हिन्दूजा पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की विशाखापट्टनम टीपीएस (1040 मे.वा.) को के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और वित्तीय समापन प्राप्त किए जाने के पश्चात् इस परियोजना पर कार्य आरंभ होने की प्रत्याशा है।

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं को पूरा करने की लक्षित तिथियां, जैसा कि कंपनियों द्वारा इंगित किया गया है, निम्नवत हैं :-

1. जेगुरूपाडु विद्युत परियोजना – मई, 97 (45.8 मे.वा. प्रत्येक की दो जी टी पहले ही चालू की जा रही है)
2. काकीनाडा पावर प्रोजेक्ट – जुलाई, 97
3. विशाखापट्टनम प्रोजेक्ट – वित्तीय समापन के पश्चात् 44 माह

(ग) भारत सरकार परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं यदि कोई हो, को हटाने की दृष्टि से उपरोक्त परियोजनाओं समेत सभी निजी विद्युत परियोजनाओं की गहनता से मानीटरिंग कर रही है।

मुद्रा की कमी

56. श्री अन्ना साहिब एम.के. पाटिल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम, भारत पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोकेमिकल्स लि., कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड (सी आर एल) तथा मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड (एम आर एल) जैसी सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियां मुद्रा की अत्यधिक कमी के दौर से गुजर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन तेल शोधक कारखानों की भुगतान की स्थिति क्या है तथा तेल समन्वय समिति द्वारा संबद्ध सरकारी उपक्रमों पर भुगतान हेतु त्रैमासिक तथा वार्षिक दावे कितने हैं;

(ग) क्या सरकार को संबद्ध सरकारी उपक्रमों द्वारा उनकी मुद्रा की कमी की स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है और तेल समन्वय समिति द्वारा स्थिति को सुधारने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है। किए जाने का विचार है; और

(घ) मुद्रा अभाव की समस्या को सुलझाने हेतु धन मुहैया करने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). जी, हां। तेल पूल खाते से तेल कंपनियों के जो संचयी बकाया 31.3.96 की स्थिति के अनुसार 5700 करोड़ रुपये थे वे 31.3.1997 तक बढ़कर 15,500 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। 31.3.97 की स्थिति के अनुसार कंपनीवार बकाया निम्नवत हैं :

	करोड़ रुपये
आई ओ सी	9,000
एच पी सी एल	1,800
बी पी सी एल	1,300
एम आर एल	330
सी आर एल	320
बी आर पी एल	100
आई बी पी	140
ओ एन जी सी	1,800
एम आर पी एल व अन्य	710

स्थिति पर काबू पाने के लिए तेल कंपनियों को ब्याज की वाणिज्यिक दर पर बाजार से भारी धनराशि उधार लेनी पड़ती है। तेल पूल खाते की स्थिति की निगरानी सतत आधार पर की जा रही है तथा घाटे को नियंत्रित करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

नागरिक सुविधाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी

57. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 24 सितम्बर, 1996 को आयोजित एक संगोष्ठी में शहरी कार्य और रोजगार मंत्री ने इस आशय का वक्तव्य दिया था कि शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु एक कानून बनाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कानून कब तक बनाया जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग). जी, नहीं। तथापि, अवस्थापना परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति के अनुसार विभिन्न मंचों में यह उल्लेख किया गया है कि जल आपूर्ति, सफाई तथा आवास जैसे विभिन्न अवस्थापना कार्यकलापों में निजी सेक्टर की भागीदारी/निवेश की संभावना का पता लगाया जायेगा।

[अनुवाद]

सी.एन.जी. किट

58. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि सीसा मुक्त पेट्रोल के इस्तेमाल के लिए सभी सरकारी वाहनों में कैटेलिक कन्वर्टर लगाया जाए या वाहन इंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करने के लिए सी.एन.जी. किट लगाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पेट्रोल से चलने वाले सरकारी वाहनों के लिए सी.एन.जी. इंधन सुविधा सृजित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) सी.एन.जी. इंधन सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). जी, हां। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9 मई, 1996 के निर्देश के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, उनके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों में पेट्रोल से चलने वाले चार पहियों वाले 1959 सरकारी वाहनों का पता सी एन जी/कैटेलिटिक कनवर्टर प्रचालन के लिए लगाया गया है। दिनांक 31 अक्तूबर, 1996 तक 634 वाहन सी एन जी प्रचालन में, 363 वाहन कैटेलिटिक कनवर्टर प्रचालन में बदले गए तथा 312 वाहनों को रद्द घोषित किया गया।

(ग) और (घ). सी एन जी पुनः भराई सुविधाएं दिल्ली में पहले से ही उपलब्ध है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

59. **श्री दत्ता मेघे** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका नामवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके घाटे में चलने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या-क्या निवारक कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (घ). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या के बारे में और उनके बारे में भी जो घाटे में चल रहे हैं, सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। रुग्ण यूनिटें पुनः चालू/बंद होने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से संपर्क कर सकती हैं।

[अनुवाद]

ट्रांसपोंडरों को किराए पर देना

60. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन ने भारत के "इनसेट-2 ई" के ट्रांसपोंडरों को वाणिज्यिक आधार पर किराए पर लेने के लिए कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित की गई शर्तों का ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) इन्टेलसैट विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले 133 सदस्य राष्ट्रों वाली एक अंतर्राष्ट्रीय अन्तर-सरकारी सहकारी संगठन है। भारत इन्टेलसैट में दसवीं सबसे बड़ा अंशधारी है। इन्टेलसैट विश्व के अत्यन्त व्यापक ग्लोबल संचार उपग्रह प्रणाली का स्वामित्व रखता है तथा इसे परिचालित करता है। अन्तरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.), भारत सरकार ने जनवरी 30,1995 को इन्टेलसैट उपयोग के लिए अपने ग्राहकों को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्सैट-2 ई पर क्षमता के एक भाग (36 मेगाहर्त्स समतुल्यक क्षमता के 11प्रेषानुकर) को लीज पर देने के लिए वाशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (इन्टेलसैट) के साथ एक करार किया है। इस दीर्घावधि लीज करार को भारत सरकार और इन्टेलसैट के बोर्ड ऑफ गवर्नरों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(ग) यह संविदा एक "लीज" स्वरूप का ठेका है, जिसके अंतर्गत वर्ष 1998 से शुरू करके दस वर्ष की अवधि के लिए इन्टेलसैट संगठन अन्तरिक्ष विभाग को लगभग 100 मिलियन अमरीकी डालर (वर्तमान विनिमय दरों पर करीब 350 करोड़ रुपये) का भुगतान करेगा। ठेके की सम्पूर्ण अवधि के दौरान इसका स्वामित्व अन्तरिक्ष विभाग के पास रहेगा और इन्टेलसैट को कोई सम्पत्ति हस्तांतरित नहीं की जानी है। दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा विविध कारणों से करार समाप्त करने, पारस्परिक क्षतिपूर्ति आदि से संबंधित शर्तों का ठेके में समावेश किया गया है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन

61. **श्री डी.पी. यादव** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री 11 सितम्बर, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 554 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के कारणों का पता लगाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत गत वर्ष स्वीकृत की गई राशि को रोक लिया गया है और नये संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए जाने के बावजूद भी इन कार्यक्रमों को शुरू नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा आज तक क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) योजना के कार्यान्वयन में विलंब के लिए उत्तरदायी कारण दिनांक 11.9.1996 के तारांकित प्रश्न सं. 554 के

उत्तर के भाग (ग), जिसका संदर्भ माननीय संसद सदस्य महोदय ने दिया है, में पहले ही बताए जा चुके हैं।

(ख) और (ग). यह सही नहीं है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष के लिए स्वीकृत राशि रोककर रखी गई है। सभी जिला कलेक्टरों/जिला आयुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों को 31.3.1996 तक उनके पास अधिशेष धनराशि के उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। तदनुसार, उन सभी निर्माण कार्यों, जो चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले चल रहे थे अथवा जो स्वीकृत थे किंतु शुरू नहीं किए गए थे, को जारी रखने/शुरू करने तथा उन्हें पूरा करने की अनुमति दी गई है।

जिन कलेक्टरों को इस विभाग के दिनांक 18.7.1996 के पत्र द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि वे निधियों के निर्मोचन के लिए बिना प्रतीक्षा किए ही नए संसद सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करें। वर्ष 1996-97 के लिए प्रत्येक संसद सदस्य को 50 लाख रु. की पहली किश्त के निर्मोचन की स्वीकृति से संबंधित आदेश भी दिनांक 1.8.1996 को जारी किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

62. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक विशेष रूप से कोलार जिले में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए गए; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए सभी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के बारे में राज्यवार सूचना मंत्रालय में नहीं रखी जाती।

ग्रामीण विद्युतीकरण

63. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अगस्त, 1996 के "हिन्दू" में "टाईम टु स्ट्रीमलाइन रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार विश्वस्तरीय विद्युत को सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य बिजली बोर्डों द्वारा 3 प्रतिशत लाभांश दर अर्जित किए जाने की आवश्यकता को सामने लाता है। यह समाचार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के जरिए सुलभ ऋणों की व्यवस्था किए जाने की सरकार की आवश्यकता को भी दर्शाता है।

(ग) केन्द्र सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 20 से 30 वर्ष की अवधि के लिए 12 प्रतिशत ब्याज दर पर निधियां प्रदान करती है। ब्याज की यह दर केन्द्र सरकार द्वारा अन्य विद्युत उत्पादन कंपनियों को प्रदान किए जा रहे ऋणों पर लगाए जा रहे ब्याज की दर से सस्ती है।

राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात में 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से सुधार लाना, पारेषण एवं वितरण हानियों मे 1 प्रतिशत तक की कमी करना, टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना इत्यादि शामिल है। यह मार्गदर्शी सिद्धांत केवल सांकेतिक हैं तथा राज्यों के पास यह विकल्प है कि वे राज्य बिजली बोर्डों को वाणिज्यिक रूप से तथा वित्तीय रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए कोई अन्य पद्धति अपना सके।

फल तथा सब्जियां

64. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :
श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अभाव में प्रतिवर्ष कितनी मूल्य की फल तथा सब्जियां बेकार हो जाती हैं; और

(ख) देश में फल तथा सब्जियों के उत्पादन के पूर्ण उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) हालांकि प्रसंस्करण के अभाव में फल और सब्जियों को होने वाली हानि अथवा सड़न का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण इस्तेमाल न की जाने वाली मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होती।

(ख) सरकार फल तथा सब्जियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाओं, अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता की स्थापना, बाजार विकास आदि के लिए अपनी विभिन्न योजना स्कीमों के तहत सहायता देती है।

रोजगार योजनाएं

65. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान गुजरात को विभिन्न शहरी रोजगार योजनाओं हेतु दी गई राशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर कितनी राशि का उपयोग किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) गुजरात राज्य में दो केन्द्र प्रवर्तित रोजगार योजनाओं अर्थात्, (1) नेहरू रोजगार योजना (ने.रो.यो.) और प्रधान मंत्री का पूर्ण शहरी गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम (प्र.मं. पू.श.ग.उ.प्रो.) को कार्यान्वित किया जा रहा है। गुजरात राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि 1995-96 के दौरान इन स्कीमों के तहत संघ सरकार द्वारा दी गई राशि का आंशिक रूप से (लगभग 50 प्रतिशत) उपयोग कर लिया गया है।

(ख) क्योंकि भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के कारण वर्ष 1995-96 के दौरान नगर नियमों और नगर पंचायतों का पुनर्गठन मामला राज्य सरकार ने उठाया था। इसलिए, आवासीय और आश्रय उन्नयन (आ.और आ.उ.यो.) और नगर लघु एन्टरप्राइजेज योजना (न.ल.ए.यो.) के तहत कोई प्रगति नहीं हुई है और धन उपयोग कर लिया गया। परन्तु नगर मजदूरी रोजगार योजना (न.म.रो.यो.) के तहत अधिक प्रगति हुई।

(ग) शेष राशि चालू वित्त वर्ष 1996-97 की समाप्ति के पहले खर्च किये जाने की संभावना है।

अनधिकृत निर्माण

66. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **प्रधान मंत्री** 24 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1653 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण करने वालों और नेताजी नगर में बागवानी विभाग के पार्क, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डी-ब्लाक टाइप-II में अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालयम में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने डी.ब्लाक, नेताजी नगर में टाइप-II के आठ फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण की सूचना दी है। आबंटन नियमों के तहत सभी आबंटियों को सम्पदा निदेशालय द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी कर दिये गये हैं। नेताजी नगर के डी ब्लाक स्थित होर्टिकल्चर पार्क का अतिक्रमण अब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा हटा दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मरूभूमि प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

67. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को बेहतर सुविधाएं मुहैय्या कराने के लिए वर्ष 1996-97 के लिए 195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें (1) मरूभूमि प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और (2) मरूभूमि विकास कार्यक्रम में शामिल किए जाने का विचार है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) 1996-97 के दौरान ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उपशमन विभाग के लिए केन्द्रीय बजट में 6437 करोड़ रुपये की राशि मुहैया की गई, जिसमें से सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए क्रमशः 125 करोड़ रुपये तथा 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गये।

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 राज्यों के 149 जिलों में 947 खण्डों को कवर किया गया तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 7 राज्यों के 36 जिलों में 227 खण्डों को कवर किया गया।

(ग) 1996-97 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए किया गया आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	1996-97 के लिए आबंटन	केन्द्रीय अंश
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम			
1.	आंध्र प्रदेश	2755.00	1377.50
2.	बिहार	2245.00	1122.50
3.	गुजरात	1545.00	772.50
4.	हिमाचल प्रदेश	165.00	82.50
5.	जम्मू व कश्मीर	495.00	247.50
6.	कर्नाटक	2290.00	1145.00
7.	मध्य प्रदेश	3752.00	1076.00
8.	महाराष्ट्र	4295.00	2147.50
9.	उड़ीसा	1045.00	522.50
10.	राजस्थान	871.00	435.50
11.	तमिलनाडु	1485.00	742.50
12.	उत्तर प्रदेश	2185.00	1092.50
13.	पश्चिम बंगाल	640.00	320.00
	कुल	23768.00	11884.00
मरूभूमि विकास कार्यक्रम			
1.	आंध्र प्रदेश	540.00	405.00
2.	गुजरात	1814.00	1593.00
3.	हरियाणा	649.00	604.00
4.	हिमाचल प्रदेश	500.00	500.00
5.	जम्मू व कश्मीर	1000.00	1000.00
6.	कर्नाटक	732.00	548.00
7.	राजस्थान	5258.00	5258.00
	कुल	10493.00	9908.00

गैस की आपूर्ति

68. **श्री दिलीप संघानी :**
श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल :
श्री छीतुभाई गामीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से पिपावव विद्युत परियोजना को गैस की आपूर्ति हेतु लम्बे समय से अनुरोध किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैस की आपूर्ति ओमान गैस पाइपलाइन परियोजना से की जानी थी जिसे अब ओमान सरकार ने अब रद्द कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अब इस विद्युत परियोजना को ताप्ती तेल क्षेत्र से गैस की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और सरकार द्वारा पिपावव विद्युत परियोजना को गैस की आपूर्ति हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). पिपावव विद्युत परियोजना के लिए गैस आबंटन हेतु गुजरात सरकार से समय-समय पर अनुरोध मिलते रहे हैं।

(ग) और (घ). ओमान से आयात की जाने वाली प्रस्तावित गैस के लिकिज अभी तक किए जाने हैं।

(ङ) और (च). यह निर्णय लिया गया है कि एच बी जे पाइपलाइन के साथ-साथ हजीरा की मौजूदा वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए मध्य ताप्ती तथा दक्षिण ताप्ती से हजीरा तक गैस पहुंचाई जाए। गुजरात सरकार को सलाह दी गई है कि पिपावाव विद्युत परियोजना को वैकल्पिक ईंधनों पर आधारित किया जाए।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

69. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों को इस वर्ष संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अपने-अपने राज्य में विकास कार्य पूरा करने के लिए धन आबंटित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस योजना के क्रियान्वयन हेतु शीघ्र धनराशि आबंटित करेगी तथा इस संबंध में कोई अंतिम तिथि निर्धारित किए जाने की संभावना है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि सीधे जिला कलेक्टरों को जारी की जाती है। वर्ष 1996-97 के लिए पहली किश्त के रूप में प्रत्येक संसद सदस्य को 50 लाख रुपए की मंजूरी से संबंधित आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस वर्ष के लिए धनराशि का वास्तविक निर्मोचन

कलेक्टरों के पास उपलब्ध बकाया अधिशेष राशि के मद्देनजर किया गया है।

बहुत से मामलों में निधियों का निर्मोचन कलेक्टरों से प्राप्त मांग के आधार पर किया गया है। बाकी मामलों में कलेक्टरों से मांग पत्र के न मिलने, बची हुई अधिशेष राशि के ज्यादा होने आदि कई कारणों से निधियों का निर्मोचन नहीं किया गया है। तथापि, निधियों के निर्मोचन के वास्ते समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि यह अपेक्षित सूचना भेजने वाले कलेक्टरों पर ही निर्भर करता है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक सहायता

70. **श्री पी.आर. दासमुंशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष की हाल में नई दिल्ली यात्रा के दौरान मंत्रालय ने उनके साथ कोई बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो मंत्रालय किन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता लेने पर विचार कर रहा है; और

(घ) उन में से कितनी परियोजनाएं पश्चिम बंगाल में हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बम्बई शहरी अवस्थापना परियोजना हेतु महाराष्ट्र सरकार का एक प्रस्ताव वित्तीय सहायता बाबत विश्व बैंक को भेजा गया है। इस परियोजना के अतिरिक्त, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय जल आपूर्ति और सफाई संबंधी कुछेक अन्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने का विचार कर रहा है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(घ) अब तक पश्चिम बंगाल की किसी भी परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

विवरण

विश्व बैंक सहायता के लिए तय की गई शहरी जल आपूर्ति और सफाई परियोजना की सूची

1. II हैदराबाद जल आपूर्ति और मल-जल व्ययन परियोजना-640.0 करोड़ रुपये।
2. III मद्रास जल-आपूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना-1105.190 करोड़ रुपये।
3. जयपुर जल-आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना-442.40 करोड़ रुपये
4. पंजाब जल-आपूर्ति और मल-जल व्ययन परियोजना-283.47 करोड़ रुपये।
5. महाराष्ट्र जल-आपूर्ति और मल-जल व्ययन परियोजना-II 863.0 करोड़ रुपये।
6. बंबई IV- मध्यवर्ती बैतरना जल-आपूर्ति परियोजना - 572 रु. से 936 करोड़ रुपये।
7. न्यू गुजरात जल-आपूर्ति परियोजना (मेहसना)- 583.18 करोड़ रुपये।
8. नागपुर के लिए जल-आपूर्ति और मल जल व्ययन स्कीम का विस्तार-1941.165 करोड़ रुपये।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं को विश्व बैंक ऋण

71. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विद्युत क्षेत्र के सुधार और विकास हेतु विश्व बैंक से कुल कितना ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उक्त ऋण का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नवीनगर ताप विद्युत परियोजना को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) विश्व बैंक ने बिहार को उसके विद्युत क्षेत्र के सुधार/पुनर्संरचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की सहायता से निदानात्मक अध्ययन करवाए जाने हेतु 1.5 मिलियन अमरीकी डालर का एक ऋण अनुमोदित किया है। 30.9.96 तक 0.17 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का समुपयोजन कर लिया गया है।

(घ) नवीनगर ताप विद्युत परियोजना को इस समय निजी क्षेत्र के जरिए एक वृहत विद्युत परियोजना के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। चालू किए जाने का कार्यक्रम, परियोजना प्रद्यन करने तथा इसके वित्तीय समापन होने के पश्चात् ही दर्शाया जा सकता है।

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसियां

72. **श्री एन.एन. कृष्णादास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन हेतु विभिन्न व्यक्तियों से अनेक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितनों को एजेंसी आबंटित की गयी है;

(ग) क्या इस संबंध में नये प्रस्ताव भी हैं; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान एजेंसियां आबंटित करने के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). केरल में पिछले दो वर्षों के दौरान विज्ञापित 55 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त में से 10 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन किया जा चुका है।

(ग) और (घ). एल पी जी विपणन योजना 1996-97 के प्रारूप में केरल के लिए चार एल पी जी डिस्ट्रीब्यटरशिपों का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं को मंजूरी

73. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश से संबंधित कितनी परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित हैं तथा कब से लंबित हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, डेरी विकास, भूतल परिवहन, विद्युत, सिंचाई, उच्च शिक्षा, उद्योग इत्यादि से संबंधित अनेक परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित हैं।

(ख) चूंकि परियोजनाओं और स्कीमों का संचालन विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा किया जाता है, इसलिए स्कीम की मंजूरी का समय बता पाना कठिन है।

[अनुवाद]

सरकारी जमीन का अतिक्रमण

74. **श्री राम सागर** : क्या प्रधान मंत्री सरकारी जमीन के अतिक्रमण के बारे में 31 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं. 2342 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्संबंधी सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) डी एम सी अधिनियम के अंतर्गत बुकिंग कर लेने के पश्चात् सैनिक फार्म में अनधिकृत निर्माण किए जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है और कब तक अनधिकृत निर्माण को हटा दिया जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि अतिक्रमण के बारे में उन्हें पता है तथा उन्होंने इसको हटाने के लिए इस मामले को पहले ही दिल्ली पुलिस को दे दिया है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि उनके क्षेत्र में 1.1.96 से अब तक 22 मामले बुक किए गए हैं। इन सभी मामलों में मकानों को गिराने के नोटिस जारी किए गए थे और उसके बाद मकानों को गिराने के आदेश पारित किए गए थे। एक मामले में मकान गिराने की कार्रवाई भी हो चुकी है। शेष मामलों में दिल्ली नगर निगम उनकी नीति के तहत अनधिकृत निर्माण को गिराने के काम में पहले से ही लगा हुआ है।

रसोई गैस

75. **श्री नारायण अठावले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की अनुमानित मांग कितनी थी और कितनी वास्तव में आपूर्ति की गई;

(ख) महाराष्ट्र में रसोई गैस, मिट्टी के तेल, पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की अनुमानित मांग कितनी थी और इस मांग को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा तैयार की गई विपणन योजना के ब्यौरे क्या हैं;

(ग) महाराष्ट्र राज्य के लिए चालू वर्ष हेतु सरकार उपक्रमवार रसोई गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की

विपणन योजना के लिए सरकारी उपक्रमों की विपणन योजना क्या है; और

(घ) क्या चालू वर्ष के लिए नई डीलरशिप के चयन को अंतिम रूप देने के लिए महाराष्ट्र के लिए तेल चयन बोर्ड का पुनर्गठन कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पूर्णतया पूरी की गई। महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान एल पी जी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खपत निम्नानुसार रही :-

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

	1993-94	1994-95	1995-96
एल पी जी	554	606	677
अन्य पी ओ एल उत्पाद	9629	9647	10606
कुल	10183	10253	11283

(ख) और (ग). पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का आकलन विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। वर्तमान ग्राहकों और प्रस्तावित नामादलियों की जरूरतों के आधार पर एल पी जी की मांग अखिल भारतीय आधार पर तैयार की जाती है। इसी प्रकार मिट्टी के तेल की मांग भी तैयार की जाती है तथा उसे आबंटन के अनुरूप जारी किया जाता है। मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल और एल पी जी की विपणन योजना महाराष्ट्र राज्य सम्मेत मात्रा दूरी मानकों और नए खुदरा बिक्री केन्द्रों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की व्यवहार्यता के आधार पर तेल उद्योग बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है।

(घ) महाराष्ट्र राज्य के तेल चयन बोर्ड का अब तक पुनर्गठन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

76. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है;

(ख) क्या आयोग द्वारा सिविल सेवाओं की परीक्षा में प्रत्येक स्तर पर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है;,

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक स्तर पर गत तीन वर्षों के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के कुल चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या संबद्ध अधिकारियों के विरूद्ध कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई थी; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस अनियमितता की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने का है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर कोई औपचारिक आरक्षण नहीं है।

(ग) सिविल सेवा परीक्षा 1994 तथा 1995 में परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर उत्तीर्ण घोषित उम्मीदवारों का समुदायवार विवरण संलग्न है। 1996 परीक्षा अभी ली जा रही है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता। यह प्रश्न कि क्या आरक्षण परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर लागू होना चाहिए, इस समय एक विवाद का विषय है, जो उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

विवरण

1994 तथा 1995 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर उत्तीर्ण घोषित उम्मीदवारों का समुदायवार ब्यौरा

सिविल सेवा परीक्षा, 1994

	अनु.जा	अनु.ज.जा.	अन्य पिछड़े वर्ग	सामान्य	योग
प्रारंभिक परीक्षा	1810	937	3099	6001	11847
मुख्य परीक्षा (लिखित)	241	129	354	732	1456
अंतिम रूप से संस्तुत	123	61	205	317	706*
रिपोर्ट की गई रिक्तियां	115	61	173	358	707

* न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में एक उम्मीदवार का परिणाम आयोग द्वारा रोक लिया गया है।

सिविल सेवा परीक्षा, 1995

	अनु.जाति	अनु.ज.जाति	अन्य पिछड़े वर्ग	सामान्य	योग
प्रारंभिक परीक्षा	1497	737	2608	4897	9739
मुख्य परीक्षा (लिखित)	202	102	336	677	1317
अंतिम रूप से संस्तुत	101	48	188	301	638 *
रिपोर्ट की गई रिक्तियां	98	49	165	333	645

* आयोग द्वारा सात उम्मीदवारों का परिणाम रोक लिया गया है।

[अनुवाद]

केलकर समिति की रिपोर्ट

77. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नीतिगत आयोजना और तेल उद्योग के पुनर्गठन के संबंध में केलकर समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने तेल क्षेत्र सुधारों में वित्तीय प्रभाव की जांच की है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) तेल क्षेत्र में सुधारों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा क्या है जैसा कि केलकर समिति ने सिफारिश की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). राष्ट्रीय तेल उद्योग के पुनर्गठन के लिए गठित "कार्यनीतिक आयोजना दल" की रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

निजी बिजली परियोजनाएं

78. **श्री दिनशा पटेल** :
श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र में कितना निजी निवेश हुआ है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान निजी निवेश का पूरा उपयोग नहीं किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

79. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 की योजना के अंतर्गत बिहार के पूर्णिया जिले में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है;

(ख) क्या इस संयंत्र को शीघ्र लगाने के लिए भारतीय तेल निगम को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह संयंत्र कब से कार्य करने लगेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां। बिहार के पूर्णिया जिले में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा 10 टी एम टी प्रति वर्ष क्षमता का एल पी जी भराई संयंत्र लगाने के लिए अनुमोदन जनवरी, 1996 में दे दिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन ने भराई संयंत्र के लिए भूमि प्राप्त की कार्रवाई शुरू कर दी है। भूमि कब्जे में लेने की तारीख से करीब 14 माह के अंदर भराई संयंत्र चालू हो सकेगा।

[अनुवाद]

विश्व बैंक की चेतावनी

80. **कुमारी सुशीला तिरिया** :
डॉ. कृपासिन्धु भोई :
श्री के.पी. सिंह देव :
श्री संतोष मोहन देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों के अत्याधिक बकाया भुगतान को देखते हुए विश्व बैंक ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को देय शेष 1.2 बिलियन डालर की ऋण राशि को स्थगित कर देने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा कुल कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा ऋण न मिलने से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की प्रमुख विकास परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने सरकार को राज्य विद्युत बोर्डों के इस बकाया राशि के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि देने के लिए कहने के बारे में शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) एनटीपीसी के प्राप्य दो माह की बिलिंग के अनुबंधित स्तर से अधिक होने को मद्देनजर रखते हुए विश्व बैंक ने हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के लिए नए ऋण स्थगित करने तथा चालू ऋणों का निलंबन करने की ओर इंगित किया है।

(ख) 31.10.1996 की स्थितिनुसार राज्य बिजली बोर्डों (एस ई बी) से 1615.85 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रभार समेत 5084.47 करोड़ रुपये की धनराशि देय है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार ने संबंधित राज्यों की योजना सहायता से विनियोजन करके केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र की यूटिलिटियों की बकाया राशि का रा.बि. बोर्डों से वसूली किए जाने का हाल ही में निर्णय लिया है।

विद्युत की कमी

81. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 1996 के द हिन्दुस्तान टाइम्स में "कैपेसिटी एडीशन स्लिपेजेज टू वर्सन पावर शार्टज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चालू योजनावधि के दौरान विद्युत की भारी कमी के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विद्युत की कमी को रोकने और देश में स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब के सामान्य तथा प्रमुख कारण आधारभूत एवं निर्माण कार्य को आरंभ किए जाने में विलंब, निधियों की कमी, जेनरेटिंग उपस्करों का आर्डर दिए जाने तथा उपस्कर के सिविल कार्यों/उत्थापन के लिए संविदाएं प्रदान करने में विलंब, देर से की गई आपूर्तियां तथा अक्रमिक आपूर्तियां संविदा विफलताएं, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं और प्राकृतिक विपदाएं जैसे कि बाढ़ भू-स्खलन इत्यादि हैं।

(घ) क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं को यथा समय चालू किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इन परियोजनाओं की प्रगति की व्यापक रुप से मानीटरिंग कर रहा है और आवश्यकतानुसार संबंधित प्राधिकरणों के साथ मामलों में उचित सहायता उपलब्ध करा रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान

82. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में दिल्ली विद्युत बोर्ड का गठन करने और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को दिल्ली सरकार को सौंपने के लिए कुछ प्रस्ताव/अभ्यावदेन प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में क्या प्रगति की गई है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अमल में लाए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). दिल्ली सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली के लिए एक राज्य बिजली बोर्ड का गठन करने के लिए कदम उठाए जाने हेतु विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अधीन राज्य सरकार को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का अनुरोध किया है। सरकार ने विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के अंतर्गत दिल्ली के उपराज्यपाल को राज्य सरकार की शक्तियों का प्रत्यायोजन किए जाने को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। गृह मंत्रालय, इस मामले पर, विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके आवश्यक कदम उठा रहा है।

[अनुवाद]

रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

83. श्री पी. नामग्याल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लद्दाख के लेह क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र को 1994 में स्वीकृति दे दी गई थी;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा इंडियन आयल कार्पोरेशन के रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र की स्थापना हेतु दो वर्ष पूर्व ही भूमि उपलब्ध करा दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है तथा परियोजना कार्य के शुरू होने में विलंब के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) आई ओ सी ने जम्मू और कश्मीर सरकार से पी ओ एल डिपो के निर्माण के लिए लेह (लद्दाख) के समीप 1992 में जो जमीन ली थी, अब उसका उपयोग एल पी जी भरण संयंत्र के लिए किया जाना है। तथापि, इस जमीन के अलावा जम्मू और कश्मीर सरकार से और अधिक जमीन लेने की जरूरत है। जमीन जल्दी प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) परियोजना स्थल पर काम जून, 97 में शुरू होने की संभावना है, जब सड़क मार्ग दोबारा खुलेगा। जमीन जून, 1997 से पहले प्राप्त कर लिए जाने का अनुमान है। इस परियोजना के लिए निविदा की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है।

बिहार में आई.डी.एस.एम.टी. योजना

84. श्री तारीक अनवर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार ने आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत विकसित करने हेतु कुल कितने छोटे और मंझौले नगरों की सिफारिश की है;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान उनमें से कुल कितने नगरों को लिया गया;

(ग) 1996-97 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने नगरों को लिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) वर्ष 1979-80 से वर्ष 1996-97 तक बिहार सरकार द्वारा सिफारिश किये गये आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुरुप 44 कस्बों के विकास बाबत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. के तहत 44 कस्बों में से 7 कस्बे शामिल कर लिये गये हैं।

(ग) राज्य सरकार द्वारा 1996-97 के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. के तहत शामिल किये जाने के लिए 9 कस्बे प्रस्तावित किये गये थे।

(घ) प्रस्तावित कस्बे इस प्रकार हैं : गया, सपाउल, फोरबिसगंज, लोहरदागा, शेओहार, माधोपुरा, रक्सौल, आरिया, खगड़िया।

श्रमोन्मुखी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

85. श्री नीतीश कुमार :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को श्रमोन्मुखी उद्योग के रुप में विकसित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को श्रमोन्मुखी के उद्योग के रुप में विकसित करने हेतु कोई कारगर कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ संस्थाएं देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु कार्य कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो इनके नाम क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (च). अन्य पहलुओं के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में तुलनात्मक रुप से कम पूंजी निवेश से रोजगार के अधिक अवसरों की संभावना को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, पूंजी निवेश, इसमें विदेशी पूंजी निवेश शामिल है, के लिए नीतियों को उदारीकृत करने, पूंजी निवेश के साथ-साथ क्षमता विस्तार, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण आदि पर लगे नियंत्रणों को हटाने के लिए उपाए किए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें बनाई हैं और उन्हें चला रहा है। इन

स्कीमों के तहत राज्य सरकार के संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, सहकारी एजेंसियों, संयुक्त क्षेत्र आदि को सहायता दी जाती है। प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना अथवा उनका विस्तार, किसानों के साथ ब्रैकवर्ड लिंकेज का विकास और मांस तथा मछली प्रसंस्करण समेत विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए विपणन समर्थन, कोल्ड चेन की स्थापना, अनुसंधान और विकास, खाद्य पैकेजिंग तथा जनशक्ति का विकास मुख्य उद्देश्य हैं।

कलकत्ता का विकास

86. **श्री चित्त बसु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता नागरिक सम्मेलन ने दिसम्बर, 1995 में तत्कालीन प्रधान मंत्री को कलकत्ता के सम्पूर्ण विकास के लिए ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने मेगा शहरों में केन्द्र प्रवर्तित अवस्थापना विकास की स्कीम के तहत कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण का अब तक 1995-96 के दौरान 18.08 करोड़ रुपये और 1996-97 के दौरान 9.00 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की है। कलकत्ता मेगा शहर परियोजना के लिए निधियों के नियतन में वृद्धि करने संबंधी मामला शहरी कार्य और रोजगार राज्य मंत्री के स्तर पर योजना आयोग के साथ उठाया गया है।

पूर्वोत्तर परिषद

88. **श्री बादल चौधरी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में अब तक असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार पूर्वोत्तर परिषद द्वारा विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस परिषद को और प्रभावी बनाने के लिए इसका पुनर्गठन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ङ) उत्तर पूर्वी परिषद (एन ई सी) की मुख्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय आयोजना निकाय के रुप में स्थापना की गई है। कई एन ई सी परियोजनाओं की अंतर राज्यीय शाखाएं है और केन्द्रीय सार्वजनिक सेक्टर यूनिटों/संगठनों द्वारा इनका क्रियान्वयन किया जाता है। अतएव विभिन्न राज्यों को आबंटित निधियों की गणना करना संभव नहीं है। एन ई सी राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है तथा इससे क्षेत्र की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की आशा नहीं की जा सकती है। कुछ एन ई सी परियोजनाओं के सामने क्रियान्वयन एजेंसियों की देरी, दुर्गम क्षेत्र, बुनियादी ढांचागत गत्यवरोध आदि जैसे विभिन्न कारणों से समय तथा लागत वृद्धि जैसी दिक्कतें आई हैं। एन ई सी के पुनर्गठन संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

89. **श्री अमर पाल सिंह** :
डा. साहेबराव सुकराम वागुल :
श्री सत्य देव सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कनाडा अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में अन्य विकासशील देशों से कोई बातचीत कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी, हां। भारत और कनाडा बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हो गए हैं।

(ग) और (घ). उपर्युक्त सहयोग के लिए अक्तूबर 15, 1996 को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा कनाडियन अन्तरिक्ष एजेंसी (सी.एस.ए.) के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। सहयोग के व्यापक क्षेत्रों में, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतरिक्ष अनुसंधान एवं उपयोगों के लिए निर्दिष्ट उपग्रहों में सहयोगी कार्यक्रमों का अध्ययन, उपग्रह संचार और उपग्रह सुदूर

संवेदन से संबंधित अध्ययन, प्रशिक्षण सुविधाएं और कार्यक्रमों का आयोजन, विशिष्ट मामलों की जांच के लिए स्थापित संयुक्त कार्यकारी ग्रुपों और अध्ययनों में भाग लेने के लिए नामोदिष्ट तकनीकी और वैज्ञानिक कार्मिकों का आदान-प्रदान तथा दोनों देशों की सरकारों, निजी क्षेत्रों और अकादमियों के बीच बाह्य अन्तरिक्ष की खोज और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

(ङ) और (च). अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई विकासशील देशों के साथ विशेष रुप में एशिया और अफ्रीका में, सहयोग की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

रसोई गैस की खपत

90. श्री एस.पी. जायसवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की वार्षिक खपत का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में घरेलू इस्तेमाल हेतु अनुमानतः कितनी रसोई गैस की आवश्यकता होगी; और

(ग) सरकार द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति कब तक की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश में घरेलू उपयोग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के वर्तमान उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक एल पी जी की कुल अनुमानित मात्रा 522 टी एम टी है।

(ग) वर्तमान उपभोक्ताओं की एल पी जी की मांग सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा कमोबेश पूरी की जा रही है।

धनराशि का आबंटन

91. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने महाराष्ट्र को 1994-95 तथा 1995-96 की वार्षिक योजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) इस अवधि के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या महाराष्ट्र को वर्षवार उसके लिए स्वीकृत की गई धनराशि की तुलना में कम राशि का आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकृत वार्षिक योजना की शर्तों को पूरा नहीं किया है; और

(च) उन वर्षों के दौरान उक्त स्वीकृत योजनाओं का कितना प्रतिशत लागू किया गया ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) योजना आयोग द्वारा महाराष्ट्र हेतु स्वीकृत धनराशि निम्नानुसार है :

(1) वार्षिक योजना 1994-95	रु. 4400.00 करोड़
(2) वार्षिक योजना 1995-96	रु. 5907.00 करोड़

(ख) इन वर्षों के दौरान आयोग द्वारा संशोधित अनुमोदित परिव्यय नीचे दिया गया है :

(1) वार्षिक योजना 1994-95	रु. 4758.00 करोड़
(2) वार्षिक योजना 1995-96	रु. 6408.00 करोड़

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता

(ङ) हां, राज्य ने स्वीकृत वार्षिक योजना से जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया है।

(च) उपर्युक्त उल्लिखित योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रतिशत नीचे दिया गया है :

(1) 1994-95 की वार्षिक योजना के दौरान संशोधित योजना परिव्यय के क्रियान्वयन का प्रतिशत 110.42 प्रतिशत रहा।

(2) 1995-96 की वार्षिक योजना के दौरान संशोधित योजना परिव्यय का प्रतिशत 96.24 प्रतिशत रहा।

[अनुवाद]

बड़ी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

92. श्री के.पी. सिंह देव :
डा. कृपा सिंधु भोई :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा देश में राज्यवार अब तक कितनी बड़ी विद्युत परियोजनाएं शुरू की की गई हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना की वास्तविक अनुमानित लागत कितनी है और उन्हें पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक चालू हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुछ और बड़ी विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस.वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). देश में अभी तक एन टी पी सी और एन एच पी सी द्वारा चालू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ). नौवीं योजना क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव, जिसमें वृहत विद्युत परियोजनाओं की स्थापना किया जाना शामिल है, नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु गठित कार्यदल के विचाराधीन है।

विवरण-I

क्र.सं.	परियोजना/स्थल का नाम	अधिष्ठापित क्षमता	अनुमोदित लागत	चालू/चालू की जाने वाली
1	2	3	4	5
1.	**एनटीपीसी**			
1.	सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट/उत्तर प्रदेश	2000	1190.26	सभी यूनिटें नवंबर 1987 से चालू कर दी गई हैं।
2.	रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट/उत्तर प्रदेश	1000	2387.40	प्रथम यूनिट मार्च 88 दूसरी यूनिट-जुलाई-89
3.	नेशनल कैपिटल पावर प्रोजेक्ट/उत्तर प्रदेश	840	1669.21	पहली यूनिट-अक्टूबर-91 दूसरी यूनिट-दिसंबर 92 तीसरी यूनिट-मार्च, 93 चौथी यूनिट-मार्च, 94
4.	फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-I/ उत्तर प्रदेश	420	925.0	यूनिट-1 नवंबर, 88 यूनिट-2 नवंबर, 89
5.	दादरी कंबाईंड साईकिल गैस पावर प्रोजेक्ट/उत्तर प्रदेश	817	960.35	सभी यूनिटें फरवरी 92 से मार्च, 94 के बीच चालू हो गई हैं
6.	अन्ता कंबाईंड साईकिल गैस पावर प्रोजेक्ट/राजस्थान	413	418.97	सभी यूनिटें-जनवरी, 89 से मार्च, 1990 के बीच चालू हो चुकी हैं
7.	औरैया कंबाईंड साईकल गैस पावर प्रोजेक्ट/उत्तर प्रदेश	652	678.77	सभी यूनिटें मार्च, 89 से जून, 1990 के बीच चालू हो गई हैं।
8.	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट-1/मध्य प्रदेश	1260	1460.37	सभी यूनिटें अक्तूबर, 87 से फरवरी, 91 के बीच चालू हो गई है।
9.	कोरबा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट/मध्य प्रदेश	2100	1625.25	सभी यूनिटें मार्च, 83 से मार्च, 89 के बीच चालू हो गई हैं।
10.	कवास कंबाईंड साइकिल गैस पावर प्रोजेक्ट/गुजरात	645	1374.74	सभी यूनिटें मार्च, 92 से मार्च, 93 के बीच चालू हो गई हैं।
11.	झनोर-गंधार कंबाईंड साइकिल गैस पावर प्रोजेक्ट/गुजरात	648	2500.00	सभी यूनिटें मार्च, 94 से सितंबर, 95 के बीच चालू हो गई हैं
12.	रामागुंडम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट/आंध्र प्रदेश	2100	2059.22	सभी यूनिटें अक्तूबर, 83 से अक्टूबर, 89 के बीच चालू हो गई हैं।
13.	फरक्का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट/पश्चिम बंगाल	1600	2453.29	सभी यूनिटें जनवरी, 86 से फरवरी, 94 के बीच चालू हो गई हैं।

1	2	3	4	5
14.	कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट/बिहार	840	1715.89	सभी यूनिटें मार्च, 92 से मार्च, 96 के बीच चालू हो गई हैं
15.	तलचेर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट/उड़ीसा	1000	2592.18	पहली यूनिट-फरवरी, 95 दूसरी यूनिट-मार्च, 96
16.	तलचेर थर्मल पावर स्टेशन/ उड़ीसा	460	356.0	ओएसईबी से ली गई सभी यूनिटें चालू हो गई हैं।
एनएचपीसी				
1.	सलाल एचई प्रोजेक्ट चरण-1 उधमपुर (जम्मू और कश्मीर)	345	626.11	1987
2.	सलाल एचई प्रोजेक्ट चरण-2/ उधम पुर (जम्मू और कश्मीर)	345	307.68	1993-95
3.	बैरास्यूल एच ई प्रोजेक्ट/चम्बा (हिमाचल प्रदेश)	198	142.50	1980-81
4.	चमेरा एचई प्रोजेक्ट-1/चम्बा (हिमाचल प्रदेश)	540	2114.02	1994
5.	लोकटक एचई प्रोजेक्ट/मणिपुर	105	130.02	1983
6.	टनकपुर एचई प्रोजेक्ट/बनबस्सा (उत्तर प्रदेश)	120	379.16	1992

विवरण-II

क्र.सं.	परियोजना/स्थल का नाम	अधिष्ठापित क्षमता	अनुमोदित लागत	चालू करने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5
अनुमोदित और निर्माणाधीन परियोजनाएं				
एनटीपीसी				
1.	विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-2/ मध्य प्रदेश	1000	2753.38	पही यूनिट-2/2000 दूसरी यूनिट-2/2001
2.	ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-2/उत्तर प्रदेश	420	1279.51	पहली यूनिट-1/2000 दूसरी यूनिट-7/2000
3.	कायमकुलम कम्बाइंड साईकिल पावर प्रोजेक्ट/केरल	400	1310.58	पहली गैस टरबाईन 3/1999 दूसरी गैस टरबाईन 5/1999 स्टीम टरबाईन 3/2000
एनएचपीसी परियोजनाएं				
1.	उड़ी एचई प्रोजेक्ट, बारामूला, जम्मू और कश्मीर	480	3070.67	मई, 1997
2.	दुलहस्ती एचई प्रोजेक्ट डोडा, जे.एंडके.	390	3914.82	मार्च, 2000
3.	रंगित एचई प्रोजेक्ट, सिक्किम	60	371.63	1998-99
4.	धौलीगंगा एचई प्रोजेक्ट, पिथौरा गढ़ (उत्तर प्रदेश)	280	1881.49	सितंबर, 2004
5.	कोयलकारो एचई प्रोजेक्ट, रांची, बिहार	710	3143.69	प्रारंभ होने की तिथि से 8 वर्ष

भीड़ रहित दिल्ली

93. **श्रीमती मीरा कुमार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली को भीड़ रहित बनाने के लिए अंतिम रुप-रेखा तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) तथा (ख). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम-1985 के तहत गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर) योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए 1989 में एक क्षेत्रीय योजना-2001 बनायी है। इस योजना में निम्नलिखित पर विचार किया गया है:-

- 20 लाख की आबादी को बाहर भेजकर दिल्ली पर जनसंख्या के दबाव को कम करना और
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र, हरियाणा के 6 जिले, उत्तर प्रदेश के 3 जिले और राजस्थान के अलवर जिले के आधे हिस्से के 30,242 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैले अन्तर्राज्यीय क्षेत्र का संतुलित व सुसंपत विकास करना।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए तीन नीतिगत जोन का पता लगाया गया है, जो इस प्रकार हैं :-

(1) एन.सी.बी. दिल्ली-सीमित विकास के लिए

(2) दिल्ली महानगर क्षेत्र (डी.एम.एस.) संतुलित विकास के लिए

(3) शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-प्रवृत विकास के लिए)

20 लाख आबादी को बाहर बसाने के लिए एन.सी.आर योजना में 6 डी.एम.ए. कस्बे यथा गाजियाबाद, नोयडा, फरीदाबाद, गुड़गॉवां, बहादुगढ़ और कोंडली और 8 प्राथमिकता कस्बे और कम्पलैक्स नामतः मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर-खुर्जा कम्पलैक्स, पानीपत, रोहतक, पलवल, रेवाड़ी-धारूहेड़ा-भिवाड़ी कम्पलैक्स और अलवर आदि को विकास हेतु निर्धारित किया गया है।

क्षेत्रीय योजना-2001 में जनसंख्या (पुनः आबंटन), बसाव पद्धति, क्षेत्रीय भू-उपयोग पैटर्न, पर्यावरण संबंधी पहलुओं, आर्थिक कार्यकलाप, आधार भूत सुविधाओं संबंधी एक परस्पर नीतिगत ढांचे के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया गया है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

94. **श्री हरिन पाठक** :
श्री भक्त चरण दास :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के प्रत्येक जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में एक जगह पर स्थित अथवा चलती-फिरती प्रयोगशालाएं हैं;

(घ) एक ऐसी प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए कुल कितनी निवेश की आवश्यकता है; और

(ङ) इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राज्यों, जहां ऐसी प्रयोगशालाएं लगाई गई हैं, के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) ऐसी एक प्रयोगशाला को लगाने के लिए अपेक्षित कुल निवेश निम्नानुसार है :-

1. भवन - 1.00 लाख रुपये
2. उपस्कर आदि - 3.00 लाख रुपये
3. प्रति वर्ष 3 लाख रुपये का आवर्ती खर्च अनुमानित है।

(ङ) 31.3.1997 तक प्रत्येक जिले में एक प्रयोगशाला का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तथापि, यह विद्यमान सुविधाओं की उपलब्धता और राज्य सरकारों के विशिष्ट प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

विवरण

जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं

	राज्य	स्थायी प्रयोगशालाएं		चलती फिरती प्रयोगशालाएं	
		संस्वीकृत	स्थापित	संस्वीकृत	वितरित
	1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	22	14	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	1	1

	1	2	3	4	5
3.	असम	23	6	1	1
4.	बिहार	5	5	–	–
5.	गोवा	1	1	–	–
6.	गुजरात	16	14	1	1
7.	हरियाणा	9	4	1	1
8.	हिमाचल प्रदेश	10	2	1	1
9.	जम्मू और कश्मीर	6	2	–	–
10.	कर्नाटक	10	6	1	1
11.	केरल	3	3	–	–
12.	मध्य प्रदेश	48	26	1	1
13.	महाराष्ट्र	3	3	2	2
14.	मणिपुर	1	1	1	1
15.	मेघालय	1	1	1	1
16.	मिजोरम	1	1	1	1
17.	नागालैंड	1	1	1	1
18.	उड़ीसा	13	8	1	1
19.	पंजाब	7	3	–	–
20.	राजस्थान	30	20	2	2
21.	सिक्किम	1	1	1	1
22.	तमिलनाडु	13	7	1	1
23.	त्रिपुरा	1	1	1	1
24.	उत्तर प्रदेश	59	26	2	2
25.	पश्चिम बंगाल	12	–	–	–
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	1	–	–
27.	दमन व द्वीव	2	2	–	–
28.	लक्षद्वीप	2	2	–	–
29.	पांडिचेरी	2	2	–	–
30.	दिल्ली	1	1	1	1
31.	चंडीगढ़	1	1	–	–
32.	दादर व नगर हवेली	1	1	–	–
	कुल	307	167	22	22

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस

95. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान होकर पाइप लाइन के जरिये राज्यों के तेल शोधक कारखानों में तेल तथा प्राकृतिक गैस पहुंचाने का है;

(ख) यदि हां, तो पहले की तथा वर्तमान की पाइप लाइनों का क्या ब्यौरा है तथा राजस्थान के किन-किन क्षेत्रों से होकर यह लाइन गुजरती है;

(ग) राजस्थान में कोई तेल शोधक कारखाना या गैस आधारित संयंत्र स्थापित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान में तेलशोधक कारखाना या गैस आधारित संयंत्र स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राजस्थान के किन-किन स्थानों पर तेल तथा गैस भंडारण सुविधाएं उपलब्ध हैं और उनका क्षमतावार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). अन्य राज्यों में स्थित रिफाइनरियों को कच्चे तेल की आपूर्ति कर रही/आपूर्ति करने के संबंध में प्रस्तावित राजस्थान में से गुजरती हुई पाइपलाइन का ब्यौरा निम्नवत है :-

(1) सलाया-वीरमगाम-कोयाली-मथुरा पाइपलाइन :- उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित मथुरा रिफाइनरी को कच्चे तेल का परिवहन करने के लिए यह पाइपलाइन राजस्थान के सिरोही, पाली, अजमेर, जयुपर, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों से होकर गुजरती है।

(2) चकसू से पानीपत: यह हरियाणा में स्थित पानीपत रिफाइनरी को कच्चे तेल की आपूर्ति करने के संबंध में क्रियान्वयनाधीन है। यह पाइपलाइन राजस्थान के सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर तथा अलवर जिलों से होकर गुजरेगी।

इसके अतिरिक्त एक अन्य दूसरी पाइपलाइन पंजाब में स्थापित होने के संबंध में प्रस्तावित संयुक्त उद्यम रिफाइनरी को क्रूड ले जाने के लिए विचारित है। तथापि, राजस्थान से होकर गुजरने वाले इसके मार्ग की जानकारी केवल विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार हो जाने पर ही होगी।

एच बी जे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का बिजयपुर-दादरी सेक्शन राजस्थान के भरतपुर जिले से होकर गुजरता है।

(ग) से (ङ). तकनीकी-आर्थिक विचारों के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत तेल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, चंबल फर्टीलाइजर्स गडेपन, एन टी पी सी, अन्ता, आर एस ई बी, रामगढ़ तथा समकोर ग्लास, कोटा के गैस आधारित संयंत्रों को, जिन्हें कि गैस आवंटित की गई है, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है।

(च) विवरण-I और II संलग्न हैं।

विवरण-I

राजस्थान में उन स्थानों के नाम जहां तेल भंडारण सुविधाएं उपलब्ध हैं

(आंकड़े कि.ली. में)

स्थान	टी ओ पी एस	डिपो	ए एफ एस	योग
1	2	3	4	5
कोटा		30993		30993
अजमेर		14253		14253
जयपुर	116020	34640	240	150900
उदयपुर		22470	210	22680
दुर्ग		15990		15990
भरतपुर		26903		26903
भगत की कोठी		26070		26070

1	2	3	4	5
हनुमान गढ़		20679		20679
जोधपुर	90989	17642	4070	112701
बीकानेर		6878		6878
नाल			1070	1070
सूरत गढ़			5000	5000
अतरौली			2070	2070
जैसलमेर			2000	2000
योग	207009	216518	14660	438187

विवरण–II

राजस्थान राज्य में विद्यमान भरण संयंत्रों पर एल पी जी भंडारण सुविधाएं

(आंकड़े मी.टन में)

भरण संयंत्र	कंपनी	दिनांक 01 अप्रैल, 1996 को टैंकेज
सवाई माधोपुर	आई ओ सी	1800
अजमेर	आई ओ सी	300
जयपुर	बी पी सी	410
जोधपुर	एच पी सी	350
उदयपुर	बी पी सी	500

गुजरात को विदेशी वित्तीय सहायता

96. **श्री एन.जे.राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को पेयजल की आपूर्ति हेतु विदेशी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) गुजरात में शहरी क्षेत्रों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त कोई योजना फिलहाल नहीं चलाई जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान

97. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को विद्युत उत्पादन और वितरण में 1994, 1995 और 1996 (आज की तारीख तक) के दौरान तुलनात्मक दृष्टि से कितना घाटा हुआ;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्य निष्पादन में निरंतर गिरावट का कोई विश्लेषण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस.वेणुगोपालाचारी) : (क) प्रश्नगत वर्ष के दौरान वाणिज्यिक हानियों सहित पारेषण और वितरण हानियां निम्नवत थीं :-

वर्ष	वाणिज्यिक हानियों सहित पारेषण व वितरण हानियां (मि.यू.)	प्रतिशत हानियां
1994–95 (अनंतिम)	4933	41.9 प्रतिशत
1995–96 (अनंतिम)	5263	41.7 प्रतिशत
1996–97 (अप्रैल–सितंबर) (अनंतिम)	3316	46.3 प्रतिशत

(ख) से (घ). डेसू द्वारा कार्यात्मक और राजकोषीय सुधारों के लिए एक कार्य योजना तैयार की गयी है। कार्य योजना में पारेषण और वितरण हानियों में कमी करना, उपभोक्ताओं सेवाओं में सुधार, विद्युत टैरिफ की पुनंसरचना और बकाया वसूलियों में तेजी लाना इत्यादि की परिकल्पना की गई है।

शहरी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी

98. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी को मकान देने के उद्देश्य से आवास योजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख). राष्ट्रीय आवास नीति में देश में आवास स्टाक की वृद्धि में निजी क्षेत्र की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। तथापि, आवास राज्य का विषय होने के नाते आवास कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र की सहभागिता के स्तर और सहभागिता को बढ़ावा देने बावत निर्णय लेने का दायित्व राज्य सरकारों का है।

किराये की वसूली

99. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली किराया न्यायालयों में किराए के लंबित मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू.वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख). जहां तक दिल्ली किराया अदालतों का संबंध है, गत तीन वर्षों के दौरान किराया मामलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

वर्ष (31 दिसंबर तक)	लंबित मामले
1993	20618
1994	18789
1995	16223

रक्षित विद्युत उत्पादन

100. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षित विद्युत उत्पादन में 1980-81 के 3102 मेगावाट से 1993-94 में, 10,150 मेगावाट तक जो वृद्धि का रूझान देखने का मिलता है उसके कारण राज्य विद्युत बोर्डों तथा घरेलू उपभोक्ताओं पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरुप राज्य विद्युत बोर्डों के निगमित क्षेत्र से किए जाने वाले व्यापार में कमी आएगी तथा इसकी भरपाई व्यक्तिगत उपभोक्ताओं से अपनी बिक्री बढ़ाकर पूरी करनी पड़ेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या घरेलू उपभोक्ता ही वास्तव में हानि उठाएगा जो न तो रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकता है और न ही कृषि क्षेत्र की तरह से सरकारी राजसहायता का लाभ उठा पाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ). कैप्टिव विद्युत संयंत्र (सीपीपी) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा-44 के अंतर्गत संबंधित राज्य बिजली बोर्ड (एसईबी) की सहमति से प्रत्येक औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा अधिष्ठापित किए जाते हैं। जैसा कि अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है, राज्य बिजली बोर्ड इस बात को सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सहमति प्रदान करते हैं कि अपेक्षित ऊर्जा की, उपयुक्त अवधि के दौरान और मितव्यतिता से आपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। इसके अलावा, तय किया गया टैरिफ जिस पर सीपीपी, रा.बि.बो को अपनी बढ़ी हुई विद्युत की आपूर्ति करेगा। स्वतंत्र निजी विद्युत संयंत्रों द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत से कम होगा। सीपीपी द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत रा.बि.बो. द्वारा की गई आपूर्ति की केवल पूरक ही होगी। अतः सीपीपी द्वारा रा.बि. बो./घरेलू उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

101. **श्री बची सिंह "बचदा" रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को कोई विशेष राशि उपलब्ध कराई है:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के सभी गांवों का कब तक विद्युतीकरण कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं। तथापि, उत्तर प्रदेश में कुल औसतन 76 प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण की तुलना में राज्य के पर्वतीय जिलों में विद्युतीकरण का स्तर 77 प्रतिशत है।

(ख) और (ङ). ग्रामीण विद्युतीकरण एक सतत् कार्यक्रम है। शेष गांवों का विद्युतीकरण निधियों की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ). पर्वतीय जिलों सहित समग्र राज्य के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वित्तीय परिव्यय तथा लक्ष्य योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों तथा राज्य विद्युत बोर्डों के साथ परामर्श से निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1996-97 के लिए योजना कार्यक्रम को अभी अंतिम रुप दिया जाना है। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, (यूपीएसईबी) ने सूचित किया है कि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए 28.79 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

परमाणु विद्युत उत्पादन

102. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परमाणु विद्युत उत्पादन की दिशा में वर्षवार हुई प्रगति के संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) परमाणु विद्युत की कितनी मात्रा का उत्पादन किन-किन स्थानों पर किया जा रहा है तथा इसका लाभ किन-किन राज्यों को मिल रहा है;

(ग) परमाणु ऊर्जा का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया जा रहा है और इस संबंध में विश्व में हमारा क्या स्थान है; और

(घ) परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में देश के लोगों को अद्यतन जानकारी देने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना के 220 मेगावाट क्षमता वाले यूनिट-2 के 1.9.1995 को वाणिज्यिक रुप से प्रचालन शुरू कर देने से देश में कुल परमाणु विद्युत उत्पादन की क्षमता इस अवधि में बढ़कर 1840 मेगावाट हो गई है।

(ख) विद्युत संयंत्रों की अवस्थिति, पिछले तीन वर्षों में उत्पादित बिजली की मात्रा, और लाभभोगी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं :-

क्रमांक	संयंत्र/अवस्थिति	मिलियन यूनिटों में उत्पादन				लाभभोगी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 31.10.96 तक	
1	2	3	4	5	6	7
1.	तारापुर बिजलीघर-1 (तारापुर, महाराष्ट्र)	898	546	1108	195	महाराष्ट्र और गुजरात
2.	तारापुर परमाणु बिजलीघर-2 (तारापुर, महाराष्ट्र)	925	971	445	252	
3.	राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 (रावतभाटा, राजस्थान)	163	-	-	-	राजस्थान
4.	राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 (रावतभाटा, राजस्थान)	1097	410	-	-	
5.	मद्रास परमाणु बिजलीघर-1 (कलपाक्कम, तमिलनाडु)	373	1229	1136	215	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक केरल, पांडिचेरी

1	2	3	4	5	6	7
6.	मद्रास परमाणु बिजलीघर-2 (कलपाक्कम, तमिलनाडु)	1016	1203	274	724	तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक केरल, पांडिचेरी
7.	नरोरा परमाणु बिजलीघर-1 (नरोरा, उत्तर प्रदेश)	-	187	1295	667	उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश
8.	नरोरा परमाणु बिजलीघर-2 (नरोरा, उत्तर प्रदेश)	335	765	1457	726	जम्मू और कश्मीर दिल्ली, चंडीगढ़
9.	ककरापार परमाणु बिजलीघर-1 (ककरापार, गुजरात)	656	358	1115	917	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
10.	ककरापार परमाणु बिजलीघर-2 (ककरापार, गुजरात)	-	-	1152	909	गोआ, दमन दीव, दादरा नागर हवेली

(ग) भारत में परमाणु ऊर्जा के लाभकारी उपयोग परमाणु विद्युत के उत्पादन के अलावा चिकित्सा, उद्योग, कृषि और अनुसंधान के क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं। इसकी उपलब्धियों की वजह से भारत को इस क्षेत्र में विकसित देश का दर्जा दिया गया है।

(घ) जन जागरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और प्रकाशनों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, दूरदर्शन और आकाशवाणी पर वार्ताओं, प्रैस विज्ञप्तियों आदि के जरिए अलग-अलग वर्ग के व्यक्तियों को सूचना का प्रसारण किया जाता है।

रसोई गैस कनेक्शन

103. श्री सोहन वीर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में रसोई गैस कनेक्शन की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस जिले में अब तक कितने लोगों ने कनेक्शन के लिए आवेदन दिए हैं;

(घ) कितने लोगों को गैस कनेक्शन आबंटित किए गए; और

(ङ) शेष लोगों को कब तक गैस कनेक्शन प्राप्त हो जायेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). जी, हां। स्वदेशी एल पी जी उत्पादन देश की कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान मांग और स्वदेशी उत्पादन के अंतराल को पाटने के लिए एल पी जी का आयात करना होता है। मुंबई और विजाग में सीमित आयात सुविधा अतिरिक्त एल पी जी के आयात की साज-संभाल के लिए पर्याप्त नहीं है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दो नई एल पी जी आयात सुविधएं हाल ही में कांडला और मंगलौर में आरंभ की गई हैं। इससे देश में एल पी जी की उपलब्धता में सुधार होगा।

(ग) 1.10.96 की स्थिति के अनुसार मुजफ्फरनगर जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां एल पी जी कनेकशनों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या लगभग 35385 थी।

(घ) 1.10.96 की स्थिति के अनुसार मुजफ्फरनगर जिले में लगभग 70623 को एल पी जी कनेक्शन आबंटित किए गए थे।

(ङ) एल पी जी की उपलब्धता, नई उपभोक्ता नामांकन योजना, प्रतीक्षा सूची, क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूटर के यहां उपलब्ध स्लेक और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर नए एल पी जी कनेक्शन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सहित पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं। एल पी जी एक निर्धारित उत्पाद नहीं है और कोई अग्रिम आबंटन नहीं किया जाता। देश में प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को अगले चार/पांच वर्षों में एल पी जी कनेक्शन मुहैया करा दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन

104. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी वर्तमान विद्युत उत्पादन एकक अति लागत प्रभावी हैं और विद्युत की मांग और पूर्ति के अंतर को कम करने में

सफल हैं क्योंकि नये विद्युत स्टेशनों की स्थापना करने में संसाधनों का पर्याप्त अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अनुमान लगाया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30,538 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में केवल 17 हजार मेगावाट क्षमता बढ़ाई जाएगी;

(ग) क्या विद्युत वित्त निगम लिमिटेड के अनुसार विद्युत एककें 25 वर्ष पुरानी हैं और उनका तत्काल विस्तार किए जाने तथा नवीकरण किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) क्या 1987 में गठित राष्ट्रीय समिति ने पहले ही जैसे 52 जल विद्युत स्टेशनों का पता लगाया है जिन्हें पुनर्जीवित करने तथा उन्नत बनाने की आवश्यकता है;

(ङ) क्या सरकार ने अब तक इस समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया है; और

(च) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और कब तक इन विद्युत इकाईयों को पुनर्जीवित तथा उन्नत बनाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस.वेणुगोपालाचारी) : (क) अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने के लिए एक नए विद्युत केन्द्र की स्थापना करने की तुलना में विद्यमान विद्युत केन्द्रों की उत्पादकता में सुधार करने के जरिए विद्युत उत्पादन में वृद्धि करना एक सस्ता विकल्प है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नवीकरण, आधुनिकीकरण और उच्चीकरण के अंतर्गत शामिल करने के लिए 55 जल विद्युत केन्द्रों को अभिज्ञात किया है। 55 स्कीमों में से 33 स्कीमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पहले ही अनुमोदित कर दिया है और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(च) कितने समय में यह स्कीमें पूरी की जा सकती है वह राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक निधियों तथा इन स्कीमों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किए जाने पर निर्भर करेगा।

अवसंरचनात्मक विकास

105. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने महाराष्ट्र के लिए पूंजीगत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना का अनुमोदन कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें केन्द्र का कितना अंशदान है तथा इस हेतु कितना बजटीय प्रावधान किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित और वास्तव में निर्मुक्त की गयी; और

(घ) न्यायालय भवन और रिहायशी आवासों का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत परियोजनाएं

106. श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
श्री टी. गोपाल कृष्ण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह घोषणा की है कि 1000 करोड़ रुपये तक की विद्युत परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के इस कदम से पर्यावरणविदों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का अपने निर्णय की समीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस.वेणुगोपालाचारी) : (क) भारत सरकार ने सितम्बर, 1996 में निर्णय लिया था कि उत्पादन विद्युत परियोजनाओं को प्रतिस्पार्द्धात्मक बोलियों के माध्यम से चुनी गई उत्पादन कंपनियों द्वारा स्थापित करने और 1000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सी.सी.एस. का प्रख्यापन

107. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.सी.एस. (रिकग्निशन आफ सर्विस एसोसिएशन) नियम, 1993 के प्रख्यापन के साथ ही मान्यता प्राप्त संगठनों को 1993

के नियमों के अंतर्गत उस समय अस्थायी मान्यता इस शर्त के अध्यधीन दी गई थी कि संबंधित संघ एक वर्ष के भीतर सदस्यता संख्या की जांच सहित सभी शर्तों को पूरा करेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के कुछ सेवा संगठन एक वर्ष के भीतर इन शर्तों को पूरा करने में असफल रहे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन प्रावधानों के अंतर्गत यह तिथि बढ़ाई गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग). केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली 1993 के नियम 4 की शर्तों के अनुसार, सभी सेवा संघ/फैडरेशन जिन्हें 5.11.93 को इन नियमों को अधिसूचना से पूर्व मान्यता प्रदान की गई थी को एक वर्ष को अवधि के लिए उसी रुप में मान्यता जारी रखने की अनुमति दी गई थी, जिसे बाद में 4.5.1995 तक छह मास के लिए बढ़ा (नियमों में संशोधन करके) दिया गया था। चूंकि अधिकतर ऐसे संघों ने मान्यता के लिए आवेदन नहीं दिया था इसलिए 30.6.1996 तक आवेदन करने के लिए नया अवसर दिया गया था, जिसे पुनः 31.10.1996 तक बढ़ा दिया गया। परन्तु हाल ही में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के परिणामस्वरुप संचार पद्धति में हुई गड़बड़ी के कारण, यह निर्णय किया गया है कि 15.11.1996 तक प्राप्त आवेदनों को भी विशेष मामले के रुप में स्वीकार किया जाए। इस बात का निर्णय करना संबंधित सेवा संघों का काम कि क्या उन्हें मान्यता के लिए आवेदन करना है अथवा नहीं। फिर भी उपलब्ध सूचना के अनुसार अधिकतर सेवा संघों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है।

मुरारी समिति

108. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुरारी समिति की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने मुरारी समिति की सिफारिशों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए संसद में और संसद से बाहर कोई आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो आश्वासन पूरा करने के बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ग). गहन समुद्री मत्स्यन नीति संबंधी पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया है और इन्हें सिद्धांततः स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। इन निर्णयों को लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विद्युत नीति

109. श्री संदीपान थोरात :
श्री अन्ना साहिब एम.के. पाटिल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में उदारीकरण की नीति के अंतर्गत विद्युत उत्पादन पारेषण के मामले में सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादकों/विदेशी निवेशकों के बीच बराबर के अवसर प्रदान करने हेतु नई शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र को वित्तीय तथा अन्य कौन-कौन सी सहायता दिए जाने की पेशकश की गई है;

(घ) क्या विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिए दिया गया सहायता पैकेज सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू होगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) विद्युत उत्पादन तथा पारेषण के क्षेत्र में सरकारी उपक्रमों द्वारा कौन-कौन से संयुक्त उद्यम शुरू करने का प्रस्ताव हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ). विद्युत उत्पादन तथा वितरण में निजी सहभागिता की अधिकाधिक वृद्धि संबंधी प्रोत्साहन के लिए निजी क्षेत्र में स्थापित विद्युत परियोजनाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित परियोजनाओं के लिए 30.3.92 से बराबर लागू है। विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रोत्साहन इस प्रकार हैं :-

* निजी क्षेत्र कंपनियां, लाइसेंसधारियों अथवा उत्पादक कंपनियों के रुप में प्रचालन के लिए उद्यम स्थापित कर सकती है।
* विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहीं सभी निजी कंपनियों को इसके पश्चात् 4:1 तक ऋण इक्विटी की अनुमति होगी।
* प्रवर्तकों का योगदान कुल परिव्यय का न्यूनतम 11 प्रतिशत होना चाहिए।
* यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी उद्यमी क्षेत्र में संसाधनों में जो अभिवृद्धि करेंगे वह, परियोजना हेतु कुल परिव्यय का 60 प्रतिशत से कम न हो और यह राशि भारतीय सार्वजनिक वित्त संस्थानों से इतर संस्थानों से प्राप्त हो।
* विदेशी निजी निवेशकों द्वारा स्थापित परियोजनाओं को 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

* पांच वर्ष का कर अवकाश अनुमत किया गया है।
* विद्युत क्षेत्र में वृहत संख्या में कैपिटल गुड्स तथा उपकरणों पर उत्पाद कर कम कर दिया गया है।
* संबंधित विदेशी मुद्रा में टैरिफ में सीमित विदेशी इक्विटी पर 16 प्रतिशत तक रिटर्न प्रदान की जा सकती है।
* थर्मल के लिए पीएलएफ 68.5 प्रतिशत की दर से अचल लागतें तथा जल संयंत्रों के लिए 90 प्रतिशत उपलब्धता वसूली की जा सकती है। इस पीएलएफ से आगे निष्पादन हेतु आकर्षक प्रोत्साहन निर्दिष्ट किए गए हैं।
* मार्च 1992 की टैरिफ अधिसूचना में निर्दिष्ट मानकों के विचलन पर टैरिफ निर्धारित किया जा सकता है। बशर्ते कि प्रति यूनिट टैरिफ मानकों के आधार पर तय की गई प्रति यूनिट टैरिफ से कम न हो।

(च) स्पैक्ट्रम तकनीकी के साथ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) यूएसए तथा जय फूड इंडस्ट्रिज हैदराबाद ने संयुक्त रुप से आंध्र प्रदेश में कर्नाटक पर 208 मेगावाट सीसीजीटी विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लिमिटेड किया है।

(छ) परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन में आई रूकावटें यदि कोई हों तो उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार निजी कंपनियों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्रस्तावित संयुक्त उद्यम विद्युत परियोजनाओं सहित निजी विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की भली प्रकार मानीटरिंग कर रही है।

पूयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना

110. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री पी.जे. कुरियन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित पूयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना मंजूरी हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). केरल में पूयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना (2x120 मे.वा.) को 250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वर्ष 1984 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। राज्य सरकार द्वारा वन स्वीकृति प्राप्त किए जाने की शर्त पर योजना आयोग द्वारा अगस्त, 1986 में परियोजना को निवेश स्वीकृति प्रदान की गई थी। पूयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जून, 1985 में प्रदान की गई थी। परियोजना के लिए वन स्वीकृति अस्वीकार कर दी गई है। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्णय की पुनः जांच कराने के लिए राज्य सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुरोध किया है। राज्य सरकार और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया है और पूयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना का गहराई से विश्लेषण करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अक्टूबर, 1996 में एक समिति गठित की है।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

111. **कुमारी उमा भारती :**
प्रो. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु अपनी बहु प्रचारित "तत्काल सेवा" योजना अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत छः महीनों के दौरान इस योजन के अंतर्गत कुल कितने लोग लाभान्वित हुए; और

(घ) क्या सरकार इस योजना को पुनः चालू करने पर विचार करेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत छः माह अर्थात् अप्रैल से सितम्बर, 1996 के दौरान इस योजना के कुल लाभकारियों की संख्या 54,777 है।

(घ) उक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

स्वच्छता तथा जल आपूर्ति

112. **श्री सोहन वीर : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कई परियोजनाएं यथा स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में इन परियोजनाओं को लागू करने के लिये कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा उन परियोजनाओं तथा नगरों के क्या नाम हैं जिसके लिये यह धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश की किसी परियोजना को 1996-97 के दौरान मंजूरी दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार को फ्लोरोसिस के नियंत्रण एवं पानी की गुणवत्ता की जांचने हेतु 16.22 करोड़ रुपए की एक राशि रिलीज कर दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उत्तर प्रदेश की ओर से प्राप्त परियोजना पर की गई कार्रवाई की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1.	फिरोजाबाद गांव	विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं अतः राज्य सरकार की ओर से परियोजना संबंधी रिपोर्ट अपेक्षित है।
2.	झांसी (6 समूह, 14 गांवों हेतु जल आपूर्ति योजना)	सैद्धान्तिक तौर पर इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है मगर राज्य सरकारों द्वारा परियोजना प्रस्तावों के विस्तृत डिजाइन का विवरण दिया जाना अभी बाकी है।
3.	कानपुर नगर	राज्य सरकारों से परियोजना का पुनर्विलोकन भारत सरकार की शर्तों के अनुसार करने का अनुरोध किया गया है।

विद्युत नियामक आयोग

113. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :**
श्री संदीपान थोरात :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक स्वतंत्र विद्युत नियामक आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) कब तक इसकी स्थापना कर दी जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) सरकार राज्यों के साथ परामर्श करके विद्युत क्षेत्र के लिए एक कार्यवाही योजना को अंतिम रुप प्रदान करने पर विचार कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ नियामक आयोग के संबंध में सुझाव शामिल हैं।

(ख) और (ग). शामिल मुद्दों पर राज्यों के साथ विस्तृत चर्चा किए जाने के पश्चात् ही इसकी रुप रेखा तथा समय सीमा तैयार की जा सकती है।

[अनुवाद]

योजना आयोग का पुनर्गठन

114. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा योजना आयोग के पुनर्गठन में देर से लिए गए निर्णय के कारण नवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी का अग्रिम कार्य लगभग रूक सा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नवीं योजना की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों को व्याख्यापित करने वाले दस्तावेजों पर विचार-विमर्श करने में और समय लगेगा;

(ग) क्या नई सरकार ने योजना आयोग का पुनर्गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति और ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके पूर्णकालिक और पदेन सदस्यों के नाम क्या हैं;

(च) क्या योजना आयोग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा योजना आयोग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी नहीं, नौवीं योजना को दिनांक 1 अप्रैल, 1997 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है जो कि नौवीं योजना के प्रारंभ करने की समान्य तिथि है। नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ योजना की प्राथमिकताएं भी शामिल होंगी।

(ग) से (ज). सरकार द्वारा योजना आयोग का पुनर्गठन किया जा चुका है तथा दिनांक 31.7.1996 के अनुसार आयोग के गठन को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। आयोग का गठन भारत सरकार के दिनांक 15.3.1950 के संकल्प के अनुसार किया गया है। उपरोक्त संकल्प के अनुसार याजना आयोग में किसी खास जाति/समुदाय के प्रतिनिधित्व की कोई स्कीम नहीं है। संकल्प का उद्देश्य "देश के संसाधनों का पर्याप्त दोहन करके लोगों के जीवन स्तर में शीघ्र उत्थान करना, उत्पादन बढ़ाना तथा समुदाय की नौकरियों में सभी को रोजगार का अवसर दिलाना है।"

आयोग सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजना का निरूपण करते हुए जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच जीवन और विकास के स्तर पर असमानता को ध्यान में रखता है।

विवरण

दिनांक 31.7.1996 से प्रभावी योजना आयोग का गठन निम्नानुसार है :-

1.	श्री एच.डी.देवगौड़ा, प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2.	प्रो. मधु दंडवते	उपाध्यक्ष
3.	श्री चतुरानन मिश्र (कृषि मंत्री)	सदस्य
4.	श्री पी. चिदबंरम (वित्त मंत्री)	सदस्य
5.	डा. वाई.के.अलघ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	सदस्य
6.	डा. एस.आर. हासिम	सदस्य
7.	डा जे.एस. बजाज	सदस्य
8.	डा. एम.आर. श्रीनिवासन	सदस्य
9.	डा. अर्जुन के सेनगुप्ता	सदस्य
10.	डा. (श्रीमती) चित्रा नायक	सदस्य
11.	डा. जी. थिम्मैया	सदस्य
12.	श्री एस.पी. शुक्ला	सदस्य
13.	डा. विमल जालान	सदस्य-सचिव

सिम्हाद्री/कृष्णपट्टणम विद्युत परियोजनाएं

115. **श्री डॉ. एम. जगन्नाथ :**
श्री अय्यन्ना पटरूधु :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से विशाखपट्टनम स्थित सिम्हाद्री विद्युत परियोजना और नैल्लोर जिले में स्थित कृष्णपट्टनम ताप विद्युत स्टेशन योजना को ओवरसीज इकानॉमिक कोआपरेशन फंड द्वारा वित्त पोषित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को ओवरसीज इकनॉमिक कोआपरेशन फंड द्वारा वित्त पोषण हेतु मंजूर कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस.वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). आंध्र प्रदेश सरकार/आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एपीएसईबी) ने ओईसीएफ के ऋण पैकेज 1997-98 के तहत विभाग, सिम्हाद्री तथा कृष्णापट्टम ताप विद्युत केन्द्रों में विद्युत का अंतरण करने के लिए पारेषण प्रणालियों समेत विभिन्न नई विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सहायता हेतु अनुरोध किया है। तथापि एपीएसईबी के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् तथा संबंधित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए 809 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर विजाग तथा सिम्हाद्री ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत का अंतरण किए जाने के लिए एकीकृत पारेषण प्रणाली जापान सरकार/ओईसीएफ को प्रस्तुत करने हेतु वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सिम्हाद्री थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट चरण-I (2×500 मे.वा.) को ओईसीएफ के ऋण पैकेज 1996-97 के तहत जापान सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाने हेतु पहले ही सहमति हो चुकी है।

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

116. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने रसोई ईंधन के विकल्प के रुप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के संबंध में दिल्ली के कुछ क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यह गैस वितरण परियोजना कब तक चालू हो जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). गेल ने दिल्ली में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अलावा लगभग 2,31,000 घरेलू उपभोक्ताओं को

पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव किया है। 3 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं सहित काका नगर, बापा नगर और पंडारा पार्क में 1200 घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना मार्च, 1997 तक पूरी किए जाने का कार्यक्रम है।

क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन

117. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का निर्माण और सफल परीक्षण उड़ान कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो यह परीक्षण कब किया गया था और इसके क्या परिणाम निकले और इस इंजन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) अंतरिक्षयान विकास कार्यक्रम में इसके प्रयोग की अनुवर्ती योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी, हां। स्वदेशी विकास के एक भाग के रुप में, निर्वात् में एक टन के निर्धारित प्रणोद के साथ एक उपपैमाने के क्रायोजेनिक टाब भारित इंजन का विकास किया गया है और समुद्र तल स्थितियों के अंतर्गत इसकी सफलतापूर्वक जांच कर ली गयी है।

क्रायोजेनिक इंजन की अवधारणा को क्रमबद्ध रुप से समझने के लिए बढ़ती हुई जटिलताओं के साथ परीक्षणों की एक श्रृंखला, जिसका अंतिम परीक्षण सितम्बर 26, 1996 में किया गया था, आयोजित की गई। जबकि प्रारंभिक परीक्षण गैसीय हाइड्रोजन और गैसीय ऑक्सीजन के साथ आयोजित किए गए, अंतिम परीक्षण प्रचालनात्मक इंजन की आवश्यकतानुसार द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के साथ आयोजित किए गए। इस परीक्षण के साथ ही, सभी निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करते हुए उपपैमाना कार्यक्रम पर श्रृंखला की समाप्ति हो गई है।

(ग) इन परीक्षणों से प्राप्त सूचनाएं जी.एस.एल.वी. में उपयोग के लिए निर्धारित 7.5 टन प्रणोद के क्रायोजेनिक चरण के विकास के लिए उपयोगी इंजीनियरी आंकड़ा आधार बन गई है।

[हिन्दी]

भूमि विस्थापितों को रोजगार

118. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने उत्तर प्रदेश के दादरी में अपनी विद्युत परियोजना के लिए ग्रामीण लोगों की कृषि भूमि को अधिगृहीत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिनकी भूमि इस उद्देश्य के लिए अधिगृहीत की गई हैं उन्हें रोजगार देने का कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो अब तक नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(ङ) इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए क्या कार्य किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने दादरी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की विद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिगहित की थी। 1524 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, जिसमें से 67 प्रतिशत भूमि बंजर, बेकार तथा जलीय भूमि है।

(ग) आवश्यकताओं/रिक्तियों तथा उपयुक्तता के अध्यधीन भर्ती में परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है।

(घ) अब तक नियुक्त किए गए भू-विस्थापितों की संख्या निम्न प्रकार है :-

अकुशल	-	137
कुशल	-	44

(ङ) इस क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित निर्माण कार्य पूरा हो चुका है :-

1. गांवों के लिए पहुंच मार्ग।
2. कतिपय गांवों में खडंजा/नाले।
3. स्कूलों का निर्माण।
4. उप-केन्द्रों (जच्चा-बच्चा केन्द्रों) का निर्माण।
5. भू-विस्थापितों को रोजगार हेतु योग्य बनाने के उद्देश्य से उन्हें कंप्यूटर साफ्टेवयर एपलीकेशन में प्रशिक्षण, मोटर-चालन में प्रशिक्षण तथा टाइपिंग में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।
6. दुकानों का आबंटन एवं अल्प कार्यों की संविदाएं प्रदान करना।

महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

119. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विद्युत की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के उत्पादन की संभावना का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). महाराष्ट्र राज्य में पवन, लघु जल, खोई सह-उत्पादन और सौर प्रकाशवोल्टीय पर आधारित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा 16.3 मेवा. विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य में स्थापित कुल उत्पादित क्षमता में से 11.62 मेवा. 8वीं योजना अवधि के दौरान स्थापित हुई जबकि शेष 8वीं योजना के पहले से स्थापित थी।

[अनुवाद]

इनसेट-2 उपग्रह

120. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इनसेट-2 उपग्रह छोड़ने संबंधी सेवाओं के संबंध में करार-भुगतान के स्थगन के कारण भारत को कितना घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) इस स्थगन के क्या कारण हैं तथा क्या इस संबंध में उत्तरदायित्व तय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) इनसैट-2 प्रमोचन सेवाओं के करार-भुगतान में से एक प्रगति भुगतान के स्थगन के कारण कोई घाटा नहीं हुआ है।

(ख) यह स्थगन 1995-96 और 1996-97 के वित्तीय वर्षों के दौरान नकद प्रवाह के समायोजन के लिए किया गया था।

(ग) यह भुगतान, इनसैट-2 ई प्रमोचन सेवा करार के अन्तर्गत किए जाने वाले प्रगति भुगतानों में से एक था, जो फरवरी 1996 में देय था, तथा इसकी राशि लगभग 20.4 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 72 करोड़ रुपये) थी। वर्ष 1995-96 में अन्तरिक्ष विभाग ने नकद प्रवाह को नियंत्रित करने की आवश्यकता के कारण इस भुगतान को दो महीने के लिए स्थगित करते हुए इसे अप्रैल 1996, अर्थात् 1996-97 में अदा कर दिया गया। भुगतान के स्थगन के कारण प्रमोचन कार्यक्रम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही इसके लिए कोई दाण्डिक भुगतान करना पड़ा है।

उत्तर प्रदेश में राज्य बिजली परियोजनाएं

121. **श्री डी.पी. यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली मंत्रियों की हाल ही में दिल्ली में कोई बैठक हुई थी;

(ख) क्या सरकार ने सभी बिजली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार को शक्तियां दे दी हैं;

(ग) यदि हां, तो यह बैठक में यह निर्णय लिए जाने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां। मुख्य मंत्रियों/ऊर्जा मंत्रियों की एक बैठक दिनांक 16.10.1996 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विश्व बैंक की चेतावनी

122. **श्री जी.एम. कुंटूरकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उसकी शर्तों को न मानने के कारण महाराष्ट्र सरकार की धनराशि का आबंटन स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

विद्युत मांलय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). विश्व बैंक ने महाराष्ट्र की द्वितीय विद्युत परियोजना के लिए 3498 आईएन ऋण से और आहरण को 22.10.96 से मुख्यतः मुख्यतः इसलिए स्थगित कर दिया क्योंकि महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड अपनी प्रचालनाधीन अचल परिसंपत्तियों के औसत निबल मूल्य की 4.5 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न प्राप्त करने में अक्षम रहा है तथा अपनी वाणिज्यिक खाता प्राप्तियों को 2.5 माह के राजस्व से कम करने में भी असमर्थ रहा है।

(ग) भारत सरकार द्वारा केवल एमएसईबी के लिए ऋण स्थगन के प्रतिसंहरण के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित कतिपय विशिष्ट शर्तों के आधार पर विश्व बैंक से बात की जा सकती है, जिसके लिए सरकार महाराष्ट्र सरकार से पता लगा रही है।

गैस सिलेंडर

123. **श्री सौम्य रंजन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ इकाइयां 250 ग्राम से 5 किलोग्राम तक के सिलेंडर बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर ऐसा किया जा रहा है;

(ग) क्या उसके परिणामस्वरुप दुर्घटना होने के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर बालू) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां 14.2 कि.ग्रा., 19 कि.ग्रा. तथा 47.5 कि.ग्रा. की क्षमता वाले सिलेंडरों में एल पी जी का विपणन करती हैं। तथापि 1993 में एल पी जी नियंत्रण आदेश में संशोधन होने पर एल पी जी के समानान्तर विपणनकर्त्ता किसी भी आकार, प्रकार, डिजाइन व भार के गैस सिलेंडरों में एल पी जी का विपणन कर सकते हैं किन्तु वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एल पी जी के विपणन के लिए विनिर्धारित सिलेंडरों से अलग हों।

(ख) से (घ). समानान्तर विपणनकर्त्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गैस सिलेंडर के वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर, आकार, प्रकार, डिजाइन व सिलेंडर के भार के विनिर्देश एल पी जी नियंत्रण आदेश, 1993 में दिए गए हैं। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यालयों ने इन विनिर्देशों के अनुपालन का प्रवर्तन करते हैं।

[हिन्दी]

शहरों का विकास

124. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत चुने गए शहरों के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन शहरों में सन् 2000 तक किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर अनुमानतः नगर-वार कितनी धनराशि खर्च होगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एन सी आर के लिए क्षेत्रीय योजना 2001 में उल्लिखित उन नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार विकास किया जाना है जिनमें सड़क तथा रेल दोनों परिवहन अवस्थापनाओं, बिजली व दूर संचार के साथ साथ उद्योगों, थोक व्यापार तथा वाणिज्यि के लिए व्यापक स्तर भूमि अधिग्रहण व आन्तरिक बाहरी सेवाओं के प्रावधान, आवास तथा आर्थिक कार्यकलापों का विकास करके दिल्ली से बाहर चुनिंदा शहरों का विकास करने का विचार है।

केन्द्र तथा राज्य दोनों सेक्टरों में लागू निवेश कार्यक्रम इस कार्यनीति की मदद कर रहा है। राज्य सेक्टर के कार्यक्रमों में मुख्य रुप से नये शहरों के लिए भूमि अधिग्रहण तथा स्थानीय अवस्थापना का प्रावधान है तो केन्द्रीय सेक्टर के तहत पूरे क्षेत्र में मुख्य अवस्थापना घटकों यथा रेल नेटवर्क का सुधार, सड़क नेटवर्क का विस्तार/सुधार, एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण, विद्युत उत्पादन तथा उसका संचार व वितरण और बेहतर दूर संचार सुविधाओं के विकास कार्यक्रम शामिल है।

चूंकि IX योजना बावत प्रस्ताव अभी तैयार किए जाने हैं, इसलिए वित्तीय नियतन तथा शहर-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

बॉम्बे-हाई

125. **श्री नारायण अठावले : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बॉम्बे-हाई (उत्तर तथा दक्षिण) को फिर से चालू करने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शामिल करने सहित कई प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन/अंतिम रुप दिये गए प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या अड़चनें है,

(ग) प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है; और

(घ) बॉम्बे-हाई की तेल क्षमता का उपयोग करने तथा बंद कुंओं को फिर से चालू करने हेतु ओ.एन.जी.सी. की योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). बम्बई हाई के सुधार के लिए ओ एन जी सी द्वारा विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है तथा अब तक किसी विशिष्ट प्रस्ताव को पुख्ता नहीं किया गया है।

(घ) बम्बई हाई के कच्चे तेल की संभाव्यता का दोहन करने और रूग्ण कूपों को पुनः चालू करने के लिए ओ एन जी सी ने निम्नलिखित उपाय किए हैं/ करने का प्रस्ताव किया है :-

(1) वर्धित पहुंच कूपों, क्षैतिज और अतिरिक्त "इनफिल" कूपों का वेधन।

(2) तेल क्षेत्र के 3 डी भूकंपीय सर्वेक्षण के आधार पर योजनाबद्ध अतिरिक्त विकास।

(3) सुधारात्मक उपाय जैसे जोरदार कार्यप्रयास करना, उत्पादकों तथा इंजैल्टरों का प्रोफारल संशोधन तथा विशेष

तकनीक का प्रयोग करना, जैसे लम्बी/छोटी ड्रिफ्ट, साइड ट्रेक तथा कूपों को पुनः चालू करने के लिए नालिका छिद्र वेधन करना।

(4) जहां कहीं आवश्यक हो, अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना।

विद्युत क्षेत्र के लिए अपर्याप्त बजट

126. **श्री दिनशा पटेल :**
श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ताप विद्युत बनाने तथा ट्रांसमिशन और वितरण के क्षेत्रों में बजटीय सहायता में अत्यधिक कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने भविष्य में इन क्षेत्रों में पर्याप्त बजटीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). विगत तीन वर्षों के दौरान बजटीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

ताप विद्युत उत्पादन	(करोड़ रुपये में) बजट अनुमान
1	2
1993-94	1570.00
1994-95	1705.84
1995-96	1149.45
जल.विद्युत उत्पादन	
1993-94	640.00
1994-95	909.59
1995-96	817.85
पारेषण एवं वितरण	
1993-94	221.60
1994-95	350.00
1995-96	321.94

(ग) योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजनाओं के लिए बजटीय सहायता का आबंटन सरकार के समग्र संसाधनों के अंतर्गत व्यक्तिगत विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्राधिकारियों और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके दिया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत परियोजनाएं

127. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सरकारी तथा निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की संख्या क्या है तथा इनके क्या नाम हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ग) क्या इन सभी परियोजनाओं में वाणिज्यिक स्तर पर विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है;

(घ) यदि हां, तो बिहार के चालू विद्युत उत्पादन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन संयंत्रों में विद्युत उत्पादन उनकी अधिष्ठापित क्षमता से कम है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ) अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

अप्रैल-अक्टूबर, 1996

प्रचालनाधीन विद्युत केंद्रों का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	क्षेत्र	ऊर्जा उत्पादन (मि.यू.)		पीएलएफ (प्रतिशत)	
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7
ताप विद्युत:						
पतरेतु	840	राज्य	1240	612	31.4	15.5
बरौनी	320	राज्य	399	222	25.1	13.9

1	2	3	4	5	6	7
मुजफ्फरपुर	220	राज्य	261	135	23.1	11.9
कारबीगाहिया*	13.5	राज्य	–	–	–	–
तेनुघाट	210	टीवीएन लि.#	497	210	–	–
कहलगांव	840	एनटीपीसी	1582	1830	48.6	52.4
जल विद्युत:						
कोसी	20	राज्य	14	13	–	–
सुबर्णरिखा	130	राज्य	144	232	–	–

*इस समय उत्पादन नहीं कर रहे - आर एंड एम के अंतर्गत।

सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी

(च) बिहार में कम ताप-विद्युत उत्पादन के प्रमुख कारण पतरेतु और बरौनी में पुरानी यूनिटों का खराब निष्पादन, पूंजी अनुरक्षण के कारण मुजफ्फरपुर टीपीएस की एक यूनिट का लंबे समय तक बंद हो जाना, तेनुघाट टीपीएस में 210 मेगावाट की यूनिट-2 के शेष कार्यों का लंबित होना इत्यादि हैं।

(छ) अधिष्ठापित क्षमता के ईष्टतम समुपयोजन के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में पुरानी यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, उपयुक्त उपचारात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम का अनुपालन करना, उपस्करों की आवधिक रुप से मरम्मत करना, अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा वाले कोयले की आपूर्ति करना, पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित करना इत्यादि शमिल हैं।

[अनुवाद]

एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट

128. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न कंपनियों के एल.पी.जी बॉटलिंग प्लांटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक बॉटलिंग प्लांट की क्षमता क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में और एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांटों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो कम्पनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इससे दिल्ली में रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति की जा सकेगी;

(च) इन प्लांटों पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(छ) कब तक दिल्ली से इन्हें शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). दिल्ली में इंडियन आयल कारपोरेशन के दो एल पी जी भरण संयंत्र टिकरी कलां और मदनपुर खादर में हैं जिनकी क्षमता क्रमशः 132 टी एम टी पी ए और 44 टी एम टी पी ए है। मदनपुर खादर में भरण संयंत्र एकल पारी आधार पर प्रचालनरत है जिसकी फिलहाल क्षमता 25 टी एम टी पी ए है। संयंत्र के स्थीरीकरण के उपरांत यह दो पारियों में 44 टी एम टी पी ए की पूर्ण क्षमता से प्रचालन करेगा।

(ग) जी, नहीं। तथापि, मदनपुर खादर में भरण संयंत्र की क्षमता को 44 टी एम टी पी ए तक बढ़ाने की योजना है। क्षमता को बढ़ाने का कार्य पूरा होने पर संयंत्र की क्षमता 88 टी एम टी पी ए हो जाएगी।

(घ) मदनपुर खादर में भरण संयंत्र का क्षमता विस्तार इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा किया जाएगा।

(ङ) से (छ). जी, हां। दिल्ली में एल पी जी की पर्याप्त आपूर्ति की जाएगी। मदनपुर खादर में भरण संयंत्र के क्षमता विस्तार पर 9.65 करोड़ रुपये की लागत और 1996-97 की अंतिम तिमाही में इसको चालू कर दिए जाने की आशा है।

सामाजिक आर्थिक विकास

129. **श्री तारीक अनवर** :

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार राज्य अर्थात राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार सामाजिक आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण किया है;

(ग) यदि हां, तो उनके विकास को बढ़ाने के लिए कौन-सी विशिष्ट योजना बनाई गई है; और

(घ) ऐसी योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). ये चार राज्य सामाजिक-आर्थिक विकास के अनेक पहलुओं में आर्थिक और सामाजिक आधार संरचना के ऐतिहासिक रुप से असमान विकास औद्योगिक और उद्यमशीलता विकास की कमी जैसे विभिन्न कारणों की वजह से पिछड़ गए हैं। बहरहाल, सामाजिक आर्थिक विकास के विभिन्न सूचक चार राज्यों अर्थात राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए राष्ट्रीय औसत से एक समान रुप से नीचे नहीं है। उदाहरण के लिए दो प्रमुख सूचकों अर्थात गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत और साक्षरता स्तर पर आंकड़े निम्नानुसार है :

क्र.सं.	राज्य	गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण जनसंख्या (% में) (1987-88 संशोधित)	साक्षरता स्तर (% में)
1.	बिहार	35.86	38.48
2.	हिमाचल प्रदेश	22.03	63.86
3.	राजस्थान	7.71	38.55
4.	उत्तर प्रदेश	31.79	41.60
	राष्ट्रीय औसत	28.37	52.21

किसी राज्य के विकास का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। नौंवी योजना तैयार करने के लिए राज्यों के विकास निष्पादन का पूरे तौर पर विश्लेषण किया जाएगा। केन्द्र सरकार पिछड़े राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता की तुलनात्मक रुप से अधिक राशि के आबंटन द्वारा तथा विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.एस.) के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता देती है।

त्वरित जवाहर रोजगार योजना

130. **श्री बादल चौधरी :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओबेसी :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्वरित जवाहर रोजगार योजना (आई.जे.आर.वाई.) के अन्तर्गत अनेक मामलों में प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण निर्धारित राशि का भुगतान रोक लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके लिए धन आबंटन पर रोक लगा दी गई है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने धन का आबंटन किया गया तथा कितनी राशि जारी की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) गहन जवाहर रोजगार योजना को बन्द कर दिया गया है तथा इसका 1.1.96 से सुनिश्चित रोजगार योजना के साथ विलय कर दिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ऋण

131. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस.वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). विश्व बैंक समय-समय पर विद्युत क्षेत्र के कार्यकरण में सुधार करने संबंधी विभिन्न उपाय सुझाता रहा है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत बोर्डों की व्यवहार्यता, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रचालन का वाणिज्यिकरण, स्वतंत्र नियामकों की स्थापना इत्यादि शामिल है। सरकार इन मुद्दों पर चिंतित रही है तथा इस संबंध में विभिन्न संबद्ध इकाईयों को सहायता प्रदान करती रही है।

[हिन्दी]

राजस्थान में विद्युत उत्पादन

132. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत संयंत्रों की क्या क्षमता है;

(ख) राजस्थान में इस समय कुल विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान में विद्युत की मांग तथा आपूर्ति का कोई आकलन कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) : राज्य तथा केन्द्रीय विद्युत ग्रिड से राजस्थान को किस किस दर पर विद्युत की आपूर्ति की जा रही है; और

(च) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने तथा राजस्थान विद्युत बोर्ड के घाटे पर नियंत्रण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता निम्नवत है :

राज्य क्षेत्र		
	ताप	853.0 मेगावाट
	जल	159.17 मेगावाट
संयुक्त उद्यम		
	चम्बल	193.0 मेगावाट
	सतपुड़ा	125.0 मेगावाट
केन्द्रीय क्षेत्र (राजस्थान का हिस्सा)		
	ताप	719.5 मेगावाट
*	न्यूक्लीय	342.0 मेगावाट
	जल-विद्युत	40.2 मेगावाट

* जिसमें आरएपीपी भी शामिल है जो इस समय बंद पड़ी है।

(ख) अप्रैल-अक्टूबर, 96 की अवधि के दौरान विद्युत की आपूर्ति 10,375 मिलियन यूनिट थी जिसमें से 5390 मिलियन यूनिट राजस्थान में उत्पादित की गई थी तथा 4985 मिलियन यूनिट केन्द्र के स्वामित्व में विद्युत परियोजनाओं से आपूर्ति की गई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिम क्षेत्र से आपूर्ति की गई विद्युत भी शामिल है।

(ग) और (घ). वर्ष 1997-2002 की अवधि के दौरान ऊर्जा आवश्यकता तथा व्यस्ततम-कालीन मांग को शामिल करने वाला एक मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 15वीं विद्युत शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट में किया गया है। राजस्थान हेतु ब्यौरा इस प्रकार है :-

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.)	23473	25491	27543	29655	31881
व्यस्ततमकालीन मांग (मे.वा.)	4128	4491	4850	5218	5606

(ङ) राजस्थान में 1994-95 में आपूर्ति और वसूली की औसत लागत क्रमशः 186 पैसे प्रति कि.वा. और 143 पैसे प्रति कि.वा. थी। एनटीपीसी विद्युत केन्द्रों से राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को आपूर्ति की गई विद्युत की औसत लागत 80 पैसे प्रति कि.वा. से 162 पैसे प्रति कि.वा. के भीतर बैठती है। यद्यपि एनएचपीसी विद्युत केन्द्रों से आरएसईबी को की गई आपूर्ति की औसत दरें 56 से 50 पैसे प्रति कि. वा. के भीतर हैं।

(च) राजस्थान में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में शामिल हैं :-

(1) विद्यमान क्षमता से उत्पादन को अधिकतम बनाना (2) आर एंड एम कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना (3) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना (4) प्रभावी भार प्रबंधन तथा ऊर्जा संरक्षण उपाय करना (5) पड़ौसी राज्यों/प्रणाली से सहायता प्राप्त करना इत्यादि।

तेल की खोज

133. श्री एन.जे. राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान तेल क्षेत्रों में तेल की व्यापक खोज के लिए कुछ विदेशी निजी कंपनियों के साथ कोई सहयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में कुछ विदेशी निजी कंपनियों से भी सहायता ली गई है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिए भारतीय कंपनियों सहित विदेशी कंपनी द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(घ) वर्तमान में उन स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां विदेशी/भारतीय कंपनियों के सहयोग से तेल की व्यापक खोज के कार्य किए जा रहे हैं; और

(ङ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर बालू) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्वेषण बोली चक्रों के अंतर्गत सरकार ने भारतीय और विदेशी दोनों निजी कंपनियों के साथ निम्नलिखित संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें ओ एन जी सी ने या तो भागीदारी हित लिया है अथवा लेने का विकल्प दिया है :-

(क) **अन्वेषण**

वर्ष चक्र	ब्लाक	भागीदारी हित सहित परिसंघ	
1	2	3	
1994-95	सी वाई-ओ एस-90/1	बाल्को एनर्जी इंक. यू एस ए	(18%)
(चौथा चक्र)		एच ओ ई सी, भारत	(21%)
		टाटा पेट्रोडाइन इंक., भारत	(21%)
		ओएनजीसी, भारत	(40%)

1	2	3	
1995-96 (चौथा चक्र)	आर जे-ओ एन-90/1	शैल इंडिया प्रोडक्शन डेवलप्मैंट बी वी नेदरलैंडस	(100%)
1996-97 (पांचवां चक्र)	बी बी-ओ एस/5	एस्सार आयल लि. भारत	(100%)

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है ओ एन जी सी का एक ब्लाक में भागीदारी हित है। तथापि अन्य दो ब्लाकों में से प्रत्येक में खोज के बाद, यदि कोई हो, ओ एन जी सी ने 30 प्रतिशत भागीदारी हित लेने का विकल्प रखा है। ब्लाक सी वाई-ओ एस-90/1 में 30.4.1996 की स्थिति के अनुसार परिसंघ द्वारा किया गया कुल व्यय 1,367,370 अमरीकी डालर है, जिसमें से ओ एन जी सी का हिस्सा 448950 अमेरीकी डालर है।

उपरोक्त शेष दो संविदाओं के अंतर्गत ओ एन जी सी ने भागीदारी हित लेने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है और इसीलिए ओ एन जी सी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है। तथापि आर जे-ओ एन-90/1 संविदा के अंतर्गत सितम्बर, 1996 तक शैल ने कुल 4,648 मिलियन अमेरीकी डालर का व्यय किया है।

(घ) अन्वेषण बोली के चौथे चक्र से आरंभ करके अब तक नौ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

ब्लाक	शामिल राज्य
जी एन-ओ एन-90/3	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश
के जी-ओ एस-90/1	कृष्णा गोदावरी अपतट
आर जे-ओ एन-90/1	राजस्थान
सी वाई-ओ एन-90/1	कावेरी अपतट
आर जे-ओ एन-90/4	राजस्थान
आर जे-ओ एन-90/5	राजस्थान
बी बी-ओ एस/5	बम्बई अपतट
सी वाई-ओ एस/2	कावेरी अपतट
सी बी-ओ एस/1	कैम्बे अपतट

(ङ) इन संविदाओं के अंतर्गत अब तक किए गए अन्वेषण क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :-

के जी-ओ एस-90/1 (कृष्णा-गोदावरी बेसिन पूर्वी अपतट	पुन: संक्रिया के 546 एल के एम भूकंपीय आकंड़े 518 भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन, संक्रिया और निर्वचन
जी एन-ओ एन-90/3 (प्रानहिता-गोदावरी बेसिन	128 एल के एम भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन और संक्रिया
सी वाई-ओ ए-90/1 (कावेरी बेसिन पूर्वी अपतट)	पी वाई-3 क्षेत्र के वर्तमान आंकड़ों का मूल्यांकन पूरा हो गया है तथा विकास चरण आरंभ हो गया है। प्रथम विकास कूप का 3668 मीटर की गहराई तक वेधन किया जा चुका है।
आर जे-ओ एन-90/1 (राजस्थान बेसिन)	824 एल के एम भूकंपीय आंकड़े और 2395.6 कि.मी. गुरूत्वाकर्षण आंकड़े प्राप्त कर लिए गए हैं।

बी बी-ओ एस/5, आर जे-ओ एन-90/4, आर जे-ओ एन-90/5, सी वाई-ओ एस/2 और सी बी-ओ एस/1 ब्लाकों के लिए संविदाओं पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं तथा कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कच्चे तेल का उत्पादन

134. **श्री भक्त चरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्ति में कमी आने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्ति में कितनी कमी होने की संभावना है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). 8वीं योजना के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन, योजना चालू होने के समय के मूल लक्ष्य 197.31 एम एम टी के तुलना में लगभग 155 एम एम टी होने का अनुमान है। हालांकि बाद में 1993 के मध्य में यह लक्ष्य संशोधित होकर 169.45 एम एम टी हो गया था। उत्पादन में कमी के कारण निम्न हैं :-

(1) बी आर पी सी के प्रमुख क्षेत्रों से, विशेषकर बम्बई हाई तथा नीलम से, भंडार अप्रत्याशित आचरण के कारण, जोकि पूर्व उद्घोषणाओं के अनुसार नहीं था, प्रत्याशित उत्पादन में कमी।

(2) तेल क्षेत्रों का स्वाभाविक गिरते चरण में प्रवेश।

(3) संयुक्त उद्यम परियोजनाओं से कम उत्पादन।

(4) उत्तर पूर्व क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं के कारण प्रचालन अवस्थाओं से संबंधित कठिनाइयां।

(5) नागालैंड में कामबन्दी।

(6) पश्चिम व पूर्वी क्षेत्र में जल्दी-जल्दी विद्युत बन्दी ने कृत्रिम लिफ्ट प्रचालनों को प्रभावित किया।

(घ) कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए विविध कदम निम्न प्रकार हैं :-

(1) नए क्षेत्रों का विकास तथा विद्यमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास।

(2) वर्द्धित तेल निकासी योजनाओं (ई ओ आर) का क्रियान्वयन तथा प्रायोगिक स्तर से पूर्ण स्तर क्षेत्र अनुप्रयोग के लिए कुछ वर्द्धित तेल निकासी योजनाओं का विस्तार करना।

(3) वर्द्धित पहुंच वेधन, क्षैतिज तथा नालिका छिद्र वेधन जैसी कुछ विशिष्ट प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन करना।

(4) जहां आवश्यक समझा जाए वहां अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करना।

(5) वर्क ओवर प्रचालनों, दबाव रख-रखाव तरीकों के जरिए भण्डार दशा का रख-रखाव करना।

(6) तेल अन्वेषण तथा विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत निजी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

(7) बेहतर भंडार बनाने के लिए तथा क्षेत्रों का 3 डी भूकंपीय सर्वेक्षण करना।

(8) कृत्रिम लिफ्ट प्रचालनों का प्रयोग व इष्टतमीकरण।

(9) कूपों का उत्प्रेरण।

आवास परियोजनाओं के लिए धनराशि

135. **डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में आवास परियोजनाओं के लिए कोई दीर्घावधिक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो 1996-2001 के दौरान कितने एककों की स्थापना किए जाने की संभावना है और इसके लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी; और

(ग) वर्ष 1990-95 के दौरान आवास क्षेत्र में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) संसद द्वारा अगस्त, 1994 में पारित राष्ट्रीय आवास नीति का मूल उद्देश्य सभी व्यक्तियों, खास तौर से बेघर लोगों, अपर्याप्त आवास वाले व्यक्तियों और कमजोर वर्गों को विकसित भूमि, भवन निर्माण सामग्री, वित्त और प्रौद्योगिकी मुहैया कराना है ताकि वे अपने लिए सस्ते मकान खरीद सकें।

(ख) चूंकि आवास राज्य का विषय है और आवास सेक्टर में अधिकतर कार्य निजी व स्वयं सेवा सेक्टर के माध्यम से कराये जाते हैं, इसलिए उन रिहायशी मकानों की संख्या बताना संभव नहीं है जिनका निर्माण 1996-2000 के दौरान किया जायेगा।

तथापि, अनुमान लगाया गया है कि (क) शहरी क्षेत्रों में 7.71 मिलियन रिहायशी मकानों का बैकलॉग है।

(ख) आगामी पांच वर्षों में मांग में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिए 8.87 मिलियन नये रिहायशी मकानों की जरूरत होगी, तथा

(ग) शहरी क्षेत्रों में 0.32 मिलियन कच्चे रिहायशी मकानों का सुधार करना होगा।

उपर्युक्त के लिए 1,20,000 करोड़ रु. से अधिक राशि की जरूरत होगी।

(ग) शहरी तथा ग्रामीण आवास के लिए 6377 करोड़ रुपये का 8वीं योजना परिव्यय की तुलना में केन्द्रीय तथा राज्य दोनों सेक्टरों की आवास योजनाओं पर मार्च, 1995 तक वास्तविक व्यय 3074 करोड़ रुपये हुआ है। तथापि, आवास सेक्टर में निजी निवेश की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण/अद्यतन बनाना

136. **श्री राम सागर** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने और उन्हें अद्यतन करने हेतु कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी, हां।

भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1150.085 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई।

22 जिलों में भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है और इन परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 394 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई।

भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के तहत प्रत्येक जिले को दी गई निधियों की जिला-वार रिलीज कोष्ठक में दी गई है।

(रुपये लाख में)

1.	देवरिया	25.00
2.	इटावा	30.00
3.	आगरा	30.00
4.	मैनपुरी	25.00

5.	मुरादाबाद	30.00
6.	इलाहाबाद	15.00
7.	अलीगढ़	15.00
8.	बरेली	15.00
9.	गोंडा	15.00
10.	हरदोई	15.00
11.	नैनीताल	14.00
12.	गाजियाबाद	15.00
13.	उन्नाव	15.00
14.	वाराणसी	15.00
15.	बाराबंकी	15.00
16.	झांसी	15.00
17.	कानपुर देहात	15.00
18.	फैजाबाद	15.00
19.	गोरखपुर	15.00
20.	लखनऊ	15.00
21.	मेरठ	15.00
22.	गढ़वाल	15.00

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा गवेषणा

137. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में बढ़ते हुए उग्रवाद से तेल और प्राकृतिक गैस निगम की गवेषणा गतिविधियां काफी हद तक प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) त्रिपुरा में गवेषणा को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). जी, हां। आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ), नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी), ट्राइबल लिबरेशन आर्गनाइजेशन (टी एल ओ) आदि जैसे विभिन्न उग्रवादी दलों की आतंकवादी गतिविधियों से ओ एन जी सी लिमिटेड की त्रिपुरा परियोजना के क्रियाकलाप बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

(ग) त्रिपुरा में तेल और गैस के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए 3,000 वर्ग कि.मी. वाला एक ब्लाक (एए-ओ एन-3) एक निजी/बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रदान किया गया है। ओ एन जी सी के पी ई एल क्षेत्रों का संयुक्त रुप से अन्वेषण और दोहन करने के लिए ओ एन जी सी लि. ने अमरीका की यूनोकेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम

138. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम अपने कर्मचारियों से 16 नवम्बर, 1995 से एफ.पी.एफ. धनराशि की कटौती कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कटौती करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम एफ.पी.एफ. में कटौती की धनराशि को 16 नवम्बर, 1995 से अपने पास रख सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो आदेश का उल्लंघन करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) ओ एन जी सी लिमिटेड ने योजना के खंड 39 के तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की सीमा में छूट के लिए पहले ही कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों को आवेदन कर दिया है।

(ग) और (घ). ओ एन जी सी लिमिटेड ने अपने खातों में परिवार भविष्य निधि की कोई राशि नहीं रखी है।

विद्युत परियोजनाएं

139. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :
प्रो. पी.जे. कुरियन :
श्री पी.सी. थामस :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई विद्युत परियोजनाएं केन्द्र सरकार के समक्ष लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा केरल की कितनी विद्युत परियोजनाएं मंजूर की गई हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). केरल सरकार द्वारा अनुशंसित पूयनकुट्टी जल विद्युत परियोजना (2x120 मे.वा.) को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संबंधी स्वीकृति अभी तक प्रदान नहीं की गई है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान दो विद्युत परियोजनाओं नामशः ब्रहमपुरम स्थित (5x20 मे.वा.) डीजी सैट और कोजीकोड में स्थित (6x20 मे.वा.) डी.जी. सैट को निवेश संबंधी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

रसोई गैस कनैक्शन

140. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों को रसोई गैस कोटा के अंतर्गत दिए गए कूपनों की खुले बाजार में पैसा लेकर अवैध रुप से बिक्री की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संसद सदस्यों को रसोई गैस कोटा के अंतर्गत दिए गए कूपनों की अवैध बिक्री रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) सरकार को संसद सदस्यों के एल पी जी कोटा कूपनों की किसी गैर कानूनी बिक्री का ज्ञान नहीं है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

कोठागुंडम ताप विद्युत परियोजना

141. डा. एम. जगन्नाथ :
श्री आय्यन्ना पटरूधु :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कोठागुंडम ताप विद्युत केन्द्र में फेज पांच में कार्य के लिए धनराशि जारी करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एपीएसईबी) ने कोठागुंडम ताप विद्युत केन्द्र का चरण-5 (2×250 मे.वा.) (यूनिट 9 एवं 10 को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए की आवधिक ऋण सहायता हेतु विद्युत वित्त निगम से अनुरोध किया है।

(ग) पीएफसी ने मार्च, 1997 तक समकालित की जाने वाली नियोजित यूनिट-9 का शेष कार्य पूरा करने के संबंध में अगस्त, 1996 में एपीएसईबी को 130 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है।

बेघर लोगों को आवासीय इकाइयाँ

142. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का विश्व आवास दिवस पर नई दिल्ली में समारोह को संबोधित करते हुए इस आशय के वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छे आवास का अधिकार एक मूलभूत अधिकार होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया है तथा प्रत्येक बेघर परिवार को शहरी क्षेत्रों में एक आवासीय इकाई प्रदान करने हेतु कुल कितनी आवासीय इकाईयों का आकलन किया गया है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में तथा इस समय शहरी क्षेत्रों में अनुमानतः कितने व्यक्ति बेघर हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार राष्ट्रीय आवास नीति में उल्लिखित कई ठोस उपायों के द्वारा समुचित जीवन स्तर के अधिकार घटक के रुप में समुचित आवास के अधिकार को उत्तरोत्तर तर्कसंगत बनाने के प्रति वचनबद्ध है।

1991 के जन गणना आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 11-3-1991 तक 8.23 मिलियन रिहायसी मकानों की कमी है। यह आकलन किया गया है कि 1.3.1996 तक 7.71 मिलियन आवासीय मकानों की कमी हो गई है। वर्ष 2002 तक संपूर्ण आवासीय कमी को पूरा करने के लिए लगभग 16.90 मिलियन मकान निर्मित किये जाने होंगे।

इंडियन रेयर अर्थ

143. श्री सौम्य रंजन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन रेयर अर्थ (आई.आर.ई.) किन-किन राज्यों में अपने संयंत्रों को चला रहा है और ये संयंत्र कहाँ-कहाँ स्थित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन संयंत्रों का उत्पादन कितना रहा;

(ग) क्या इन संयंत्रों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड के तमिलनाडु में मानवलाकुरूची, केरल में चवारा और आल्वे तथा उड़ीसा में छत्तरपुर में संयंत्र हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न में दिया गया है।

(ग) और (घ). उड़ीसा में छत्तरपुर में खनिज पृथक्करण और संश्लोषित स्टाइल संयंत्रों को छोड़कर सभी संयंत्रों में संपूर्ण क्षमता उपयोग हासिल कर लिया गया है। छत्तरपुर स्थित संश्लोषित स्टाइल संयंत्र में अभिकल्पित क्षमता उपयोग को प्रौद्योगिकीय कारणों की वजह से हासिल करना संभव नहीं हो सका। छत्तरपुर स्थित खनिज पृथक्करण संयंत्र में होने वाले उत्पादन को संश्लेषित स्टाइल संयत्र के विफल हो जाने और छत्तरपुर में घटिया ग्रेड के खनिज की कम विपणनता की वजह से घटाया जा रहा है। आल्वे स्थित विरल मृदा संयंत्र में वर्ष 1995-96 के लिए मोनाजाइट के संसाधन को थोरियम सान्द्रों से संबंधित समस्याओं की वजह से कम करना पड़ा।

विवरण

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के विभिन्न संयत्रों के मुख्य उत्पादों का उत्पादन और क्षमता उपयोग

वर्ष	उत्पादन	निर्धारित क्षमता (मीटरी टन)	वास्तविक उत्पादन (मीटरी टन)	क्षमता उपयोग प्रतिशत
खनिज पृथक्करण संयंत्र, चवारा				
1993-94	इल्मेनाइट	78000	140194	180
1994-95	इल्मेनाइट	78000	136266	175
1995-96	इल्मेनाइट	78000	113098	145
खनिज पृथक्करण संयंत्र, मानवलाकुरूचि				
1993-94	इल्मेनाइट	64400	67283	104
1994-95	इल्मेनाइट	64400	68284	106
1995-96	इल्मेनाइट	64400	70501	109
खनिज पृथक्करण संयंत्र, (ऑसकॉम) छत्तरपुर				
1993-94	इल्मेनाइट	22000	51031	23
1994-95	इल्मेनाइट	22000	73522	33
1995-96	इल्मेनाइट	22000	102715	47
संश्लेषित स्टाइल संयत्र, (ऑसकॉम) छत्तरपुर				
1993-94	संश्लेषित स्टाल	100000	2518	3
1994-95	संश्लेषित स्टाल	100000	5010	5
1995-96	संश्लेषित स्टाल	100000	6318	6
विरल मृदा संयंत्र, आल्वे				
1993-94	मोनाजाइट संसाधन	4200	3716	88
1994-95	मोनाजाइट संसाधन	4200	3932	94
1995-96	मोनाजाइट संसाधन	4200	3228	77

टिप्पणी : संयंत्र की क्षमता इल्मेनाइट स्टाइल, मोनाजाइट संसाधन, जैसा भी मामला हो, के संदर्भ में निर्धारित की जाती है।

समूह-क-सेवाओं हेतु भर्ती

144. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से समूह-क-संगठित सेवाओं के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा और संयुक्त अभियांत्रिकी सेवाएं परीक्षा के माध्यम से की जा रही है और क्या सेवा पर्यन्त उनकी वरिष्ठता बनाए रखी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं; और

(ग) समूह-क-संगठित सेवाओं में वरिष्ठता बनाए रखने हेतु क्या दिशानिर्देश बनाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग). वर्तमान में विशिष्ट समूह "क" संगठित सेवाओं में भर्ती सिविल सेवा परीक्षा तथा सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती हैं। योग्यता सूची में उनके स्थान तथा उनके द्वारा चुने गये विकल्प के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को विभिन्न समूह "क" संगठित सेवाओं में आबंटित किया जाता है। तथापि, चयनित उम्मीदवारों की, प्रारंभिक भर्ती के समय योग्यता स्थिति के अनुसार उनके सेवा पर्यन्त वरिष्ठता सदैव नहीं रह पाती। ऐसा इस लिए होता है क्योंकि विभिन्न संगठित सेवाओं के सेवा नियमों में उस सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता बनाये रखने से संबंधित प्रावधान है। सामान्यतया ऐसा प्रावधान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस विषय पर जारी समान्य अनुदेशों के अनुरूप उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए होता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती वाले पद की वरिष्ठता उसकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय दर्शाए गए योग्यता-क्रम द्वारा निर्धारित की जाती है तथा पदोन्नति पर उसकी वरिष्ठता उस योग्यता क्रम के अनुसार पुनः नियत की जाती है जो विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ऐसी प्रोन्नति के लिए संस्तुत की गई है। किसी विशेष समूह "क" सेवा को आवंटित अधिकारी की किसी विशेष पद पर वरिष्ठता उसी सेवा में उसी पद पर अन्य अधिकारियों के संदर्भ में निर्धारित की जाती है और सिविल सेवा परीक्षा/सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा में उनकी प्रारंभिक भर्ती के समय योग्यता-क्रम के अनुसार विभिन्न अन्य सेवाओं के अधिकारियों के संदर्भ में उसकी वरिष्ठता को बनाए रखना न ही अनिवार्य है और न ही संभव है, क्योंकि प्रत्येक संगठित सेवा में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं और प्रत्येक संगठित सेवा के अधिकारी अपने संगठित सेवा पर लागू सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं।

बिहार की शहरी विकास परियोजनाएं

145. **श्री तारीक अनवर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास गत तीन वर्षों से बिहार की लंबित पड़ी शहरी विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) पांच लाख तक की आबादी वाले कस्बों और शहरों में शहरी विकास परियोजनाओं को केन्द्र प्रवर्तित छोटे और मझौले कस्बों के एकीकृत विकास की योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) के तहत सहायता दी जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान बिहार की शहरी विकास की कोई भी परियोजनाएं जो आई.डी.एस.एम.टी. दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं, भारत सरकार के पास लंबित नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे तेल के तेल शोधक कारखाने

146. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की कुछ तेल कंपनियों को कच्चे तेल के शोधक कारखानों के लिए लाइसेंस दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन तेल कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं; और

(ग) इन तेल कंपनियों द्वारा कच्चे तेल शोधक कारखानों के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). वर्तमान में प्रचालनरत रिफाइनरियों के अतिरिक्त सरकार ने सार्वजनिक/संयुक्त उद्यम में नई रिफाइनरियां लगाने के लिए निम्नानुसार आशय पत्र जारी किए हैं :-

कंपनी का नाम	रिफाइनरी परियोजना	क्षमता (एम एम टी पी ए)
1	2	3
आई ओ सी	पानीपत रिफाइनरी	6.00
आई ओ सी	पूर्वी तट संयुक्त उद्यम रिफाइनरी-उड़ीसा	6.00

1	2	3
एच पी सी एल	पश्चिमी तट महाराष्ट्र में संयुक्त उद्यम रिफाइनरी	6.00
एच पी सी एल	पंजाब में संयुक्त उद्यम रिफाइनरी	6.00
बी पी सी एल	उत्तर प्रदेश में संयुक्त उद्यम रिफाइनरी	7.00
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	नुमालीगढ़ (असम) में संयुक्त उद्यम रिफाइनरी	3.00
एच पी सी एल	एम आर पी एल रिफाइनरी (कर्नाटक में) संयुक्त उद्यम	9.00
बी पी सी एल	बीना (मध्य प्रदेश) में संयुक्त उद्यम रिफाइनरी	6.00

कच्चे तेल का आयात

147. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम ने आयातित कच्चे तेल पर बढ़ती हुई निर्भरता को कम करने के लिए अपने प्रयास के अंतर्गत एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम तथा भारतीय तेल निगम ने नए भंडारों का पता लगाने तथा अपने उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू होने की संभावना है तथा उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर 1997 में कार्य शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां। कच्चें तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए ओ एन जी सी द्वारा अनेक योजनाएं तैयार की गई हैं। ये निम्नवत हैं :-

(1) नई परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन और विद्यमान कूपों का और विकास।

(2) ई ओ आर योजनाओं का कार्यान्वयन और कुछ ई ओ आर योजनाओं का प्रायोगिक स्तर से पूर्ण स्तरीय क्षेत्र कार्यान्वयन के रुप में संवर्धन।

(3) ई आर डी, "साइड्ट्रेक", क्षैतिज और नालिका छिद्र वेधन जैसी विशिष्टतापूर्ण प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन।

(4) जहां आवश्यक हो अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना।

(ख) ओ एन जी सी और ओ आई एल की योजना है कि विंध्य और गोंडवाना के मध्य भारत के बेसिन, उत्तर पूर्व, गहरे समुद्र के अपतटीय क्षेत्रों, ब्रहमपुत्र के उत्तरी किनारे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अग्रवर्ती क्षेत्रों में अपने प्रयासों का विस्तार करने के अतिरिक्त पहले से सिद्ध हुए क्षेत्रों में अपने अन्वेषण/उत्पादन क्रियाकलापों को गहन किया जाए।

(ग) और (घ). अन्वेषण और उत्पादन को तेज करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :-

(1) अन्वेषण बोली चक्रों के अंतर्गत रकबों का प्रस्ताव करना। अब तक 8 अन्वेषण बोली दौर और एक संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है।

(2) लघु और मध्यमकारीय तेल/गैस क्षेत्रों को विकास हेतु प्रस्तावित करना।

(3) 1994 में त्वरित अन्वेषण कार्यक्रम का आरंभ किया जाना।

(4) 1995-96 के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत तेल उत्पादन परियोजनाएं/योजनाएं, जो फिलहाल कार्यान्वयनाधीन है, निम्नवत हैं :-

(1) बी-119/121 ढांचे का विकास।

(2) पश्चिमी अपतट में बी-173ए, बी-55 और हीरा चरण-3 का विकास।

(3) बलोल और संथाल में तत्स्थान दहन् प्रौद्योगिकी को लागू किया जाना।

(5) 1997 में चलाई जा सकने वाली योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

(1) बम्बई हाई नार्थ-II का अतिरिक्त विकास।

(2) बसीन क्षेत्र में बूस्टर कम्प्रैसर की स्थापना।

केन्द्रीय भण्डार में प्राप्त पत्र

148. श्री राम सागर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भण्डार तथा सरकार को संसद सदस्यों से वर्ष 1996 में आज की तारीख तक कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उन पर क्या कार्रवाई हुई है; और

(ग) लंबित पत्र कब तक निपटा दिए जाएंगे?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) वर्ष 1996 में अब तक केन्द्रीय भण्डार को संसद सदस्यों से 6 पत्र तथा सरकार को केन्द्रीय भण्डार के संबंध में 9 पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) 5 मामलों में संसद सदस्यों को अंतिम जवाब भेज दिए गए हैं।

(ग) संसद सदस्यों से प्राप्त शेष 10 पत्र जो या तो हाल ही में प्राप्त हुए हैं या फिर जिनमें विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है के उत्तर शीघ्र ही भेज दिए जाएंगे।

रसोई गैस की कमी

149. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री एन.एन. कृष्णदास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में रसोई गैस की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रसोई गैस कनेक्शन हेतु प्रतीक्षारत आवेदकों की राज्य-वार संख्या का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). देश में एल पी जी के ऐसे मौजूदा उपभोक्ताओं की मांग, जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास नामांकित हैं, कमोबेश पूर्णतः पूरी की जा रही है। उत्पन्न हो सकने वाले अस्थायी "बैकलांग" को विस्तारित घंटों में तथा छुट्टी के दिनों में भराई संयंत्रों के प्रचालन द्वारा तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित भराई संयंत्रों से आपूर्ति की व्यवस्था करके एल पी जी की आपूर्ति बढ़ाकर निपटाया जा सकता है।

(ग) और (घ). एल पी जी कनेक्शनों का पंजीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। दिनांक 1.10.96 को एल पी जी कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 136.22 लाख व्यक्ति हैं। प्रतीक्षा सूची बद्ध व्यक्तियों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

1.10.96 को राज्य वार प्रतीक्षा सूची

(आंकड़े लाख में)

राज्य	
आंध्र प्रदेश	10.23
अरुणाचल प्रदेश	0.17
असम	1.70
बिहार	3.94
गोवा	0.92
गुजरात	8.34
हरियाणा	4.96
हिमाचल प्रदेश	0.98
जम्मू और कश्मीर	1.12
कर्नाटक	7.05
केरल	6.56
मध्य प्रदेश	6.96
महाराष्ट्र	18.19
मणिपुर	0.06
मेघालय	0.06
मिजोरम	0.08
नागालैंड	0.05
उड़ीसा	1.96
पंजाब	7.29
राजस्थान	7.26
सिक्किम	0.01
तमिलनाडु	14.43
त्रिपुरा	0.35
उत्तर प्रदेश	14.53
पश्चिम बंगाल	9.86
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.11
चंडीगढ़	0.91
दादरा व नगर हवेली	0.02
दिल्ली	7.59
दमन एवं दीव	0.05
लक्षद्वीप	0.00
पांडिचेरी	0.47

ओमान गैस परियोजना

150. श्री माधव राव सिंधिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने ओमान से समुद्र में बिछी पाइप लाइन से गैस ऊंची दर पर खरीदने के औचित्य पर प्रश्न-चिन्ह लगाया है;

(ख) क्या यह सच है कि ओमानी गैस कंपनी की इस गैस पर लागत मात्र 90 सैंट्स/एम एम बी टी यू आती है और इस गैस का खरीददार भारत के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था; और

(ग) क्या हाल ही में गठित संयुक्त कार्य दल इस पहलु का भी अध्ययन करेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) ओमान-भारत परियोजना के अलावा, ओमान एल एन जी के निर्यात के लिए भी परियोजना लगा रहा है।

(ग) संयुक्त कार्य दल व्यवहार्यता अध्ययन को तीव्र करने के तरीकों का पता लगाएगा तथा परियोजना की वित्त व्यवस्था के लिए एजेंसियों का भी पता लगाएगा।

मिट्टी के तेल का आयात

151. श्री सौम्य रंजन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में मिट्टी के तेल का कितना उत्पादन हुआ और कितना आयात किया गया तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल का उत्पादन और आयात होने की संभावना है;

(ख) देश में मिट्टी के तेल का उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उद्योग द्वारा उत्पादित और आयातित मिट्टी के तेल की मात्रा नीचे दी गई है :

(आंकड़े टी एम टी में)

वर्ष	उत्पादन	आयात
1993-94	5266	3946
1994-95	5261	4240
1995-96	5253	5001

उपर्युक्त के अलावा पिछले तीन वर्षों के दौरान समानान्तर विपणनकर्ताओं द्वारा किया गया मिट्टी के तेल का आयात नीचे दर्शाया गया है :-

(आंकड़े टी एम टी में)

वर्ष	आयात
1993-94	103
1994-95	603
1995-96	615

वर्ष 1996-97 के लिए मिट्टी के तेल का आयात चालू वर्ष में मिट्टी के तेल की कुल खपत और स्वदेशी उत्पाद पर निर्भर होगा।

(ख) सरकार ने देश में शोधन क्षमता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न विद्यमान रिफाइनरियों के विस्तार और संयुक्त क्षेत्र व निजी क्षेत्र में नई रिफाइनरियों की स्थापना करने की अनुमति दे दी है।

(ग) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को किया गया आबंटन क्रमशः कुल 8611 टी एम टी, 8838 टी एम टी और 9160 टी एम टी है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कोष योजना हेतु दिशा-निर्देश

152. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना के दिशा निर्देशक सिद्धान्तों के अंतर्गत निर्वाचित लोकसभा सदस्यों तथा राज्य सभा सदस्यों द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कोष में से देश के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस प्रतिबंधों के अनुवर्तन के रुप में शहरी क्षेत्रों में किए गए कार्य सम्पूर्ण देश में रूक गये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित किन-किन क्षेत्रों में कार्य रूक गये हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि आगरा शहर के क्षेत्र में जिलाधीश द्वारा शिकायत करने पर कार्य रूक गया है जबकि अन्य शहरी क्षेत्रों में कार्य चल रहे हैं;

(च) यदि हां, तो क्या संसद सदस्यों द्वारा शिकायत किए जाने पर यह भेदभाव खत्म करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित दिशा-निर्देशों में उन कार्यों की एक सूची है जो इस योजना के अंतर्गत करवाए जा सकते हैं। उन विकासात्मक कार्यों को जो सूची के अनुसार हैं, उन्हें रोके रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) से (छ). आगरा के जिलाधीश ने कोई शिकायत नहीं की थी। तथापि, मुख्य विकास अधिकारी, आगरा ने स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करवाया जा सकता है। स्पष्ट किया गया था कि शहरी क्षेत्रों में सड़क संबंधी कार्य नगरों/शहरों के झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्रों में मात्र पैदल पथ बनवाए जाने तक सीमित है। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोंपड़ी वाले इलाकों के अलावा अन्यत्र सड़कों के निर्माण की अनुमति नहीं है। मुख्य विकास अधिकारी आगरा को तदनुसार आगे कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबद्ध दिशा निर्देश समान रुप से सारे देश में लागू होते हैं। जहां कहीं भी इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का कोई खास मामला इस विभाग की जानकारी में आता है तो संबंधित जिला प्रशासन राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठानें के वास्ते उचित निर्देश दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

समेकित जल योजना

153. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : **क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समेकित जल योजना बनाने हेतु एक दस सदस्यीय आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) आयोग द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट देने की संभावना है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) जल संसाधन मंत्रालय ने एकीकृत जल संसाधन विकास कार्यक्रम हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का अभी हाल ही में गठन किया है। इसके लक्ष्य हैं : विभिन्न प्रयोजनों जैसे पीने का पानी, सिंचाई, विद्युत निर्माण, दिक चालन, औद्योगिक एवं अन्य प्रयोगों हेतु उपलब्ध पानी के मितव्यतितापूर्ण प्रयोग से होने वाले लाभों को इष्टतम बनाना। आयोग के निर्देश की शर्तें निम्न प्रकार हैं :

(क) पेयजल हेतु जल संसाधन के विकास, सिंचाई, औद्योगिक, बाढ़ नियंत्रण एवं अन्य प्रयोगों हेतु एकीकृत जल योजना तैयार करना।

(ख) उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये नदियों को एक दूसरे से जोड़कर अतिरिक्त जल को जलाभाव युक्त नदी घाटियों तक पहुंचाने हेतु तरीके सुझाना।

(ग) महत्वपूर्ण चालू परियोजनाओं साथ ही नयी परियोजनाओं जिनको प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए, की पहचान करना।

(घ) जल क्षेत्रक हेतु लाभों को अधिक से अधिक बढ़ाने की दृष्टि से तकनीकी एवं अन्तर अनुशासनात्मक अनुसंधान योजना की पहचान करना।

(ङ) जल क्षेत्रक हेतु भौतिक एवं वित्तीय संसाधन उत्पन्न करने की योजनाएं सुझाना।

(च) कोई अन्य सम्बद्ध मुद्दा।

(ग) आयोग द्वारा सितम्बर, 1998 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने की संभावना है।

संयुक्त राष्ट्र आवास सम्मेलन

154. **श्री माधव राव सिंधिया** : **क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य जून, 1996 में इस्लामाबाद में हुए संयुक्त राष्ट्र आवास सम्मेलन में "ग्रामीण आवास व्यवस्था में सुधार लाने संबंधी भारतीय प्रस्ताव" को स्वीकार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो मूल भारतीय प्रस्ताव क्या था और इसे किस रुप में स्वीकार किया गया; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र ग्रामीण आवास संबंधी सम्मेलन के उक्त निर्णयों के आधार पर भारत में ग्रामीण आवास व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). अनेक गैर-सरकारी संगठनों जिन्होंने जून, 1996 में इस्तान्बूल में आवास-2 सम्मेलन में हिस्सा लिया था, ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल को ध्यान दिलाया है कि मसौदा आवास कार्यसूची में ग्रामीण विकास नीतियों से संबंधी पर्याप्त विवरण नहीं है, यद्यपि विश्व के कई विकासशील देश अधिकतर ग्रामीण आबादी वाले हैं। भारतीय अवरोध पर आधारित आवास कार्यसूची में माना गया है कि ग्रामीण तथा शहरी विकास नीतियों और कार्यक्रम एक दूसरे पर निर्भर हैं और शहरी आवास को प्रोन्नत करने के साथ साथ सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी आकर्षकता को बढ़ाने, व्यवस्थाओं का

समेकित तंत्र विकसित करने तथा विशेष रुप से छोटे तथा मध्यम स्तर के नगरों को ध्यान में रखते हुए ग्रामों से शहरों की ओर पलायन को कम करने हेतु समुचित अवसंरचना, लोक सेवाओं तथा रोजगार के अवसरों को विस्तृत करने के लिए कार्य करना चाहिए।

(ग) सरकार ने ग्रामीण आवास की समस्याओं को एक समयबद्ध तरीके से हल करने हेतु इसे एक अधिक बल दिए जाने वाले क्षेत्र के रुप में मान्यता प्रदान की है।

विश्व आवास दिवस

155. **श्री माधव राव सिंधिया : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भी 18 अक्तूबर, 1996 को "विश्व आवास दिवस" के रुप में मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस दिवस के उपलक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या विशेष कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई; और

(ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में और इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके पास कोई आवास नहीं है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। इस वर्ष 7 अक्तूबर, 1996 विश्व आवास दिवास के रुप में मनाया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1991 की जनगणना के अनुसार, आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में भारत में ग्रामीण आवास की कमी 13.72 मिलियन आवासों की थी, जिसमें बिना आवास वाले 3.41 मिलियन परिवार तथा 10.31 मिलियन परिवार मरम्मत न हो सकने वाले आवासों में रह रहे हैं, शामिल हैं। वर्तमान में ग्रामीण आवास की कमी लगभग 17 मिलियन आवासों की है जिसमें बिना आवास वाले लगभग 6.7 मिलियन परिवार तथा लगभग 10.3 मिलियन परिवारों के मरम्मत न हो सकने वाले आवास शामिल हैं।

[हिन्दी]

आरक्षण नीति

156. **श्री अशोक प्रधान : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत आज तक विभिन्न विभागों और उपक्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों का पदवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ पदों के संबंध में नई भर्तियों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को भी पदोन्नत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न श्रेणियों में बकाया आरक्षित पदों को भरने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के अनुसार पदोन्नत करने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार राय) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा गुरूवार, 21 नवम्बर, 1996/30 कार्तिक, 1918 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।